लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY

सत्यमेव जयते

Conservation
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 15 मार्च, 1972/25 फाल्गुन, 1893 (शक)

No. 3, Wednesday, March 15, 1972/Phalguna 25, 1893 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

21. कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Car Industry	..	1—3
23. बन्द पड़े औद्योगिक एककों को हाथ में लेने के लिये निगम की स्थापना	Corporation for taking over closed Industrial Units	..	3—5
25. भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में पुस्तकों आदि का प्रकाशन और फिल्मों का निर्माण	Production of Publications and Films on Indo Pak War		5—7
26. काश्मीर विधान सभा के चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग	Foreign money used in Kashmir Legislative Assembly Elections		7—9
27. चंडीगढ़ में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता लगना	Pak Spy Ring Unearthed in Chandigarh	..	9—10
28. निजी फर्मों द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही डाक प्रणाली	Underground Postal System Run by Private Firms	..	10—14
30. गोआ, दमण और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Chief Minister of Goa, Daman and Diu	..	14—15
31. मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions given by Planning Commission to Check Rise in Prices	..	16—17
32. टायर कारखानों के लिये तकनीकी जानकारी की खरीद	Purchase of Technical Know how for Tyre Units	..	17—19
33. पंजाब ब्रूअरी में उत्पादन	Production in Punjab Brewery		19
34. छोटी कार परियोजना	Small Car Project	..	19—20

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्ताव पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actualy asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

22. पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े उद्योगों का पुनः खोला जाना	Re-opening of closed Industries in West Bengal ..	21
24. हरियाणा के विपक्षी दलों द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री और मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Opposition Parties of Haryana to President of India Containing allegations against Chief Minister and Ministers of Haryana	21
29. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की शर्तें	Terms of Appointment of Central Vigilance Commissioner ..	21—22
35. संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना	Abrogation of Article 370 of the Constitution ..	22
36. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन में वृद्धि	Increased Pay for A.I.R. Staff Artistes ..	22
37. औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों का कार्यकरण	Working of Public Sector Undertakings under Ministry of Industrial Development	23
38. फालतू क्षमता का उपयोग करने के लिये लाइसेंस नीति का उदार बनाया जाना	Liberalisation of Licensing Policy for Surplus capacity	23
39. लेम्ब्रेटा स्कूटर संयंत्र का इटली से भारत में स्थानान्तरण	Shifting of Lambretta Scooters Plant from Italy to India	24
40. मध्य प्रदेश में औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिये आवेदन पत्र	Applications for Setting up of Industrial Units in Madhya Pradesh ..	24

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

191. समाचारपत्रों पर 10 पृष्ठों संबंधी प्रतिबन्ध	Ten page Restriction on Newspapers	24—25
192. दिल्ली में घातक शराब के मामले की न्यायिक जांच	Judicial Enquiry into Killer Liquor Racket in Delhi ..	25
193. राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Rajasthan	25—26
194. पाकिस्तान समर्थकों की पश्चिमी बंगाल में घुसपैठ	Infiltration of Pakistani Collaborators into West Bengal ..	26

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
*अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
195. पुलिस को और अधिक सुविधायें देने के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for better Amenities to Police		27
196. केरल के तटीय क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee appointed by AEC to Survey the Coastal Region of Kerala	..	27—28
197. जिला पालामऊ, बिहार में टेली-फोन कनेक्शन	Telephone Connections in Palamau District, Bihar	..	28
198. डाल्टनगंज-पटना टेलीफोन लाइन	Daltonganj-Patna Telephone Line	.	28
199. ब्रिटेन तथा स्वीडन के द्वारा भारत को विद्युत उपकरणों की सप्लाई	Supply of Power Equipment to India by Britain and Sweeden	..	28—29
200. कारों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना	Barring the Jurisdiction of Supreme Court in Fixing the Prices of Cars and other Commodities	..	29
201. गुजरात में तापीय परमाणु बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Nuclear Power Station in Gujarat		29
202. विदेशी सहायता बन्द होने के कारण आयातित वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं की खोज	Search for Import Substitutes due to Stoppage of External Aid		29—30
203. नरोरा (उ० प्र०) में एक अणु विद्युत केन्द्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Energy Centre at Naraura (U. P.)		30
204. पश्चिम बंगाल में पाये गये चीनी हथियार	Chinese Weapons found in West Bengal	..	30
205. औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences	..	31
206. अखबारी कागज की उपलब्धता तथा उसका आवंटन	Availability and Allocation of News-print		31—33
207. योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commis-sion	..	33
208. भारत-पाक युद्ध काल में नजरबन्द भारतीय	Detention of Indians during Indo-Pak War		33
209. चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में कमी करने के लिये पुनरीक्षण	Downward revision of Fourth Five Year Plan	..	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
210. 'बिहार बचाओ सम्मेलन' के संयोजक का बंगला देश के बिहारी मुस्लिमों सम्बन्धी वक्तव्य	Statement by the Convener of 'Save Bihar Conference' Re, Bihari Muslims in Bangla Desh ..	34
211. ट्रैक्टर कारखानों की स्थापना	Setting up of Tractor Factories	34
212. कार के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of cars	35
213. पाकिस्तानी रजाकारों और अल-बदर के स्वयंसेवकों की पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों में घुसपैठ	Infiltration of Pak Razakars and volunteers of Al Badar in West Bengal and other places	35
214. उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Planning Commission to increase production	36
215. समाचार पत्रों की नीतियों पर विदेशी धन का प्रभाव	Influence of Foreign Money on Policy of newspapers ..	36
216. राज्यों को केन्द्रीय सहायता में कमी	Reduction in Central Assistance to States	36—37
217. दिल्ली में ग्रीन बिल, विनिमय घोटाले का पता लगाना	Green Bill Exchange Racket unearthed in Delhi ..	37
218. नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Netaji Enquiry Commission	37
219. माना के सूर हत्याकाण्ड की जांच	Inquiry into Soor Murder case of Mana ..	37—38
220. दिल्ली में अश्लील फिल्मों की तस्करी और उनके वितरण के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियां	Arrests in connection with Smuggling and distribution of blue films in Delhi	38
221. वीरभूम जिले के काशीपुर गांव के आदिवासी लोगों को अमानवीय ढंग से पीटे जाने की घटना	Incident of inhuman beating of tribal people of Kashipur village in district Birbhum ..	38
222. भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना	Withdrawal of Privy Purses and Privileges of former rulers	39
223. भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव	Set back to Industrial production in Border Areas of Punjab during Indo-Pak war, 1971 ..	39
225. तारापुर अणु शक्ति संयंत्र	Tarapur Atomic Power Plant	39—40
226. संयुक्त क्षेत्र में मध्यम और भारी उद्योगों का विस्तार	Expansion of Medium and Heavy Industries in Joint Sector ..	40—41
227. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग	Demand for Autonomy to States ..	41—42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

228. तारापुर परमाणु बिजली घर की मरम्मत	Repair of Tarapur Nuclear Power Station	42
229. बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	42—45
230. बंगला फिल्मों का निर्माण	Production of Bengali Films	45
231. टेल्को का विस्तार	Expansion of TELCO	45—46
232. बंगला देश की मुक्ति के पश्चात् वहां से शस्त्रास्त्रों की तस्करी	Smuggling of Arms from Bangla Desh after Liberation	46
233. बम्बई तथा पंजाब में टेलीविजन स्टेशनों की स्थापना में प्रगति	Progress re. setting up of T. V. Stations in Bombay and Punjab ..	46—47
235. वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से प्रभावित औद्योगिक कारखानों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Industrial Units affected by Indo-Pak War 1971	47
236. उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Industries	47
237. विश्व बैंक की सिफारिश पर उद्योगों के लिये लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करना	Delicensing of Industries on recommendation of World Bank ..	47—48
238. भारत ब्रिटेन तकनीकी सहयोग दल की बैठक	Meeting of Indo British Technical Collaboration Group	48
239. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त का 1969-70 का प्रतिवेदन	Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 1969-70	48—50
240. आकाशवाणी कलकत्ता पर प्रसारण के लिये नाटकों का चयन	Selection of Dramas for Broadcast over A.I.R. Calcutta	50
241. सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट फैक्टरी, जापला को पुनः खोलना	Re-opening of Sone Valley Port Land Cement Factory, Japla	50
242. नये संयंत्र की स्थापना के लिये सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी, जापला को सहायता	Assistance to Sone Valley Fort Land Cement Company, Japla for Establishment of New Plant ..	51
243. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत औद्योगिक कारखानों का हाथ में लिया जाना	Take over of Industrial Units under the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1971	51
244. ऐच्छिक संगठनों द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण पर रोक	Ban on Arms Training by Voluntary Organisations ..	51—52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
245. वार्षिक योजना के आकार के बारे में योजना आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच विवाद	Dispute between Planning Commission and Government of West Bengal on Size of Annual Plan	52
246. लिमका पेय के निर्माण के लिये आयातित तत्व की प्राप्ति का साधन	Manufacture of Beverage Limca—source of getting Import Contents ..	52
247. गुजरात में पिछड़े जिले	Backward Districts in Gujarat	53
248. चौथी योजना में गुजरात को धन का आवंटन	Allocation of Funds to Gujarat during Fourth Plan	53—54
249. गुजरात में बड़े पैमाने पर परियोजना स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent for settiag up of Large Scale Projects in Gujarat ..	54
250. केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की सिफारिशें न मानना	Non Acceptance of Recommendation of Central Fitm Censor Board ..	54—55
251. युवकों के लिये आकाशवाणी प्रसारण	A. I. R. Broadcasts for Youths ..	55
252. सरकारी विभागों में अनियमित नियुक्तियां	Irregular Appointments in Government Departments	55
253. अण्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in Andaman and Nicobar Islands	55—56
254. बंगलौर में टेलीफोन फैक्टरी	Telephone Factory at Bangalore	56—57
255. भारत पाक युद्ध में मारे गये/घायल हुए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान	Officers and Jawans of B. S. F. killed/injured during Indo-Pak War	57
256. अलीगढ़ में टेलीविजन स्टेशन	T. V. Station at Aligarh	57
257. सीमा सुरक्षा बल का पुनर्गठन	Reorganisation of B. S. F.	57—58
258. हाल ही के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गये मान्यता प्राप्त पत्रकार	Accredited Journalists killed in recent Indo-Pak War	58
259. लाल डेंगा का अता पता	Whereabouts of Laldenga	58
260. उत्पादन बढ़ाने के लिये उद्योगों को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Grant of Additional Foreign Exchange to Industries for Stepping up Output ..	58—59
261. माल डिब्बा और डीजल इंजन उद्योगों के सम्बन्ध में लाइसेंस नीति	Licensing Policy in respect of Wagon and Diesel Engine Industries	59—60

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
262. आयात प्रतिस्थापन योजनायें	Import Substitution Schemes	60—62
263. कलकत्ता टेलीविजन स्टेशन	Calcutta T. V. Station	62
264. सरकारी क्षेत्र में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Plant in Public Sector	62—63
266. जयपुर के आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारण सीमा क्षेत्र के विस्तार के लिये प्रस्ताव	Proposal for expansion of Range of Radio Station, Jaipur	63
267. भारत श्रीलंका के संयुक्त औद्योगिक उद्यम	Indo-Ceylon Joint Industrial ventures	64
268. मध्य प्रदेश के जिला सतना में डाक-खाना खोलना	Opening of a Post Office in District Satna, Madhya Pradesh	64
269. समाचारपत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज के कोटे के आवंटन में परिवर्तन	Change in allocation of Newsprint quota to Newspapers	65
270. बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिये लम्बित आवेदन पत्र	Pending applications for setting up of Industries in Bihar	65—66
271. 1972-73 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	Finalisation of Annual Plan for 1972-73 ..	66
272. औद्योगिक उपक्रमों को बन्द होने से रोकने के लिये व्यवस्था	Machinery for averting closure of Industrial Undertakings	66
273. सिन्ध से पाकिस्तानियों का सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में आना	Crossing of Pakistanis into Indian territory from Sind	66—67
274. सिन्ध के जीते गये क्षेत्रों का प्रशासन	Administration of captured areas of Sind	67
275. औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के कारण	Causes of delay in issuing Industrial Licences	67—68
276. समाचारपत्रों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन	Public Sector Undertakings Advertisements to Newspapers	68
277. गुजरात में बड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना	Plan to set up large Scale projects in Gujarat	68—69
279. चौथी योजना के लिये वित्तीय आवश्यकतायें	Financial requirements for Fourth Plan ..	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
280. चौथी योजना में लक्ष्यों का पुन-मूल्यांकन	Reappraisal of Targets during Fourth Plan	69
281. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन देने सम्बन्धी नियम	Rules Governing release of Public Sector Undertakings' Advertisements ..	70
282. अलेप्पी के आकाशवाणी ट्रांसमीटर में खराबी	Defects in A. I. R. Transmitter in Alleppey	70
283. पेंट और वार्निश फैक्टरियां	Paint and Varnish Factories	70—71
284. आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० और सम्बद्ध सेवाओं में भर्ती की आयु को बढ़ाना	Raising of Age Limit for Recruit for I. A. S., I. F. S., I. P. S. and allied Services ..	71
285. कारों के मूल्य में कमी करने के लिए विधान बनाना	Legislation to bring down the price of Cars ..	72
286. लाइसेंस नीति को उदार बनाना	Liberation of Licensing Policy	72
287. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन	Pension to Freedom Fighters	72—73
288. प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक सरकारी निगम के रूप में बदलना	Conversion of P. T. I. into a Public Corporation	73
289. समाचारपत्रों के एकाधिकार को रोकने के लिए विधान	Legislation to curb Monopoly of Press	74
290. फिल्म उद्योग में संकट	Crisis in Film Industry	74
291. चौथी योजना के अन्तर्गत बिहार के लिये निर्धारित राशि में वृद्धि की मांग	Demand for increase in allocation of funds for Bihar under Fourth Plan	75
292. बिहार में ट्रकों और कारों के टायरों की कमी	Shortage of Tyres of Trucks and Cars in Bihar	75
293. बिहार के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Bihar	75—76
294. जनगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees Engaged on Census Work	76—77
295. सीमा सुरक्षा मुख्यालय में डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मचारी	Employees on Deputation to Border Security Force Headquarters	77—78
296. गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम आरम्भ करना	Ventures in Backward Areas by Private Sector Industry	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
297. औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production ..	79—80
298. स्वतन्त्र शासन की मांग करने वाले पोस्टर	Posters Demanding Independent Rule ..	81
299. दोषयुक्त टेलीफोन कनेक्शनों की जांच	Investigation of Faulty Telephone Connections ..	81
300. विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्यों द्वारा अपने योजना कार्यक्रमों के पुनरीक्षण के बारे में योजना आयोग का अनुरोध	Planning Commission's Request to States to Revise their Plan Programmes to Reduce Dependence on Foreign Aid ..	82
301. आन्ध्र प्रदेश में परमाणु बिजली केन्द्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Power Station in Andhra Pradesh ..	82
302. केरल में अंडा चूर्ण कारखाना खोलने सम्बन्धी योजना	Scheme for Starting Egg Powder Factory in Kerala ..	82—83
303. केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के लिये राशि	Funds for Rural Industrial Projects in Kerala ..	83
305. मैलानी (उत्तर प्रदेश) में कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of Paper Mill at Mailani (U. P.) ..	83—84
306. आकाशवाणी का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of All India Radio ..	84
307. पुस्तक लिखते समय अधिकारियों को सरकारी रिकार्ड देखने की अनुमति देने के बारे में जारी किये गये निर्देश	Directions issued regarding Grant of Permission to Officers to Examine Official records while Writing ..	84
308. राज्यों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों का स्थापित किया जाना	Dispersal of National Laboratories and Centres of Research in States ..	84—85
310. भावी आयोजन के लिये सुदृढ़ वैज्ञानिक और तकनीकी आधार का विकास	Development of a Strong Scientific and Technological Base for Future Planning ..	85
311. भू-उपग्रह संचार केन्द्र	Satellite Communication Earth Stations ..	85
312. कछार में कागज के कारखाने की स्थापना	Establishment of Paper Mill in Cachar ..	86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
313. राष्ट्रीय एकता का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिये टेलीविजन कार्यक्रम	T.V. Programmes to Project Integrated National Picture ..	86
314. केरल में डाक तार कार्यालयों का खोला जाना	Opening of New P&T Offices in Kerala ..	86—87
315. दिल्ली बीकानेर सीधी टेलीफोन प्रणाली का सुचारु रूप से कार्य न करना	Delhi Bikaner Direct Dial System not Working efficiently ..	87
316. बहराइच (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक कार्य	Industrial Activity in Bahraich (U.P.) ..	87—88
317. बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में दूर संचार व्यवस्था	Telecommunication System in Bahraich District (U.P.)	88
318. उत्तर प्रदेश में मांड उद्योग	Starch Factories in Uttar Pradesh ..	88
319. केरल में केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान	Central Industrial Establishments in Kerala ..	89
320. भू-उपग्रहों से प्रसारण की सुविधाएं	Telecasting facilities from Earth Satellites..	90
321. तमिलनाडु में सांझे क्षेत्र में सिगरेट कारखाने की स्थापना	Setting up of Cigarette Factory in Tamil Nadu in Joint Sector ..	90
322. हैदराबाद में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगाया जाना	Foreign exchange racket unearthed in Hyderabad ..	90—91
323. वर्ष 1971-72 के लिये राज्यों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन	Approval of Annual Plans for States for 1971-72	91—92
324. औद्योगिक विकास में गिरावट और जांच करने के लिये अर्थशास्त्रियों की तालिका बनाना	Appointment of Economists' panel to enquire into decline of Industrial growth ..	92
325. फर्मों द्वारा लाइसेंस सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन किया जाना	Evasion of Licensing Regulations by Firms ..	92
326. समाचार-पत्रों के आर्थिक पहलुओं और सरकार की वर्गीकरण नीति की जांच करने के लिये अध्ययन दल का गठन	Study team to go into economics of newspapers and classification policy of Government ..	93
327. पश्चिम बंगाल के उद्योगों का विकास	Development of West Bengal Industries ..	93—94
328. लाइसेन्सों में छोटे कारखानों का हिस्सा	Share of Small Units in the Licences ..	94

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
दिनांक 28.7.1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6116 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting Answer to U. S. Q. No. 616 dated 28.7.1971	..	94
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
दिल्ली में जहरीली शराब से हुई मौतों के समाचार	Reported deaths due to liquor poisoning in Delhi	..	95
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	..	95
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	95—97
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	97—100
सदस्य की दोषसिद्धि	Conviction of Member	..	100
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—		
नवां प्रतिवेदन	Ninth Report	..	100
उपदान संदाय विधेयक—	Payment of Gratuity Bill—		
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Select Committee Report	..	101
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—		
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	..	101
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1971-72	Supplementary Demands for Grants (General), 1971-72	..	102—113
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	102—105
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	..	105
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	..	105—106
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxmi Narain Pandeya	..	106—107
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh		107—109
विनियोग विधेयक, 1972	Appropriation Bill, 1972		112
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	..	112—113
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1969-70	Demands for Excess Grants (General) 1969-70		113
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee		113—114
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	..	114

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972	Appropriation (No. 2) Bill, 1972	..	115—116
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	..	115—116
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1971-72	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1971-72	..	116—122
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	..	116—117
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	..	117
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	..	117
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	..	118
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	..	118
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	..	118—119
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	..	119
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	..	119—120
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	..	120—122
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1969-70	Demands for Excess Grants (Railways) 1969-70	..	122—125
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	..	123—124
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	..	124

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 15 **मार्च**, 1972/25 **फाल्गुन**, 1893 (**शक**)

Wednesday, March 15, 1972/Phalguna 25, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*21. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार बनाने वाले तीनों उद्योगों को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री समर मुखर्जी : क्या सरकार अपना संत्रंत्र स्थापित करने के विषय में विचार कर रही है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी हां ।

श्री समर मुखर्जी : इसे कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक औद्योगिक विकास मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमने निर्णय कर लिया है । मंत्रिमंडल की अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : बिड़ला बन्धुओं तथा अन्य व्यक्तियों के मोटर गाड़ियों के विभिन्न कारखानों के विषय में जांच कराई गयी थी । क्या इस बात में कोई सचाई है कि एक कारखाना

सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जायेगा, क्या यह फीयट कार बनाने वाला कारखाना होगा अथवा हिन्दुस्तान मोटर्स का ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक हिन्दुस्तान मोटर्स का प्रश्न है, मैंने सदन में 26 नवम्बर, 1971 को तथा इसके पश्चात् *3* दिसम्बर, 1971 को निश्चयात्मक रूप से कहा था कि सरकार इसे अपने नियंत्रण में नहीं लेगी। सरकार ने फीयट कारखाने के विषय में विचार किया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथराव : मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में क्या कोई एकीकृत नीति है और क्या सरकार एक राष्ट्रीय क्षेत्र का विकास करके सन् 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने का विचार कर रही है जिससे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का द्विपक्षीय विभाजन समाप्त हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है।

श्री जगन्नाथराव : समय-समय पर राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, क्या इसके सम्बन्ध में कोई नीति है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मूल प्रश्न से यह प्रश्न नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : जो मुझे कहना था वह मंत्री महोदय ने कह दिया है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह प्रश्न संगत है, यदि आपने इसे स्वीकार किया है तो इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि मंत्री महोदय चाहें तो वह नोटिस के लिये कह सकते हैं।

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रश्न था कि क्या सरकार औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने का विचार कर रही है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार इन कारखानों में से किसी को अपने नियंत्रण में लेने जा रही है तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया नहीं। क्या इसका यह अभिप्राय निकाला जाये कि सरकार विधान सभा के स्थानों के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं ले रही है।

संचार मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : आपका स्थान भी।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : क्या मंत्री महोदय कुछ ऐसे मुख्य कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके आधार पर इन कारखानों को सरकारी नियंत्रण में न लेने का निर्णय किया गया है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक एम्बेसेडर कारखानों का प्रश्न है, हम इसे सरकारी अधिकार क्षेत्र में नहीं ले रहे हैं। कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां तक स्टैन्डर्ड कार के कारखाने का प्रश्न है, जांच समिति ने 2 मई 1970 को इस मामले की जांच की थी और यह

सिफारिश की कि सरकार को इस कारखाने को अपने नियंत्रण में नहीं लेना चाहिये। जहां तक फीयट कार बनाने वाले कारखाने का प्रश्न है, हमने सार्वजनिक क्षेत्र के कार कारखाने के लिये इसका उपयोग करने की संभाव्यता के प्रश्न पर विचार किया। विस्तृत अध्ययन के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार को इसे अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : हिन्दुस्तान कारखाने के विषय में मंत्री महोदय ने इसे सरकारी अधिकार क्षेत्र में न लेने का यह कारण बताया है कि यह कबाड़ का ढेर है। क्या उन्होंने इस फर्म का पुनरीक्षण अथवा पुनर्मूल्यांकन किया है ? क्या अब भी उनके यही विचार हैं अथवा कारखाने से थोड़ा बहुत उत्पादन होता है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : श्रीमन्, आपके निदेशानुसार इस सम्बन्ध में मैंने 3 दिसम्बर, 1971 को सदन में एक विस्तृत वक्तव्य दिया था। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

बन्द पड़े औद्योगिक एककों को हाथ में लेने के लिए निगम की स्थापना

+

*23. **श्री झारखण्डे राय** :

श्री डी० के० पंडा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा कारखानों को छोड़कर उन सभी औद्योगिक एककों को, जिनके बन्द होने का भय है, हाथ में लेने के लिये तथा चलाने के लिये एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कपड़ा कारखानों को छोड़ कर हाथ में लिए गये औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध संचालन करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

Shri Jharkhande Rai : May I know since when this is under consideration and the time by which a final decision will be taken?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक निगम का सम्बन्ध है, गत दो माह से यह मामला सरकार के विचाराधीन है। चाहे निगम की स्थापना हो या न हो परन्तु कार्य बन्द नहीं होगा।

Shri Jharkhande Rai : In view of the policy of the Government that the basic and major industries should be nationalised, may I know whether there is any difficulty in nationalising them?

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अधिग्रहण करने के सन्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह प्रश्न सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये औद्योगिक एककों के विषय में है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने से मूल प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है।

Shri Jharkhande Rai : I wanted to know the difficulties if any in the way of nationalising those units in regard to which the setting up of a Corporation is being considered.

श्री मोइनुल हक चौधरी : इन एककों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाता है जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि किन परिस्थितियों में इन कम्पनियों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली जा सकती हैं। अधिनियम के उपबन्धों का अनुसरण करने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री डी० के० पंडा : क्या निगम की स्थापना से पूर्व संकट से मुक्त कराने के लिये अनुदान, कर्मचारियों को उनकी सेवायें समाप्त हो जाने का लाभ, बोनस तथा उपदान आदि की व्यवस्था करके स्वस्थ परिस्थितियां उत्पन्न की जायेंगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : अस्वस्थ उदाहरण पैदा करने का प्रश्न ही नहीं है। अतः इनके पुनर्नवीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know the names of the members of the Committee which for last two years, has been considering the question of the setting up of a Corporation ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : हम एक माह के अन्दर निर्णय कर लेंगे और तब यह निश्चय किया जायेगा कि समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि बन्द की जा रही उड़ीसा की चीनी मिलें उस निगम के अन्तर्गत आयेंगी जिसकी स्थापना सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सहकारी चीनी मिलें सरकार की "बन्द एककों" की परिभाषा के अन्तर्गत आयेंगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : संकटग्रस्त एकक की परिभाषा अधिनियम में दी गई है और यदि एक सहकारी एकक अधिनियम की परिभाषा के अनुसार वास्तव में संकटग्रस्त है तो वह निश्चय ही परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Government have collected information about the number of closed industrial units in the Country and the workers rendered unemployed as a result thereof ? Has any decision been taken to provide them with financial assistance to help them, reemploy the idle labour and keep running the industries and the amount of financial aid needed for the purpose ?

Mr. Speaker : The matter is being considered for the last two months and you are talking of financial help.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked about the number of closed units and the workers rendered unemployed.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आप अलग से नोटिस दीजिये। मुझे खेद है।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय ने कहा कि स्वायत्त निगमों की स्थापना विचाराधीन है परन्तु ऐसे किसी निगम की स्थापना से पूर्व, क्या संशोधित कानून के अन्तर्गत सरकार ने कुछ एककों को अपने अधिकार में लेने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी हां, सरकार ने कुछ एकक अपने अधिकार में ले लिये हैं।

Production of Publications and Films on Indo-Pak War

\+
*25. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the steps taken to encourage the publication and propagation of acts of bravery, gallantry in conducting of war operations and foresight shown by Indian soldiers during the last Indo-Pak war and to encourage production of high class films in this regard ; and

(b) the progress made so far and the future plans in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Acts of gallantry and bravery and examples of the skill and efficiency of the armed forces were disseminated as soon as they came to light, through two media which provide the quickest mass communication **viz.** the Radio and the Press. Journalists, editors and authors were provided facilities to visit forward areas in both sectors and to interview senior officers of the Armed Forces. Journalists from AIR and Press Information Bureau were also deployed similarly. Two special series of features were broadcast on Radio and television based on actuality interview. In addition, expert military commentators were encouraged to analyse the news and bring out the achievements.

The Films Division produced and released weekly and special newsreels on the war. The "Indian News Review Diary on Bangla Desh" produced in five instalments, depicts the acts of bravery and gallantry of Indian soldiers. Apart from bringing out a full length colour documentary entitled "Date Line Bangla Desh" and a full length compilation film entitled "Indo-Pak conflict 1971" the following documentaries were produced on the subject :

(i) "Liberation of Khulna ?

(ii) "Heroes of the Sky"

(iii) "This—No Sabre Rattling"

Retrospectively, the military operations were reviewed in a highly popular radio documentary and a photographic exhibition which has been shown in the Capital and the metropolitan cities.

(b) Publications Division are bringing out the following publications :

(i) 1971 War in Pictures

(ii) 14 Days to Glory

(iii) Honours and Awards in the Armed Forces

Films Division propose to bring out the following documentary films :

(i) "Flying Officer Sekhon"

(ii) "Captain Mullah"

(iii) "War in Retrospect"

(iv) "India and the 15 Day War"

Shri Atal Bihari Vajpayee : The statement placed on the Table of the House does not convey any information as to whether full length film on the freedom struggle of Bangla Desh and India's participation therein has been produced or is proposed to be produced in future. It appears that newsreels have been produced ; they might be good, but we want to know whether full length film has been produced by the Government ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में कुछ वृत्तचित्र, कुछ न्यूजरीलें तथा कुछ अन्य फिल्में बनायी गई हैं। इनमें से कुछ फिल्मों का उल्लेख विवरण में किया गया है, उदाहरणार्थ "लिबरेशन आफ खुलना" "हीरोज आफ दी स्काई" तथा "दिस-नो सैबर रैटलिंग। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित वृत्त चित्र,-"फ्लाईंग आफिसर सेखौन" "कैप्टन मुल्ला", "वार इन रिट्रोस्पैक्ट" तथा "इंडिया एंड दी फिफटीन डे वार" निर्माणाधीन हैं। अन्तिम वृत्त चित्र में सभी चीजों का उल्लेख किया जायेगा। इनके अतिरिक्त सरकार एक पूरी लम्बाई की रंगीन फिल्म बनाने जा रही है जिसमें बंगला देश का सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम तथा उसमें भारत का योगदान भी सम्मिलित होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Had the people of our films Division also gone along with our troops who fought for Bangla Desh ? I would like to know whether they have filmed the actual war scenes which have not yet been released for screening and if so whether they will be screened ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्म डिवीजन के लोग हमारी सेनाओं के साथ गये थे परन्तु कुछ तकनीकी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण मोर्चे तक जाना उनके लिये सम्भव नहीं था। यह इस युद्ध विशेष के संदर्भ में ही नहीं हुआ है, ऐसा सदैव ही होता है, यही सामान्य प्रक्रिया है। वास्तव में वे मोर्चे तक नहीं जा सकते, यद्यपि वे सेना के साथ गये थे।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether Government have formulated any scheme to give incentives to the literary figures, writers and private film producers to enable them to produce good literature and films depicting our glorious victory in the freedom struggle of Bangla Desh ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सरकर ने बहुत से लेखकों की सहायता की है। सरकार ने बंगला देश पर पुस्तक लिखने के लिये सामग्री प्रदान की है। इस अवधि में बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने उन लोगों की भी सहायता की है जो बंगला देश पर फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसी ही एक फिल्म श्री सुखदेव द्वारा बनाई गयी जो पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही बहुत से कवियों को आकाशवाणी पर आमंत्रित किया गया तथा उनकी कविताओं का संकलन किया गया। एक पुस्तक में संकलित ये कवितायें जनता के सामने आने वाली हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भूतकाल में ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें जवानों की वीरता के प्रदर्शन को परिहासपूर्ण बना दिया गया है तथा इस तथ्य को भी ध्यान

में रखते हुये कि बम्बई में एक ऐसी फिल्म बनायी गयी जिसमें बंगला देश सरकार के प्रति अन्याय किया गया है, क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी फिल्मों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे विचार से माननीय सदस्य बम्बई के एक निजी फिल्म निर्माता द्वारा बनाई गई फिल्म का संदर्भ प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस फिल्म के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यदि मैं ठीक समझ पाया हूं तो मंत्री महोदय ने कहा है कि कैमरामैन मोर्चे तक जाने की स्थिति में नहीं थे। जहां तक मैं समझता हूं वृत्त चित्र घटना स्थल पर ही फिल्माये जाते हैं। क्या हमें ये समझना चाहिये कि ये वृत्त चित्र स्टूडियो में ही फिलमाये गये हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जैसा कि मैंने पहले बताया है ये लोग सेना के साथ गये। मैंने अपने उत्तर में जिन वृत्त चित्रों के नाम लिये हैं, जैसे "लिबरेशन आफ खुलना" तथा "हीरोज आफ दी स्काई" उस समय फिल्माये गये जब ये लोग सेना के साथ थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उदाहरण के तौर पर यदि "लिबरेशन आफ खुलना" को लिया जाये तो क्या यह खुलना को मुक्त कराते समय फिलमाया गया अथवा स्टूडियो में ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : खुलना को मुक्त कराते समय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप हमें कम से कम इन फिल्मों को दिखाने का प्रबन्ध करें।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जो फिल्में भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठ भूमि तथा भारतीय सैनिकों की वीरता का प्रदर्शन करती हैं, क्या उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इसके लिये यह देखना होगा कि क्या कोई ऐसी फिल्म बनी है जो इस श्रेणी के योग्य है ?

Foreign Money used in Kashmir Legislative Assembly Elections

\+

*26. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some candidates belonging to certain political parties, who contested Kashmir Legislative Assembly Election in 1972, had received foreign money ;

(b) if so, the names of those foreign sources ? and

(c) the action proposed to be taken by Government to check utilisation of foreign money in Elections ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In pursuance of the assurance given by the Home Minister in his Statement made on 14th May, 1969, in regard to the report of the Intelligence Bureau on the use of foreign money, tentative proposals have been formulated to impose suitable restrictions on the receipt of funds from foreign organisations, agencies, or individuals otherwise than in the course of ordinary and bonafide transactions, and a note containing these tentative proposals has been circulated to the leaders of opposition parties for ascertaining their views.

Shri Hukam Chand Kachwai : The question that the foreign money is being used in the elections in the country has been raised time and again here in this House. So far as I know, the Government have also inquired into the matter. Will the Report of the Inquiry Committee be placed before the House and if not what are the difficulties before the Government in doing so ?

Shri K. C. Pant : This question was asked earlier also and the same was replied to by Shri Chavan. He had informed the House that the enquiry was being held by the intelligence Bureau. He had also explained the reasons for which the report could not be made public. Those reasons are that it is a secret inquiry in which evidence is not recorded and the sources of information are also secret which we would not like to disclose to the public. We do not ask for the Statements of the individuals against whom allegations are levelled in the report of inquiry. We did not know even what these persons wanted to say in their defence. In these circumstances we have no intention to make this Report public.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just now said that it is not in the public interest to place the report in the House.........**(interruptions)**. He has said that the report is secret and they can not prove the same. But the Government is aware of the fact that money is being utilized openely and unconstitutionally. With a view to giving a quietus to this malpractice, will the Government bring forward a legislation ? Besides this do the Government know that certain political parties of the country are directly involved and they are openly using foreign money ?

श्री आर० वी० बड़े : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि यह मंत्री महोदय के लिये गोपनीय है तो संसद के लिये तब तक गोपनीय नहीं रह सकता, जब तक इसका रहस्योद्घाटन जनहित में न हो।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Shri K. C. Pant : As I have said the Government propose to bring forward a legislation with the object of curbing the misuse of foreign money. Copies of the principles underlying this legislation were forwarded to all the leaders of the opposition and I will appreciate if the replies are sent early as it would facilitate the Government to bring forward the legislation at an early date.

श्री एस० ए० शमीम : मंत्री महोदय ने इस बात से इन्कार किया है कि कुछ लोग विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु भारत सरकार के गृह सचिव ने सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य दिया है कि जमायते इस्लामी के कुछ प्रत्याशियों को धन मिल रहा है। इस बात का स्पष्टीकरण करते हुये उन्होंने बाद में कहा कि देश में कुछ प्रत्याशी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। यह बात अभिलिखित

है। इसके पश्चात् रेलवे के उपमंत्री ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ राजनैतिक दल-एक दल का उन्होंने नाम भी लिया जमायते इस्लामी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं और जनता को सूचित किया कि निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। क्या मंत्री महोदय इस विरोधाभास को स्पष्ट करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक गृह विभाग के सचिव के वक्तव्य का प्रश्न है इस विषय में माननीय सदस्य के कहने में तथा गृह सचिव के वक्तव्य में थोड़ा अन्तर है। अपने दूसरे वक्तव्य में उन्होंने प्रत्याशी शब्द नहीं कहा अपितु तत्व शब्द का प्रयोग किया है। इन दोनों शब्दों में सारभूत अन्तर है। **(व्यवधान)**

श्री एस० ए० शमीम : रेलवे विभाग के उपमंत्री ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि जमायते इस्लामी विदेशी धन प्राप्त कर रहा है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : दोनों शब्दों में क्या अन्तर है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या अन्तर स्पष्ट किया जाये ? तत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन से है जबकि प्रत्याशी का तात्पर्य निर्वाचन के लिये खड़े होने वाले व्यक्ति से है।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि रेलवे के उपमंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि जमायते इस्लामी विदेशी धन प्राप्त कर रहा है और निर्वाचन के पश्चात् उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि रेलवे विभाग के मंत्री को गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री की अपेक्षा अधिक जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री का उत्तर स्पष्ट है। देश में सभी तरह के तत्व वर्तमान हैं। यह ठीक है।

अगला प्रश्न

चंडीगढ़ में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता लगना

+
*27. **श्री निहार लास्कर :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ पुलिस ने फरवरी, 1972 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह का पता लगाया था जो चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में सक्रिय था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं,

श्रीमान, किन्तु एक पाकिस्तानी नागरिक 9 फरवरी, 1972 को चंडीगढ़ में पाकिस्तानी जासूस होने के सन्देह में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) चूंकि जांच पड़ताल की जा रही है अतः इस अवस्था में अधिक ब्यौरे प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

श्री निहार लास्कर : इस विशेष मामले के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत से उपद्रवी तथा अवांछनीय तत्व हमारे देश में, विशेषकर, देश के पूर्वी भाग में, आ गये हैं, क्या सरकार को इन गुप्तचरों के अड्डों का पता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार अवांछनीय तत्वों का पता लगाने के मामले में सदैव जागरूक रहती है और गत कुछ महीनों से तो सरकार विशेषतया जागरूक है। जब से बंगला देश की घटनाओं ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि अनेकों लोग हमारी सीमा में आने लगे तब से हम विशेष रूप से सजग हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये हैं, अवांछनीय तत्वों के देश में प्रवेश को रोकने तथा उनकी जासूसी और ऐसी ही अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिये अवश्य कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है।

निजी फर्मों द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही डाक प्रणाली

+

*28. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी फर्मों द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही किसी डाक प्रणालियों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) उनकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। कुछ निजी फर्मों द्वारा चलाई जा रही एक अनधिकृत और अवैध डाक प्रणाली का पता चला है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसे 7 मामले आए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

(ग) तथा (घ). इनमें से एक मामले में जांच पूरी हो गई है। चीफ़ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई की अदालत में मुकदमा दाखिल कर दिया गया है और अब यह मामला अदालत के विचाराधीन है। अन्य मामले या तो पुलिस के पास हैं या उनमें आगे विभागीय जांच/तफतीश की जानी है। यदि पर्याप्त सबूत मिल सका तो सरकार इन सभी मामलों में भी मुकदमा चलाना चाहेगी।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : जैसा कि प्रकट है अवैध कार्य राजनीति से व्यापार में स्थान ले रहे हैं और जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि कुछ व्यापारी इस अवैध डाक प्रणाली के लिये उत्तरदायी हैं जो यह प्रणाली चला रहे हैं।

क्या दिल्ली स्थित ये व्यापार-गृह कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तथा अन्य नगरों को पत्र भेज रहे हैं और क्या वे डाक विभाग के शुल्क से कम शुल्क ले रहे हैं । क्या सरकार ने डाक विभाग के समानान्तर चल रही इस डाक-सेवा से हुये सही घाटे का अनुमान लगाया है और क्या यह कार्य बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली तक ही सीमित है अथवा यह अन्य नगरों में भी किया जा रहा है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : कई राज्यों की राजधानियों में और स्वयं भारत की राजधानी में कुछ बेईमान तत्वों द्वारा यह चालाकी पनपी है । अब सात गृहों द्वारा यह विशिष्ट कार्य किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे कौन-कौन से हैं ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैं उनके नाम बताऊंगा । वे इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स प्रोम्प्ट सर्विस, स्वदेश मार्केट, दूसरी मंजिल, बम्बई ।
2. मैसर्स जनता एक्सप्रैस सर्विस, विथोबा लेन, बिटलवाड़ी, बम्बई—2.
3. मैसर्स उल्फत राय कैलाश चन्द, 803 कटरा चतरी, नई सड़क, दिल्ली ।
4. मैसर्स मेघदूत सर्विस, कटरा शहनशाही, चांदनी चौक, दिल्ली ।
5. मैसर्स प्रोम्प्ट सर्विस, कूंचा बैजनाथ, चांदनी चौक, दिल्ली ।
6. मैसर्स दौलतराम मांगे राम, 30/31 कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता—17
7. मैसर्स भारत रोड ट्रांसपोर्ट, तिनसुकिया, आसाम ।

जहां तक इन लोगों द्वारा संभाली जाने वाली डाक के बारे में अनुपान लगाने का सम्बन्ध है, इसका सही अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि वे वास्तव में क्या करते हैं वह काम पत्रों के भेजने का नहीं है परन्तु वे पत्रों के पार्सल भेजते हैं जिन्हें रेलवे और इंडियन एयरलाइन्स दोनों द्वारा माल भाड़े के रूप में स्वीकार किया जाता है। हम इसका सही अनुमान नहीं लगा सकते कि वे कितना कर रहे हैं और उनके द्वारा कितनी डाक ली जाती है परन्तु हमने उनमें से पकड़े गये एक व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की है और हमने मुकद्दमा दायर कर दिया है। यह भारतीय डाक अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आता है और इसका एक कानूनी पहलू यह है कि शायद धारा 4 में संशोधन करना आवश्यक होगा ताकि इस प्रकार के कदाचार पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : (तामिल में बोले)

अध्यक्ष महोदय : श्री दंडपाणि आप भाषण दें, तो यह ठीक है परन्तु आप प्रश्न-काल में प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्रीमन्, बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो अंग्रेजी अथवा हिन्दी नहीं जानते हैं । वे हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोल नहीं सकते हैं । उन्हें अपने प्रश्न अपनी मातृ-भाषा में करने का अधिकार है । श्रीमन्, हम दोनों भाषायें नही जानते हैं । हमें अपनी मातृ-भाषा में प्रश्न करने दिये जाने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उस दृष्टिकोण से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस दृष्टिकोण से मैं आपत्ति नहीं कर सकता हूं। आपका तर्क बिल्कुल ठीक है परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। यदि आप प्रादेशिक भाषा में बोलने के लिये सूचना दें तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है परन्तु अचानक ही तत्काल ही आप अपनी मातृ-भाषा में अनुपूरक प्रश्न करने का निर्णय कर लें तो हम एक मिनट में इसका अनुवाद करने के लिये अनुवादक को नहीं बुला सकते हैं। फिर भी आपको इस सभा की कठिनाई समझनी चाहिये। इस बात के लिये इतना हठ मत करिये। यह प्रश्न उस भाषा में बोलने का नहीं है। यह प्रश्न सचिवालय की व्यावहारिक कठिनाइयों का है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्रीमन्, हमारी भावनाओं और कठिनाइयों को ठीक ढंग से नहीं समझा जाता है···

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जब हम हिन्दी और अंग्रेजी के लिये साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था कर सकते हैं तो आप अन्य भाषाओं के लिये यह व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? हम इस सभा में सभी भाषाओं के साथ-साथ अनुवाद की स्थायी रूप से व्यवस्था कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय समझें तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : (तमिल में बोले)

* इस मामले में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं···

श्री कार्तिक उरांव : यदि इस पर अनुमति दी जाती है तो मुझे भी मेरी अपनी बोली अर्थात् उरांव-कुरुख में प्रश्न करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : और मैं अपनी भाषा में विनिर्णय दूंगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि : (तमिल में बोले)

*मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उनमें से कितने व्यक्ति डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जी० विश्वनाथन : श्रीमन्, इसका अनुवाद किया जा रहा है।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : इस घृणित कार्य में किसी डाक कर्मचारी का सम्बद्ध होने का

*तमिल में पूछे गये प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद।

*English translation of question asked in Tamil.

प्रश्न ही नहीं है। जहां तक अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने कहा इसमें कतिपय कानूनी दिक्कतें हैं।

श्री त्रिदिब चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सामान्य डाक से पत्र और डाक की मदें भेजने जैसी सामान्य डाक-सेवा यदि अवर्णनीय सीमा तक बिगड़ गई है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं जिसने कोई गैर-कानूनी काम किया हो और यदि कोई निजी 'कोरियर' सेवा पत्रों और संदेशों के वितरण में शीघ्रता सुनिश्चित करती है तो इसमें क्या हानि है ? जब तक सामान्य डाक-सेवाओं में सुधार करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तब तक वह इन्हें कैसे रोक सकती है ? तार सात-सात दिनों तक वितरित नहीं किये जाते हैं। यहां से कलकत्ता अथवा बम्बई की सामान्य डाक को चार दिन लगते हैं। अतः जब तक सरकार इन बातों में सुधार नहीं करती है तब तक उसके लिये इन्हें रोकने का कौन-सा रास्ता खुला हुआ है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : इस विभाग में कार्यकुशलता लाने के लिये माननीय सदस्य के विचारों की मैं सराहना करता हूं और मैं इस बात के लिये सहमत हूं कि अभी काफी कुछ करना शेष है। परन्तु जहां तक एक समानान्तर डाक सेवा चलाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह बात भारतीय डाक अधिनियम की भावना और जिस प्रयोजन के लिये इस अधिनियम को लागू किया था, उसके अनुरूप नहीं होगी। अब विभाग स्वयं इस प्रकार की सेवा की कोई प्रणाली प्रतिपादित करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करता रहा है ताकि इस राजधानी से प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में वहां पर दूसरी पार्टी को बारह अथवा चौबीस घंटों में पत्र उपलब्ध करा दिया जाये आदि। हम वैसी ही योजना प्रतिपादित कर रहे हैं और मुझे आशा है कि मैं इस बारे में कुछ कर सकूंगा। जहां तक अन्य पहलू का सम्बन्ध है, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो इस विशेष डाक-प्रणाली की प्रक्रिया में सहायक हैं। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न स्तरों पर डाक संभालते हैं और इससे बहुत कठिनाई होती है। परन्तु देश में सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरण के सुधरने के साथ-साथ इस विभाग की खराब होती जा रही स्थिति भी रुक जायेगी और इसके पश्चात् हमें अच्छी सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री के० सूर्य नारायण : मंत्री महोदय ने ऐसी कुछ फर्मों का नाम लिया है जो भूमिगत डाकघरों के इस कदाचार में अन्तर्ग्रस्त थीं। इस कार्य में कितने लोगों का हाथ है ? क्या ये फर्में पंजीकृत हैं अथवा नहीं ? या कि किन्हीं पूंजीवादी कम्पनियों ने ये सुविधायें प्रदान करना आरम्भ किया है ? इन फर्मों से सम्बन्धित लोगों के हमें नाम बताये जायें, अन्यथा जब तक उन पर मुकदमा चलेगा तब तक वे फर्में अन्य रूप में परिवर्तित हो जायेंगी और वहां कोई नहीं मिलेगा। अतः मंत्री महोदय उन व्यक्तियों के नाम बतायें जिनका इस कदाचार में हाथ है और कि क्या इसमें किन्हीं सरमायेदारों का हाथ है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैंने फर्मों के नाम बता दिये हैं। मेरे पास इन फर्मों के हिस्सेदारों के नाम नहीं हैं, इसलिये मैं विस्तृत ब्यौरा इस समय नहीं दे सकता।

श्री के० सूर्यनारायण : उन्होंने इन फर्मों के नाम तथा पते दिये हैं। अतः वह हमें उन लोगों के नाम भी बता सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि इसमें कितने व्यक्तियों का हाथ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अत्याधिक विस्तृत ब्यौरा मांग रहे हैं। वह इसके अलग से प्रश्न की सूचना दें, मंत्री महोदय एक दम तो सही जानकारी नहीं, दे सकते।

Shri Jagannath Rao Joshi : It is for the hon. Minister to see as to what is illegal in it but such things happened only when they are conveniently done. I myself received a letter of 19th August, on 5th December. I don't know where did it remain for such a long period. I have sent it to the hon. Minister to investigate as to where it remained for 2 months. But again two months have elapsed and I have yet to get a reply from the hon. Minister. So where as the hon. Minister should check illegal things, he should ensure efficiency in his own postal system as well. If he has tried it, how far has he been successful ?

Shri S. M. Banerjee : If the address is wrong, it is sure to happen like that.

Shri H. N. Bahuguna : I am getting it investigated as to where did Shri Joshi's letter remain for such a long period. All the stations through which it passed will have to be checked and obviously, it will take time. I admit that these under ground postal offices are working on the plea that they would deliver your letters faster. As I have said, we are reviewing our postal system with the object of delivering the dak within a specified time failing which the responsible department will pay the postal expenses.

Shri Ram Chandra Vikal : May I know since when this illegal system is going on and when the Government came to know about it ?

Shri H. N. Bahuguna : It was noticed in November, 1969 and immediately the case was entrusted to the C.B.I. The C. B. I. after investigation, in 1971 told as to what complications would arise if we do something. In 1971, we filed this case in Bombay Presidency Court as advised by the C. B. I. Thus two prong action is being taken in the matter.

गोआ, दमण और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

*30. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** गोआ, दमण और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों के बारे में दिनांक 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्री से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). मामले पर अभी विचार किया जा रहा है। संवीक्षा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा।

श्री जी० विश्वनाथन : हमने चुनाव अभियान के दौरान समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार पढ़े थे कि जब प्रधान मंत्री ने गोआ में कुछ बैठकों में भाषण दिया तो उन्होंने मुख्य मंत्री पर कुछ आरोप लगाये थे। क्या वे आरोप भ्रष्टाचार के हैं यदि हां, तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने कोई आरोप नहीं लगाये। हालांकि मुझे उन धन-नियतनों के बारे में

मालूम है जैसा कि आपने बताया है उनकी जांच की जा रही है। मैंने तो यह कहा था कि जो कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने थे वे नहीं किये गये अर्थात् स्वीकृत कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किये गये। इसका भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं है। यह इस कारण था कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं था और वह इसे पारित कराने के लिये विधान सभा की बैठक नहीं बुला सकते थे। ऐसी ही कुछ बातें थीं।

श्री त्रिदिब चौधरी : व्यवस्था के प्रश्न पर ...

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं आपके निर्णय को जानता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हम यही प्रक्रिया चलाते आ रहे हैं। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए।

श्री त्रिदिब चौधरी : इस में संवैधानिक औचित्य संबंधी गंभीर प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। गोवा के मुख्य मंत्री चुनावों में सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध भारी बहुमत से विजयी हुए थे। अब यदि यह सभा इस बारे में यहां चर्चा करे तो सर्वथा अनुचित होगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : हरियाणा की भांति।

श्री त्रिदिब चौधरी : अनेक अन्य राज्यों के बारे में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों को अनुमति मत दीजिये क्योंकि इसका अर्थ संवैधानिक औचित्य का उल्लंघन कहा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आगे ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रश्न पूछने वाले सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है। हां, जब उन्होंने उस प्रश्न की सूचना दी तब अल्पमत था बहुमत का कोई प्रश्न नहीं था, यह प्रश्न बहुत पहले प्राप्त हुआ था और हमें परिणामों के बारे में मालूम नहीं था ?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह आपका निर्णय है कि यदि किसी मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त है तो उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का प्रश्न यहां नहीं उठाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय नहीं है। सम्मान के तौर पर, मैं इससे सहमत नहीं था क्योंकि वह फिर मुख्य मंत्री बने हैं और लोगों ने उनके समर्थन में मत दिया है। मेरा कहना है कि इस विचार से माननीय सदस्य अपने इस प्रश्न के संबंध में और आगे विवाद नहीं करेंगे। परन्तु यदि उनके विरुद्ध कोई आरोप है, तो मेरा विचार है कि तो भी इस संबंध में इस सभा में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता भले ही वह पुनः मुख्य मंत्री चुने गये हों। मेरा मत है कि सम्मान की दृष्टि से इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाये।

मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव

*31. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए योजना आयोग ने कुछ सुझाव दिये थे और यदि हां, तो कौन-कौन से मुख्य सुझाव दिये गये हैं और उन सुझावों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उन सुझावों के क्रियान्वयन से बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में कितनी सफलता मिली है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). मूल्य स्थिर बनाये रखने तथा जनसमुदाय के निर्बल वर्गों को आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यविधि का निश्चय करने के लिए, योजना आयोग के अनुरोध पर सरकार, सरकारी तथा गैर-सरकारी दलों का गठन करती है ।

Shri Amar Nath Chawla : Where did the Planning Commission put forth this suggestion and since when have these groups been working ? Have there been any check on the prices as a result of the working of these groups and if so, can he cite any instance in this regard ?

श्री मोहन धारिया : चौथी योजना पर विचार करते समय इन सब बातों पर भी ध्यान दिया गया था और उस समय योजना आयोग ने इस संबंध में कई समितियां गठित करने का सुझाव दिया था क्योंकि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन सहित कई ऐसे मामले थे जिन पर विचार किया जाना था और इसके अतिरिक्त वितरण जैसे भी कई मामले थे । अत: इस दृष्टि से योजना आयोग ने उक्त सुझाव दिये थे और सरकार उन सुझावों के अनुसार कार्य कर रही है ।

Shri Amar Nath Chawla : Government is acting on those suggestions ; but I want to know whether any groups are working at present or not ?

श्री मोहन धारिया : वे हमारे सुझावों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और हमने यह भी सुझाव दिया है कि क्षेत्रीय असमानताओं के प्रश्न सहित उत्पाद तथा वितरण संबंधी मामलों की देख-रेख के राष्ट्रीय स्तर का एक निकाय गठित किया जाना चाहिए ।

Shri Bibhuti Misra : In this context, may I know how many of them look after the interests of the farmers ? Prices of the farmer's produce like wheat, rice etc. are falling and consequently there is discontentment among the farmers. So, have any instructions been given to this body in this connection ?

श्री मोहन धारिया : हमने इस पहलू पर भी विचार किया है और हमें विश्वास है कि यदि हम अधिकाधिक अन्न पैदा करना चाहते हैं तो हमें उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी ही होगी और इस संबंध में सावधानी बरती जा रही है ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister just now stated that committees have been constituted. But prices are shooting throughout the country. I want to know whether immediate steps are being taken in this direction so as to check the prices and ensure availability of consumer goods and other commodities to people at cheaper rates ?

श्री मोहन धारिया : मैंने बताया है कि अभी अभी समितियां गठित की गई हैं। औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ाये बिना मूल्यों को नीचे लाना संभव नहीं होगा और इसीलिये योजना आयोग ने कई कार्यकारी-दल गठित किये हैं, और हम आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं और इसी से मूल्य कम करने में सहायता मिलेगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar: In the country prices of the commodities other than food-grains are also fixed by the producers themselves. May I know whether the representative of farmers will also be included in the Agriculture Prices Commission so that they are able to get the prices of their produce fixed ?

श्री मोहन धारिया : अब कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि भी हैं और आवश्यक वस्तुओं के बारे में सरकार की नीति न केवल खाद्यान्नों बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं की वसूली करने तथा उन्हें देश के कमजोर वर्ग को उनकी आवश्यकतानुसार वितरित करने की भी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि चीनी के मूल्यों में इतनी असामान्य वृद्धि के क्या कारण हैं जब कि इसका रिकार्ड भण्डार रहा है ?

श्री मोहन धारिया : सभा को ज्ञात है कि जहां चीनी का उत्पादन गत वर्ष 42 लाख टन था वहां इस वर्ष घट कर 35 लाख टन हुआ है। एक प्रमुख कारण तो यह है। परन्तु हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन बढ़े ताकि अगले वर्ष तक मूल्य नीचे लाये जा सकें **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai: The prices have gone up since you collected large amounts of money as donations. Even the prices of cloth and paper have also gone up.

श्री मोहन धारिया : मैं इसका खण्डन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। अगला प्रश्न।

टायर कारखानों के लिए तकनीकी जानकारी की खरीद

*32. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए टायर कारखानों के लिए विदेशों से सीधे तकनीकी जानकारी की खरीद हेतु एक नई संस्था की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) से (ग). एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने तथा आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों के उत्पादन संबंधी केन्द्रीकृत जानकारी का विकास करने की एक योजना पर राज्य और केन्द्रीय दोनों सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है। किन्तु अभी तक विदेशी सहयोगी जिसके साथ इस दिशा में बातचीत की जा सके के सम्बन्ध में विवरण तैयार नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं यह समझूं कि इन वर्षों के दौरान हमने मोटर गाड़ियों के टायरों के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी का विकास नहीं किया है और हमें अब भी विदेशी सहयोग पर आश्रित रहना पड़ रहा है ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : टायरों का निर्माण करने वाली अधिकांश कम्पनियां विदेशी हैं और वे अपने तकनीकी जानकारी देना नहीं चाहतीं। कुछ मामलों में तो उनकी तकनीकी जानकारी उचित स्तर की भी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें बताया गया है कि टायरों के निर्माण में देश आत्म निर्भर हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या साइकलों तथा मोटर गाड़ियों आदि के रबड़ के टायरों के निर्माण संबंधी तकनीकी जानकारी एक ऐसा पेचीदा मामला है कि हम इसका विकास अपने निजी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक स्रोतों से नहीं कर सकते ? यदि नहीं, तो हम सहयोग करार करने के बजाय सीधे ही इस तकनीकी जानकारी का क्रय क्यों नहीं कर लेते ? हम इसका क्रय कर सकते हैं तथा विदेशी सहयोगों पर और आगे निर्भर न रहें।

श्री मोइनुलहक चौधरी : मैं कह चुका हूं कि डनलप, गुडईयर, फायरस्टोन आदि टायर निर्माण करने वाली वर्तमान कम्पनियां विदेशी हैं और वे अपनी तकनीकी जानकारी नहीं देती हैं। जब नई कम्पनियां, जिन्हें हमने आशय पत्र जारी किये हैं तकनीकी जानकारी मांगती है तो वे यह मांग करती हैं कि उन्हें विस्तार करने की अनुमति दी जाये, और यह बात हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः हम दो तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। हम स्वयं तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य कम्पनियों को कह रहे हैं कि वे विदेशी कम्पनियों के सहयोग से इसे प्राप्त करें ताकि विदेशी कम्पनियों से हमारे आशय पत्र धारी कम्पनियां यह जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरे केन्द्रीकृत तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु हम स्वयं एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम तकनीकी जानकारी के मामले में किसी अन्य पर निर्भर न रहें क्योंकि यह एक विकासशील क्षेत्र है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : "केन्द्रीकृत जानकारी" से क्या अभिप्राय है ? या तो आपको यह देश में ही उपलब्ध हो अथवा फिर आप किसी बाहरी देश पर निर्भर रहें ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : हम इसे अपने निजी संयुक्त उपक्रम में प्राप्त करना चाहते हैं और हम इस जानकारी को अन्य भारतीय कम्पनियों को प्रदान करना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार संघी : मंत्री महोदय कहते हैं टायर कम्पनियां विदेशी कम्पनियां हैं तथा वे अपनी जानकारी दूसरों को नहीं देना चाहतीं। यह बड़े शर्म की बात है। सरकार इन विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देती।

श्री मोइनुलहक चौधरी : राष्ट्रीयकरण से तो नवीनतम जानकारी नहीं मिल जायेगी। विश्व भर के टायर उद्योग में रेडियल टायरों आदि की तरह के अनेक विकास हुए हैं। कुछ कम्पनियां इनमें से कुछ का उत्पादन नहीं कर रही हैं। अतः राष्ट्रीयकरण से हमारी दैनिक समस्यायें हल नहीं होंगी जो कि एक विकासशील देश में पैदा हुआ करती हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : कुछ संसद सदस्यों द्वारा वर्ष 1955 में प्राप्त की इस जानकारी के अनुसार कि पूना स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में इस क्षेत्र संबंधी तकनीकी जानकारी पूरी तरह प्राप्त कर ली गई है परन्तु विदेशी पूंजी से संबंधित कुछ निहित स्वार्थ इस उपलब्धि के बीच में रोड़े अटका रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि 17 वर्ष बीतने के बाद भी हम इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सके जिससे कि हम इस उद्योग से इन अपकारक स्वार्थी विदेशी कम्पनियों को खदेड़ सकें ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं स्पष्ट रूप से श्री मुखर्जी की बात स्वीकार करता हूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे पास ऐसी तकनीकी जानकारी है। मैं बहुत कृतज्ञ हूंगा यदि वह यह जानकारी मुझे दे दें ताकि मैं इसका उपयोग देश के लिये कर सकूं।

पंजाब ब्रूअरी में उत्पादन

*33. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब ब्रूअरी में आगामी नवम्बर, में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तथा वहां सस्ती बीयर बनेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कम्पनी ने सूचित किया है कि इस वर्ष के अंत तक ब्रूअरी परीक्षण उत्पादन के लिए तैयार हो जायेगी तथा इसके पश्चात् दो-तीन महीने में इसमें नियमित रूप से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा। कम्पनी का विचार है कि उनके द्वारा निर्मित बीयर का मूल्य बाजार में इस समय प्रचलित किस्म की बीयर के अनुकूल ही होगा।

छोटी कार परियोजना

\+
*34. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कारों के निर्माण के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) क्या इन कारों को गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाया जायेगा अथवा सरकारी क्षेत्र में अथवा दोनों में ही बनाया जायेगा ; और

(ग) क्या इनका निर्माण विदेशी सहयोग से होगा, और यदि हां, तो किस देश के सहयोग से ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) से (ग). एक विवरण लोकसभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने परीक्षित विदेशी नमूने यात्री गाड़ियां बनाने का एक एकक जिसकी प्रारंभिक क्षमता 50000 प्रतिवर्ष होगी सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का सिद्धान्तरूप में निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त पांच एककों को औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आशयपत्र दिए गए हैं तथा तीन एककों को गैर-सरकारी क्षेत्र में यात्री गाड़ियों का निर्माण करने हेतु पंजीकरण कराने के लिए आशयपत्र दिए गए हैं। यह आशयपत्र अन्य बातों के साथ साथ, इन शर्तों पर दिए गये हैं कि किसी भी विदेशी सहयोग अथवा परामर्श की अनुमति नहीं दी जायेगी। न ही पूंजीगत माल, अन्तर्वस्तुओं/कच्चे माल का आयात करने दिया जायेगा। यदि देश में सामान्यरूप से कच्चामाल उपलब्ध न होगा तो अस्थायी कमी की स्थिति में उस समय प्रवृत्त आयात नीति के अनुसार आयात की जा सकेगी। सरकारी क्षेत्र की परियोजना में विदेशी सहयोग लेने का विचार है। निर्माण की जाने वाली कार के नमूने तथा सहयोग पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

Shri Ram Sahai Pandey : The Statement is before us. The hon. Minister says that they have accepted it in principle that the Public Sector should produce 50 thousand cars a year. But he has not stated when ? Then he says that letter of intent has been issued.

Mr. Speaker : Please put your question.

Shri Ram Sahai Pandey : I want to know when the production will commence. Would we be able to see those cars on the road during his tenure or not ? None knows when his portfolio is changed.

श्री मोइनुलहक चौधरी : यह प्रश्न तो प्रधान मंत्री से किया जाना चाहिये क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कल भी मंत्री रहूंगा कि नहीं।

छोटी कार बनाने का निर्णय सरकार ने 10-8-70 को लिया था। जैसा कि मैं आज पहले कह चुका हूं दो महीने में हम सरकारी क्षेत्र की परियोजना से संबंधित कार्य को अन्तिम रूप दे देंगे।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मंत्री महोदय सभा में यह बता सकेंगे कि कम से कम वर्ष 1980 तक किस तारीख, महीने या वर्ष में छोटी कारें सड़कों पर पहुंच जायेंगी ? इस बारे में हम गत दस वर्ष से सुनते आ रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में छोटी कारें बनेंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न चाहे छोटी कार परियोजना का हो या किसी अन्य का, अनुपूरक प्रश्न बिलकुल छोटे-छोटे होने चाहियें।

श्री मोइनुलहक चौधरी : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता का अनुभाव करता हूं। मैं स्वयं इस बात से अप्रसन्न हूं कि इस प्रश्न पर गत अनेक वर्षों से विचार किया जा रहा है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, सरकार ने छोटी कारों का निर्माण करने का निर्णय गत 10-8-70 को लिया था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लगभग दो महीनों में मैं एक नमूने तथा इसकी सारी जानकारी की घोषणा कर सकूंगा। जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है वह इस संबंध में निर्णय ले चुका है। अब इस प्रश्न पर मंत्रि मंडल का निर्णय होना बाकी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े उद्योगों का पुनः खोला जाना

*22. **श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े उद्योगों में से कितने पुनः खुल गये हैं ; और

(ख) क्या उद्योगों को खोलने के लिये किसी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हरियाणा के विपक्षी दलों द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री और मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन

*24. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **प्रधान मंत्री** हरियाणा के मुख्य मंत्री तथा मंत्रियों के विरुद्ध संसद् सदस्यों और विधायकों द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन के बारे में 1 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2350 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). श्री भगवत दयाल शर्मा तथा हरियाणा विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को दो ज्ञापन मई, 1969 तथा जुलाई, 1969 को प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशी लाल तथा अन्य के विरुद्ध कतिपय आरोप समाविष्ट थे । सावधानी से जांच करने के बाद, इन ज्ञापनों में समाविष्ट आरोप साबित हुए नहीं पाये गये थे ।

श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को श्री बी० डी० शर्मा, संसद् सदस्य तथा कुछ अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था । श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1972 को एक दूसरा ज्ञापन भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री बंसी लाल तथा अन्यों के विरुद्ध कतिपय आरोप समाविष्ट थे । ये दोनों ज्ञापन जांचाधीन हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की शर्तें

*29. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सतर्कता आयुक्त द्वारा अपनी पदावधि के पश्चात् केन्द्रीय अथवा राज्य

सरकारों के अधीन किसी पद को स्वीकार किये जाने पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध में ढील दे कर उसकी नियुक्ति की शर्तों में संशोधन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। मूल संकल्प को संशोधित करने वाली अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1415/72**]

(ख) सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा गया था।

संविधान के अनुच्छद 370 को समाप्त करना

*35. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री बी० वी० नायक :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बारे में विचार किया है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन में वृद्धि

*36. **श्री सरजू पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को बढ़ा.हुआ वेतन मिलेगा।

(ख) यदि हां, तो वह कितना ; और

(ग) इस निर्णय के प्रति आर्टिस्ट यूनियन की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1416/72**]

औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों का कार्यकरण

*37. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से कारखानें हैं जो आरम्भिक चरण पार कर लेने के बाद भी न हानि न लाभ वाली स्थिति प्राप्त करने में असफल रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के अलाभकारी कारखानों के चलाये रखने के प्रश्न पर विचार किया है और, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फालतू क्षमता का उपयोग करने के लिए लाइसेंस नीति का उदार बनाया जाना

*38. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाइसेंस नीति को और अधिक उदार बनाने का है जिससे कि उद्योगपति अपनी फालतू क्षमता का उपयोग कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस समय देश में स्थापित औद्योगिक क्षमता से पहले से लगी पूंजी और विदेशी मुद्रा का और अच्छा उपयोग करने और संगठित क्षेत्र के उद्योगों की वर्तमान धीमी गति को तेज करने तथा उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिये सरकार 54 विशिष्ट उद्योगों/औद्योगिक उपक्रमों, जिन्हें एक या दो पाली में कार्य करने के लाइसेंस/पंजीकरण की अनुमति दी गयी थी, को इस प्रकार क्षमता की अधिकतम उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी तथा अन्य मामलों में जहां औद्योगिक उपक्रम को पालियों की संख्या बताये बिना लाइसेंस दिये गये थे ; को दिये गये लाइसेंस/पंजीकरण की क्षमता से कुछ शर्तों के पूरी होने पर 100 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है । बड़े औद्योगिक गृह और विदेशी कम्पनियां सामान्यतया इन रियायतों के लिये अर्ह नहीं होंगे । फिर भी उनके मामलों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये औद्योगिक विकास मन्त्रालय में विशेष रूप से गठित 'कार्य दल' (टास्क फोर्स) द्वारा विचार किया जायेगा और सिफारिशें की जायेंगी ।

लेम्ब्रेटा स्कूटर संयंत्र का इटली से भारत में स्थानान्तरण

*39. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेम्ब्रेटा स्कूटर बनाने वाली इटली की "इन्नोसेन्टी" नामक फर्म ने अपने सम्पूर्ण संयंत्र को भारत में स्थानान्तरित करना तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजना के अन्तर्गत इस देश में स्कूटरों का निर्माण प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और यह संयंत्र कहां स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : (क) इटली की मैसर्स इन्नोसेन्टी कम्पनी ने अपनी सारी मशीनरी और संयंत्र लेम्ब्रेटा स्कूटर बनाने हेतु बेचना 'जैसी है और जहां है' के आधार पर स्वीकार कर लिया है तथा वह भारत में स्थापित होने वाली प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी में जिसमें कि भारत सरकार के अधिक शेयर होंगे में इक्विटी शेयर भी रखेगी ।

(क) संयंत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैसर्स इन्नोसेन्टी से होने वाले करार की शर्तों पर वार्तालाप अन्तिम स्थिति पर है ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र

*40. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में लगभग 13.70 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी वाले औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए राज्य उद्योग और खान संसाधन बोर्ड ने वर्ष 1971 के दिसम्बर महीने में उद्यमियों के 15 आवेदन-पत्र केन्द्र सरकार को भेजे थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनपर क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : जी, नहीं । दिसम्बर, 1971 के महीने में राज्य उद्योग तथा खनन संसाधन के राज्य बोर्ड से ऐसा कोई आवेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाचार-पत्रों पर 10 पृष्ठों सम्बन्धी प्रतिबंध

191. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों पर 10 पृष्ठ का प्रतिबन्ध लगाने के कारण, समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों में कमी हो गई है ;

(ख) क्या समाचारों तथा विज्ञापनों में कोई अनुपात निश्चित किया गया है और क्या इसका पालन भी किया जा रहा है ; और

(ग) पाठकों के हितों की सूरक्षा करने के लिए और दस पृष्ठ के समाचार-पत्र में पूरी खबरें सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 10 पृष्ठ का प्रतिबन्ध लगने पर उन समाचार-पत्रों ने, जो 10 से अधिक पृष्ठ छापते थे, पृष्ठों की संख्या कम कर दी, परन्तु समान रूप से नहीं। प्रत्येक समाचार-पत्र द्वारा वास्तव में कम की गई संख्या अलग-अलग है। इसी तरह समाचारों के बारे में भी इस श्रेणी के विभिन्न समाचार-पत्रों ने अलग-अलग रुख अपनाया है। जबकि कुछ समाचार-पत्रों ने समाचारों के अनुपात को बढ़ाया है तो कुछों ने कम किया है। तथापि, समाचारों को दिये जाने वाले स्थान के अनुपात में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में घातक शराब के मामले की न्यायिक जांच

192. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जहरीली देशी शराब के पीने से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में न्यायिक जांच के निष्कर्ष पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अपराध की रोक-थाम में पुलिस की गलतियों के बारे में जांच समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या जांच के निष्कर्षों के अनुमान में राजधानी में शराब के चोरी-छिपे बेचे जाने को दृष्टिगोचर करने के लिए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में नियुक्त जांच आयोग की रिपोर्ट 13 मार्च, 1972 को दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हो गई हैं। आयोग ने आबकारी तथा पुलिस प्राधिकारियों की भूल तथा गलतियों पर अपने निष्कर्ष दिये हैं। पुलिस की गलतियां इस बात से सम्बन्ध रखती हैं कि यह देखने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गये हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी आबकारी कानून के अन्तर्गत निम्न स्तर पर हुए अपराध से उदासीन होकर अपने क्षेत्रों का गश्त करते हैं और आबकारी कानून के अन्तर्गत अपराध की रोक-थाम तथा जांच के कार्य को अप्रधान कार्य समझते हैं। उन्होंने, आबकारी कानून के उल्लंघन के विरुद्ध जनता द्वारा की गई शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। प्रतिवेदन, जो विस्तृत हैं, प्रशासन के विचाराधीन है।

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

193. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये विशिष्ट सहायता योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है उनकी रूप रेखा क्या है और उद्योग किन किन क्षेत्रों में लगाये जा रहे हैं ; और

(ग) उत्पादन शुरू होने पर इन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सरकार ने ऐसे जिलों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को चलाने के लिये वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त स्वीकृत करने के लिये कुछ जिलों को चुना है। इस प्रयोजन के लिए राजस्थान से चुने गये जिलों में हैं—अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चुरु, डुगरपुर, जैसलमेर, जैलोर, झुंझनू, झालावाड़, जोधपुर, नागपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर। इनके अलावा दो जिलों अलवर और जोधपुर को नये एककों को स्थापित करने या विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिये 50 लाख रुपये उनके अचल पूंजी विनियोजन में 10 प्रतिशत की केन्द्रीय, सहायता तक राशि देने के लिए चुना गया है। [**विवरण ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1423/72**] इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्तीय संस्थाओं जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवैस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया के सहयोग से राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण करके राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों की वास्तविक स्थापना मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा पहल की जाने और राज्य अभिकरणों द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगा।

पाकिस्तान समर्थकों की पश्चिमी बंगाल में घुसपैठ

194. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान समर्थकों ने बहुत अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता जलपईगड़ी तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की है और उनके हमदर्द उन्हें गिरफ्तार होने से बचा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें ऐसे पाकिस्तानी समर्थकों का पता लगाने और उन्हें पुलिस को सौंपने के बारे में जनता द्वारा सरकार से सहयोग करने का अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस अपील का क्या परिणाम निकला और अब तक कितने पाकिस्तानी समर्थक गिरफ्तार किये गये हैं और पाकिस्तान समर्थकों को छिपने में सहायता करने पर कितने लोगों को पकड़ा गया तथा पाकिस्तान समर्थकों और उनके सहयोगियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पुलिस को और अधिक सुविधाएं देने के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता

195. **श्री वयालार रवि :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य पुलिस को अच्छे परिवहन तथा संचार उपकरणों से सुसज्जित करने तथा पुलिस कर्मचारियों को और अधिक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपनी पुलिस को आवश्यक परिवहन, संचार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना मूलतः राज्य सरकारों का कार्य है, किन्तु उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा उसकी दक्षता तथा कार्य संचालन के सुधारने में सहायता करने की इच्छा के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के मकान बनाने के लिये 1956 के पश्चात् से अब तक जब से पुलिस के लिये मकान बनाने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की योजना आरम्भ हुई थी 196.91 लाख रुपये की रकम दी है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों में वाहन, वायरलैस उपकरण तथा अन्य मदों के खरीदने के लिये 28.75 लाख रुपये की एक और रकम ऋण एवं अनुदान सहायता के रूप में राज्य सरकार को दी गई है। 1972-73 में दो योजनाओं के अन्तर्गत धन के नियतन के समय राज्य सरकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायगा ।

केरल के तटीय क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्ति की गई समिति का प्रतिवेदन

196. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या मुख्य निष्कर्ष हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जनसंख्या सम्बन्धी आकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि पहले के सामान्य विकिरण से प्रभावित होने वालों की तुलनाओं में विभिन्न स्तर के विकिरण प्रभाव के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न जनवर्गों के न तो प्रजनन सूचकांक में, न नवजात शिशुओं के अनुपात में (लड़का-लड़की की दृष्टि से), न बालमृत्यु की दर में, न गर्भ निरोध में, न जुड़वा बच्चे होने में और न ही इस संदर्भ में किसी जबरदस्त असामान्यता का कोई संकेत मिला है ।

सुलभ आंकड़ों के आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह पता चल सके कि इस क्षेत्र में उच्च विकिरण का प्रयोग बच्चों सहित जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ।

फिर भी सांख्यकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण, किसी भी अन्तर का पता लगाने के लिये व्यापक अध्ययन करने होंगे जिनमें अतिरिक्त प्राचल भी सम्मिलित हैं ।

जिला पालामऊ, बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

197. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पालामऊ जिले में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ;

(ख) 1 नवम्बर, 1971 को सरकार के पास टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 31.12.1971 को 328.

(ख) 1.11.1971 को 28.

(ग) कनेक्शन देने के लिए कार्रवाई की जा रही है और आशा है कि प्रतीक्षा सूची में से काफी लोगों को 31 मार्च, 1972 तक कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

डाल्टनगंज-पटना टेलीफोन लाइन

198. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपका ध्यान 21 अक्तूबर, 1971 के बिहार के साप्ताहिक 'हाल्दर' में छपी उस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें डाल्टनगंज में पटना (बिहार) और डाल्टनगंज से रांची टेलीफोन लाइन के बारे में शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो डाल्टन गंज की टेलीफोन लाइनों के सुधार के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इस क्षेत्र में तांबे के तार की बार-बार चोरी होने के कारण डालटनगंज से रांची तक की लाइन ठीक तरह से काम नहीं कर रही है । तारों की चोरी की वजह से डालटन गंज से पटना तक की लाइन भी चालू हालत में नहीं है और अब यह लगातार खराब रहती है ।

(ख) तांबे के तारों को बदल कर शीघ्र ही ए० सी० एस० आर० लगाने के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

ब्रिटेन तथा स्वीडन के द्वारा भारत को विद्युत उपकरणों की सप्लाई

199. **श्री बक्शी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और स्वीडन भारत को विद्युत उपकरण सप्लाई करने के बारे में सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कारों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना

200. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की दृष्टि से सरकार एक विधान अथवा संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : सरकार द्वारा मामले की जांच और उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

गुजरात में तापीय परमाणु बिजलीघर की स्थापना

201. **श्री वेकारिया :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में तापीय परमाणु बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). सरकार उत्तरी, पश्चिमी तथा विद्युत क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघरों की सम्भावनाओं पर जांच कर रही है। सरकार ने एक स्थल चयन समिति का गठन किया है जो पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों के चुनाव के विषय में जांच कर रही है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तथा सरकार द्वारा विचार किये जाने के पश्चात, परमाणु बिजलीघरों के सुनिश्चित स्थानों के सम्बन्ध में भविष्य में निर्णय किया जा सकेगा ।

विदेशी सहायता बन्द होने के कारण आयातित वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं की खोज

202. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सहायता बन्द होने के

कारण औद्योगिक उत्पादन में पड़ने वाली किसी बाधा को रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने आयातित वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं की गम्भीर खोज करनी आरम्भ कर दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी हां। आत्म-निर्भरता और देशीय पूर्णता प्राप्त करने के लिये आयात प्रतिस्थापन के कार्यों को गहन किया जा रहा है।

Setting up of an Atomic energy centre at Naraura (UP)

203. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether the construction work in respect of Atomic Energy Centre to be set up at Naraura (Uttar Pradesh) has been started ; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir.

(b) The Site Selection Committee appointed by the Government has submitted its Interim Report on the Northern electricity region and the same is under study. Construction work at the site selected can be taken up only after Government have considered the Report keeping the national objectives and resources in mind.

पश्चिमी बंगाल में पाए गए चीनी हथियार

204. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा जब कुछ अपराधियों को 1970 और 1971 में पकड़ा गया था तो उनसे चीनी हथियार बरामद हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके कब्जे से ये हथियार कैसे बरामद हुये ; और

(ग) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे गुप्तचर विभाग को इस बात की जानकारी थी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 1970 वर्ष के दौरान राज्य में कोई चीनी हथियार नहीं मिला। सन् 1971 में निम्नलिखित चीनी हथियार पकड़े गये :–

(I) पिस्तौल	—	2
(II) हल्की मशीनगन	—	1
(III) सब-मशीनगन	—	1

(ख) पिस्तौलें सम्बन्धित व्यक्तियों, जिनमें से एक उग्रपंथी था तथा दूसरा तस्कर, की तलाशी के समय पाई गई थीं। हल्की मशीनगन तथा सब-मशीनगन कलकत्ता पुलिस द्वारा बरामद की गई जिनका कोई दावेदार नहीं था।

(ग) जी हां, श्रीमान्। सीमान्त क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

औद्योगिक लाइसेंस देना

205. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से लेकर अब तक उद्योगवार, वर्षवार तथा राज्यवार अलग-अलग कुल कितने एन वी, एस ई, एन ए सी ओ वी तथा शिफटिंग औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और जिन व्यक्तियों को यह लाइसेंस जारी किए गए थे उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि में वास्तव में, उद्योगवार तथा राज्यवार कितने नये उपक्रम स्थापित किये गये ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में लगाये गये नये उपक्रम में वर्षवार कितना कुल और शुद्ध नया पूंजी निवेश किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 1969-1970-1971 के वर्षों में विभिन्न प्रकार के जारी किये गये लाइसेंसों को बताने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1417/72**] इन लाइसेंसों के विवरण जिनमें लाइसेंस प्राप्त कर्त्ता का नाम भी सम्मिलित है, वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एंड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज, वीकली इण्डिया ट्रेड जनरल तथा मन्थली जनरल आफ इंडस्ट्री ऐण्ड ट्रेड में प्रकाशित किये जाते हैं इनकी प्रतियां पार्लियामेंट संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। यह देखा गया है कि नये उपक्रम की स्थापना में लाइसेन्स जारी होने की तिथि से लगभग दो या तीन वर्ष का समय लग जाता है। जिन पार्टियों को 1969 में लाइसेन्स दिये गये हैं वे अपने उपक्रमों की स्थापना में लगी होंगी यह आशा की जाती है। अतएव स्थापित किये गये उद्योगों की संख्या और उनमें लगी पूंजी निवेश के बारे में पता लगाना समय पूर्व होगा।

अखबारी कागज की उपलब्धता तथा उसका आवंटन

206. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1970-71 और 1971-72 के दौरान कुल कितना अखबारी कागज उपलब्ध हुआ ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान उपलब्ध कुल अखबारी कागज में से कितनी मात्रा का देश में उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ग) वर्ष 1965-66, 1970-71 और 1971-72 के दौरान सात एकाधिकारी समाचार-पत्रों, अर्थात् दी हिन्दुस्तान टाइम्ज, दी इंडियन एक्सप्रेस, दी स्टेट्समैन, दी आनन्द बाजार पत्रिका, दी टाइम्ज आफ इंडिया, दी हिन्दू और दी अमृत बाजार पत्रिका को कितना-कितना अखबारी कागज आवंटित किया गया ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में मध्यम तथा छोटे स्तर के समाचार-पत्रों को कितने अखबारी कागज का आवंटन किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). वर्ष 1965-66, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान उपलब्ध हुआ अखबारी कागज (देशी तथा आयातित) इस प्रकार है :—

	नेपा (मीटरी टन)	**आयातित** (मीटरी टन)	**कुल** (मीटरी टन)
1965-66	30,347	85,251	1,15,598
1970-71	40,000	1,40,000	1,80,000
1971-72	30,000	1,76,400	2,06,400

(ग) तथा (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	**समाचार पत्र का नाम**	**आवंटित अखबारी कागज (मीटरी टनों में)** 1965-66	1970-71	1971-72
1.	हिन्दुस्तान टाइम्ज, नई दिल्ली	3,104.01	4,824.67	4,990.77
2.	स्टेट्समैन, कलकत्ता	3,029.48	4,786.86	4,953.88
	स्टेट्समैन, नई दिल्ली	923.88	1,788.60	2,027.55
3.	हिन्दू, मद्रास	3,809.88	4,394.40	4,547.31
	हिन्दू, बंगलौर	—	694.72	805.63
	हिन्दू: कोयम्बतूर	—	995.13	1,129.93
4.	इंडियन एक्सप्रेस, मदुराई	1,449.92	2,550.25	2,766.48
	इंडियन एक्सप्रेस, विजयवाड़ा	997.89	1,963.12	2,129.59
	इंडियन एक्सप्रेस, बंगलौर }	1,190.04	2,041.83	2,215.00
	इंडियन एक्सप्रेस, मद्रास }		1,662.76	1,803.84
	इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली	1,782.88	2,702.01	2,931.34
	इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई	1,960.44	3,353.29	3,485.15
	इंडियन एक्सप्रेस, अहमदाबाद	—	588.24	682.45
5.	आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता	2,869.94	5,981.26	6,407.59
6.	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता	2,995.70	4,139.77	4,029.33
7.	टाइम्ज आफ इंडिया, बम्बई,	4,511.46	7,131.77	7,380.77
	टाइम्ज आफ इंडिया, अहमदाबाद	—	1,071.59	1,049.72
	टाइम्ज आफ इंडिया, दिल्ली	1,739.40	2,976.41	3,194.03

छोटे तथा मझोले समाचार-पत्रों को आवंटित किए गए अखबारी कागज की मात्रा

अवधि	छोटे समाचार-पत्र	मझोले समाचार-पत्र
1965-66*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1970-71	22,738.45	54,255.39
1971-72@		

योजना आयोग का पुनर्गठन

207. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना के पुनर्गठन के सम्बन्ध में टंडन पेनल की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों के अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा गठित आन्तरिक दल द्वारा इन प्रस्तावों को तैयार करने में टंडन पेनल के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

Detention of Indians during Indo-Pak War

208. **Shri Atal Bihari Vajpai :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the State-wise names of the Indians and Foreigners detained during the recent Indo-Pak war and the reasons for their detention ; and

(b) the names of the persons who are still under detention ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). A statement giving the available information is attached. **[Placed in the Library. See No. L.T. 1418/72].** Information in respect of the remaining States will be laid on the Table of the House as soon as available.

*इस अवधि के आंकड़ों का पृथक विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डाटा नहीं रखा गया था।

@लाइसेंसिंग अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अतः पूरी सूचना जो अगले मास उपलब्ध होगी, संकलित कर शीघ्र ही मुहैया की जाएगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में कमी करने के लिए पुनरीक्षण

209. **श्री वरके जार्ज :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं पर परिव्यय को कम करने के विचार से उक्त योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना पर परिव्यय कम करने के विचार से उसका पुनरीक्षण करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Statement by the Convener of 'Save Bihar Conference' Re. Bihari Muslims in Bangla Desh

210. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of the Convener of 'Save Bihar Conference' urging that Bihari Muslims living in Bangla Desh be repatriated to India ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Government have seen press reports in this regard.

(b) They are the citizens of Bangla Desh where the Government of that Country have taken all possible measures for their safety. Hence, Government cannot agree to the suggestions made in the statement.

Setting up of Tractor Factories

211. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for setting up tractor factories in different parts of the country ;

(b) the names of places where the factories are proposed to set up ; and

(c) the estimated output of each factory and the time by which the production in these factories is likely to start ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyambhai Oza) : (a) to (c). The Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore (A Government of India undertaking) have been licensed to manufacture Zetor-2011/2511 (20 HP) Agricultural tractors for a capacity of 12,000 nos. per annum by utilising the spare engineering capacity available in their unit at Pinjore (Haryana). This unit has been assembling packs of imported Zetor tractors since May, 1971 and is expected to go into production during the first half of 1973. There is no other proposal to set up such a factory in other part of the country.

Increase in price of cars

212. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have increased the prices of the three Indian cars recently ;

(b) if so, the amount of increase in price of each type of car ; and

(c) the number of cars of each make sold during the past one year and the number of persons on the Waiting List in the country at present ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyambhai Oza) : (a) Yes, Sir.

(b)

Ambassador	..	Rs. 127
Fiat	..	Rs. 259
Standard Herald	..	Rs. 459

(c) The number of cars of each make sold during 1971 is as follows :—

Ambassador	..	24,741 nos.
Fiat	..	12,773 ,,
Standard Herald	..	745 ,,

The number of orders for the three makes of car pending with the dealers as on 30th November, 1971 are as follows :

Ambassador	..	37,955 nos.
Fiat	..	49,911 nos.
Standard Herald		Negligible.

Infiltration of Pak Razakars and Volunteers of Al Badar in West Bengal and other places

213. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Dr. Ranen Sen :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether after the surrender by Pakistani Armed Forces in Bangla Desh, Pakistani Razakars and the volunteers of Al Badar infiltrated into West Bengal and other States and that a large number of them were arrested also ;

(b) if so, the number of such infiltrators and the number of persons arrested so far in West Bengal and other places separately ; and

(c) the steps taken by Government to arrest the infiltrators and to stop further infiltration of such persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). The number of Razakars and Al Badar volunteers arrested in West Bengal, Meghalaya, Assam and Tripura is being ascertained from the State Governments concerned.

(c) The fullest vigilance is being maintained at the border.

उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

214. **श्री निहार लास्कर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में सभी उद्योगों का पुनरावलोकन किया है और विकास तथा उत्पादन में वृद्धि के रास्ते में सभी दोषों एवं रुकावटों को हटाने हेतु कुछ सिफारिशें की हैं ; **और**

(ख) यदि हां, तो पुनरावलोकन के क्या परिणाम निकले हैं और मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन करते समय, योजना आयोग ने हाल ही में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की भी समीक्षा की। सिफारिशों सहित इस समीक्षा का विवरण "चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन" में दिया गया है। इस मूल्यांकन को सभापटल पर पहले ही रखा जा चुका है। कुछेक उद्योगों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

समाचार-पत्रों की नीतियों पर विदेशी धन का प्रभाव

215. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समाचार-पत्रों की नीतियों पर विदेशी धन के प्रभाव का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). विदेशी धन के कार्य के बारे में आसूचना विभाग की रिपोर्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् साधारण व वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के क्रम के अलावा विदेशी संस्थाओं, एजेन्सियों अथवा व्यक्तियों से धन की प्राप्ति पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए अस्थायी विधायी प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिये गये हैं। इन अस्थायी प्रस्तावों की एक टिप्पणी विरोधी दलों के नेताओं को परिचालित की गई है और अब तक उनमें से केवल तीन से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता में कमी

216. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष के लिये राज्यों के योजना परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता में कमी की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व वर्ष की तुलना में कितनी कमी आयेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान 733.21 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी, परन्तु 1972-73 के लिए 718.66 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इन राशियों में

मेघालय तथा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में संघ शासित क्षेत्र थे तथा वर्ष 1971-72 के दौरान जिन्होंने राज्य का दर्जा प्राप्त किया, के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

दिल्ली में 'ग्रीन बिल' विनिमय घोटाले का पता लगाना

217. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1972 को राजधानी में किसी "ग्रीन बिल" विनिमय घोटाले का पता चला था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन

218. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्रपन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयोग का कार्यकाल 30 जून, 1972 तक बढ़ा दिया गया है और आशा की जाती है कि आयोग उस तारीख तक अपनी जांच पूरी कर लेगा और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा।

माना के सूर हत्या काण्ड की जांच

219. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने माना के सूर हत्याकाण्ड की जांच की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा इस मामले से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अश्लील फिल्मों की तस्करी और उनके वितरण के संबंध में की गई गिरफ्तारियां

320. **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री वरके जार्ज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अश्लील फिल्मों की तस्करी और उनके वितरण के संबंध में दिल्ली में पिछले वर्ष और इस वर्ष कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अश्लील फिल्मों के बेचने के संबंध में गत वर्ष दिल्ली में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे और भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध दर्ज किया गया एक मामला न्यायाधीन है। चालू वर्ष के दौरान ऐसी किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, 1971 के दौरान अश्लील फिल्म की स्लाइडें बेचते हुए 5 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से तीन के विरुद्ध दर्ज मामले न्यायाधीन हैं, जबकि एक के विरुद्ध पुलिस न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल कर रही है। न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है।

बीरभूमि जिले के काशीपुर गांव के आदिवासी लोगों को अमानवीय ढंग से पीटे जाने की घटना

221. **श्री गदाधर साहा :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में इकम्बाजार थाने के अन्तर्गत काशीपुर नामक एक छोटे आदिवासी गांव के आदिवासी लोगों के साथ पुलिस और एस० आर० पी०/सी० आर० पी० द्वारा नृशंस व्यवहार करने तथा उन्हें अमानवीय ढंग से पीटने की घटना का पता है ;

(ख) क्या इस घटना और पुलिस, एस० आर० पी०/सी० आर० पी० की कार्यवाही की निष्पक्ष जांच हुई थी, यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उनके सुरक्षित वापिस जाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना

222. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले भूतपूर्व शासकों को प्रायः निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सभी विशेषाधिकार वापस कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस तिथि से ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). 28 दिसम्बर, 1971 को संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ होने से प्रिवी पर्स समाप्त हो जाता है और प्रिवी पर्स से संबंधित सभी अधिकार, दायित्व तथा अधिबन्ध समाप्त हो जाते हैं। अधिनियम अनुच्छेद 362 का विलोपन भी करता है और नरेशों की मान्यता को वापिस लेता है। अतः नरेश आगे प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं। प्रिवी पर्स बन्द करने के लिए तथा कार्यकारी आदेशों द्वारा दिये गये कुछ विशेषाधिकारों को वापिस लेने के अनुदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। परिनियम द्वारा दिये गये विशेषाधिकारों को वापिस लेने के लिए कानूनों में संशोधन करने हेतु विधान पुरः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 के दौरान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव

223. **श्री मान सिंह भौंरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में और विशेषतया पंजाब में अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था के कारण औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण उद्योग पर कितना कुप्रभाव पड़ा ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पंजाब सरकार ने बताया है कि भारत-पाक युद्ध के फलस्वरूप पंजाब में औद्योगिक एककों के लिए कच्चे माल के भेजे जाने तथा पंजाब से अन्य राज्यों के लिए तैयार माल के ले जाने पर प्रभाव पड़ा था क्योंकि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवागमन को प्राथमिकता दी गई थी इस कारण से औद्योगिक उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा और संघर्ष की अवधि में 20,000 कर्मचारी अस्थायी रूप से बेरोजगार रहे। राज्य सरकार ने युद्ध के कारण अस्थायी रूप से बेरोजगार हुए कर्मचारियों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी है।

तारापुर अणु-शक्ति संयंत्र

225. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर अणु-शक्ति केन्द्र ने मध्य फरवरी, 1972 से विद्युत सप्लाई करना पूरी तरह बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त शक्ति केन्द्र को पुनः शीघ्रता से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). तारापुर परमाणु बिजलीघर के दो यूनिटों में से एक यूनिट पुनः ईंधन भरने के लिए तथा अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों के लिए अगस्त, 1971 से बन्द कर दिया गया है। आशा है, यह यूनिट अप्रैल, 1972 से बिजली सप्लाई करने लगेगा। बिजलीघर का दूसरा यूनिट इस अवधि में लगातार कार्य करता रहा किन्तु केवल 15 फरवरी से 25 फरवरी, 1972 तक कुछ अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों के कारण नहीं चल सका।

संयुक्त क्षेत्र में मध्यम और भारी उद्योगों का विस्तार

226. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त क्षेत्र सिद्धान्त का विस्तार करने का हैं ताकि इससे मध्यम और कुछ भारी औद्योगिक एककों का विस्तार किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सरकार ने संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है जिसमें यह कल्पना की गई कि भारी परियोजनाओं के प्रबन्ध में, विशेषकर नीति निर्धारण के मामले में जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्याप्त सहायता दी जाती है उनका अधिकाधिक सहयोग होगा। यह निर्णय सभी एककों, चाहे वे मध्यम हों अथवा भारी, पर लागू होता है। सरकारी वित्तीय संस्थान ऋणों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक एक निर्दिष्ट अवधि में, इक्विटी में परिवर्तित करने के अपने विकल्प को कार्यरूप देने में समर्थ होंगे। परिवर्त्यता खण्ड केवल भावी मामलों या उन पुराने मामलों में जिनमें भुगतान नहीं हुआ है, में ही लिखा जायेगा। इस विषय में बैंकिंग विभाग ने प्रयोग में लाये जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। इनमें विशद रूप में निम्न प्रकार की व्यवस्था की गई हैं :—

1. जहां किसी अखिल भारतीय दीर्घावधि वित्तीय संस्थान द्वारा किसी औद्योगिक संस्थान को दिया जाने वाला कुल सावधिक ऋण/ऋण पत्र की सहायता, की राशि 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो तो परिवर्त्यता खण्ड ऋण सहायता अथवा ऋणपत्र/करार में सामान्यतः जोड़ दिया जायेगा। यदि किसी विशेष मामले में कोई संस्थान यह महसूस करता है कि यह खण्ड छोड़ दिया जाये तो सरकार के निर्णय तथा परामर्श प्राप्त करके ही वैसा किया जा सकता है।

2. जहां किसी औद्योगिक संस्थान को दिया जाने वाला कुल सावधिक ऋण/ऋणपत्र सहायता

की राशि 25 लाख व 50 लाख रुपये के बीच हो तो ऋण अथवा ऋणपत्र करार में परिवर्त्यता खण्ड जोड़ा जाय अथवा नहीं इसमें संस्थान स्वविवेक से कार्य कर सकता है।

3. जहां दिया जाने वाला सावधिक ऋण/ऋणपत्र सहायता की राशि 25 लाख रुपये से कम हो, वहां संस्थान परिवर्त्यता खण्ड न लगा समझे जब तक कि अपनी जिम्मेदारी पर वह वैसा न करना चाहे।

4. विदेशी वित्तीय संस्थानों से अपनी विदेशी मुद्रा की साख की सीमा के भीतर विदेशी मुद्रा में प्राप्त आवधिक ऋण सहायता वाले मामलों में कोई भी परिवर्त्यता खण्ड नहीं जोड़ा जायेगा। भारतीय आवधिक संस्थानों द्वारा रुपये में दिये गये ऋणों पर यह छूट लागू नहीं होगी जिससे औद्योगिक संस्थाऐं प्रत्यक्ष रूप से, भारत सरकार को अपनी सीमा के भीतर प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा में से विदेशी मुद्रा क्रय कर सकेंगी।

5. कोई भी वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया की पूर्वअनुमति के बिना किसी औद्योगिक संस्थान को सामान्यत: 25 लाख रुपये से अधिक का सावधिक ऋण नहीं देगा।

6. उस मामले को छोड़ कर जिसमें ऋण दाता संस्थान ऐसे ऋण देने वाले को परिवर्तन की सुविधा देता हैं, जिसका अस्थायी कारणों से भुगतान नहीं हुआ है, परिवर्त्यता का सिद्धान्त पिछले ऋणों के मामलों में लागू नहीं होगा।

7. परिवर्त्यता खण्ड जोड़ने के पूर्व सावधिक संस्थान इस बात की सावधानी रखेगा कि दीर्घ-कालिक ऋण तथा सहायता प्राप्त कम्पनियों की पूंजी रचना में इक्विटी के बीच निरन्तर एक न्यायसंगत अनुपात बना रहता है।

8. इसके पूर्व की कम्पनियों ऋण दात्री संस्थाओं के साथ ऋण अथवा ऋणपत्र सहायता के करारों को अंतिम रूप दें, ऋणदात्री संस्थाऐं उन्हें परिवर्त्यता की शर्तों के विषय में स्पष्ट संकेत दे देगी।

राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग

227. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने स्वायत्तता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह ज्ञात है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री राज्यों के लिये अधिक स्वायत्त के बारे में बोले हैं। सरकार को किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा की गई ऐसी मांग के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग तथा आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रश्नों का गहन अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि "केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले संविधान के उपबंध प्रत्येक स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिये अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक समस्या के हल के लिये पर्याप्त है।" राज्य सरकारों से प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर की मरम्मत

228. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात बिजली बोर्डों ने रबी की फसल के लिये बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तारापुर परमाणु बिजली घर को तुरन्त मरम्मत कराये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिटों के संचालन के लिए दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध प्राप्त हो गये हैं।

(ख) परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट, जो अगस्त, 1971 में पुनः ईंधन भरने के लिये बन्द कर दिया गया था, आशा है अप्रैल, 1972 में पुनः बिजली उत्पन्न करने लगेगा। बिजलीघर का दूसरा यूनिट इस अवधि में लगातार कार्य करता रहा किन्तु केवल 15 फरवरी से 25 फरवरी, 1972 तक कुछ आवश्यक अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों के कारण नहीं चल सका।

बेरोजगार इंजीनियर

229. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कठिनाइयों का सामना कर रहे विभिन्न वर्गों के बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें रोजगार देने के लिये कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो सरकार की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को रोजगार मिला ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) देश में बेरोजगार इंजीनियरों की कुल संख्या के सम्बन्ध में ठीक ठीक अनुमान ज्ञात नहीं है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना केवल देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर इंजीनियरों की संख्या है। 1971 वर्ष के अन्त में

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर विभिन्न वर्गों के इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार थी :—

सिविल इंजीनियर	21,792
यांत्रिक इंजीनियर	29,456
विद्युत इंजीनियर	20,121
रासायनिक इंजीनियर	974
धातु इंजीनियर	627
खान इंजीनियर	345
अन्य	742
कुल	74,057

इन आंकड़ों में इंजीनियरिंग में केवल डिग्री तथा डिप्लोमा धारक दोनों और अनुभाव प्राप्त इंजीनियर सम्मिलित हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। मई 1968 में सरकार ने इंजीनियरों के लिये अतिरिक्त रोजगार अवसर बनाने के लिये निम्नलिखित 14 उपाय शुरू किए :—

(1) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालय उपलब्ध साधनों या उपलब्ध हो सकने वाले साधनों की सीमा तक चौथी तथा बाद की योजनाओं में सम्मिलित की जाने वाली प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य शुरू करें। यह निर्णय किया जाय तथा बताया जाए कि केवल वही प्रायोजनाएं जिनकी पूरी तरह जांच कर ली गई है, चौथी योजना में शामिल की जायेंगी।

(2) वरिष्ठ इंजीनियरों की देख-रेख में चुनी हुई पूर्ण बड़ी प्रायोजनाओं की तकनीकी रिपोर्ट को तैयार करने का काम भी आरम्भ किया जाए।

(3) शिक्षा मंत्रालय के उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम का यथाशीघ्र विस्तार कर उसकी क्षमता 5,000 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष कर दी जाय। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के इस सुझाव की, कि शिक्षुक अधिनियम का संशोधन कर इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को उसके अन्तर्गत लाया जाए, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श में आगे जांच की जाय।

(4) उष्मीय केन्द्रों के संचालन व रख-रखाव के लिए 1500 स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध किये जायें।

(5) जहां कहीं सम्भव हो, भर्ती के तरीके तथा निर्धारित अर्हताओं में संशोधन करके रिक्त पद शीघ्र भरे जायें। रिक्त तकनीकी पदों को भरने पर लगा सामान्य प्रतिबन्ध उठा लिये जाये।

(6) आर्मी टैक्नीकल कोर के लिये अल्पकाल सेवा तकनीकी कमीशन आरम्भ करने के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाय।

(7) भारतीय परामर्शदायी संगठनों के विकास को प्रोत्साहित किया जाय। जहां सम्भव तथा वांछनीय हो, तथा वर्तमान परामर्शदायी संगठनों की मौजूदा क्षमता तथा दक्षता का उचित ध्यान रखते हुए, मुख्य योजनागत प्रायोजना, विदेशी सहयोग प्राप्त प्रायोजना तथा ऐसी प्रायोजनाएं, जिनके लिए सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संगठनों से वित्तीय संगठन सहायता मांगी जाती है, के मामलों में भारतीय परामर्शदायी संगठन अथवा आवश्यक विशेषज्ञता के सरकारी संगठनों से तकनीकी प्रवीणता तथा व्यहार्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाय।

(8) लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक विशेष योजना तैयार की जाय। अब तक हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्टैट बैंक योजना की पुनः जांच की जाय।

(9) अनुमोदित ठेकेदारों से योग्यता प्राप्त इंजीनियर रखने सम्बन्धी ठेकेदारों उपबन्धों का पालन करवाया जाय।

(10) इंजीनियरों को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य लेने या कृषि मशीनों की मरम्मत तथा सफाई-धुलाई (सर्विसिंग) की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने में इंजीनियरों को प्रोत्साहन दिया जाए।

(11) सार्वजनिक उपक्रमों में विपणन, बिक्री तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पदों पर इंजीनियरों के रोजगार के लिये अवसरों का पता लगाया जाए।

(12) वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिये बहु-विशेषता प्रणाली अपनाई जाय।

(13) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा मित्र विकाशशील देशों में उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञ को बाहर भेजने के विशेष प्रयास किये जायें।

(14) श्रम तथा नियोजन मंत्रालय के इस सुझाव की, कि विशेष संख्या से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले तथा विद्युत का उपयोग करने वाले कारखानों को अर्हक इंजीनियर नियुक्त करने को बाध्य किया जाय। औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से और आगे जांच की जाय। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वियन के परिणाम स्वरूप 30 सितम्बर, 1971 तक लगभग 19,000 इंजीनियरों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है।

इन उपायों के अतिरिक्त इंजीनियरों तथा तकनीशनों समेत विशेषरूप से शिक्षित बेरोजगारी के अनुकूल तैयार की गई योजनाओं के लिए 1971-72 वर्ष के बजट में 25 करोड़ रुपये की एक विशेष व्यवस्था की गई थी।

इन योजनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण

(2) स्वयं रोजगार के लिये इंजीनियरों का प्रशिक्षण

(3) ताप-विद्युत स्टेशनों के संचालन / रख-रखाव के लिये इंजीनियरों का प्रशिक्षण

(4) बेरोजगार इंजीनियरों को व्यापार प्रदान करने के लिये भारतीय तेल निगम योजना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-सेवा केन्द्र।

(6) लघु उद्योगों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था।

(7) ग्रामीण जल प्रदाय के लिये डिजाइन यूनिटों की स्थापना।

चूंकि ये योजनाएं हाल ही में आरम्भ की गई है अतः इंजीनियरों के रोजगार पर इन योजनाओं का सही प्रभाव योजनाओं के कुछ समय तक चलने के बाद ही ज्ञात होगा।

बंगला फिल्मों का निर्माण

230. **डा० रानेन सेन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उदासीनता के कारण बंगला फिल्मों के निर्माण में पिछले वर्षों में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) और (ख). 1968, 1969, 1970 तथा 1971 के प्रत्येक वर्ष में प्रमाणित की गई फिल्मों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। यह संख्या क्रमशः 29, 29, 33 तथा 30 थी।

राज्य सरकार से की गई पूछताछ से पता लगा है कि फिल्म उद्योग की समस्याएं पिछले कुछ वर्षों से उनका ध्यान आकर्षित करती रही हैं। टौलीगंज क्षेत्र में जहां अधिकांश स्टूडियों तथा प्रयोग-शालाएं स्थिति हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से उद्योग पर असर पड़ा, परन्तु हाल ही में इस स्थिति में सुधार होने से फिल्मों के निर्माण में प्रगति हुई है।

"टैल्को" का विस्तार

231. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी ने ट्रकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तार कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी ने व्यापारिक गाड़ियों की 24000 नग की वार्षिक उत्पादन क्षमता का 36,000 नग तक विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन किया था । विस्तार आंशिक रूप में उनके जमशेदपुर के वर्तमान उपक्रम में तथा कुछ पूना में एक नया उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) कम्पनी के विस्तार संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

बंगला देश की मुक्ति के पश्चात् वहां से शस्त्रास्त्रों की तस्करी

232. **डा० रानेन सेन :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की मुक्ति के पश्चात् वहां से कुछ शस्त्रास्त्रों की भारत को तस्करी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कौन से लोग उत्तरदायी हैं और संबंधित राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). बंगला देश-पश्चिम बंगाल सीमा पार से भारत में हथियारों की तस्करी के दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आये हैं । विश्वास किया जाता है कि तस्करों, रजाकारों और उग्रपंथी दलों के सदस्यों के अतिरिक्त सीमा के किसी ओर के समाज-विरोधी तत्व ऐसी तस्करी के उत्तरदायी हैं । बंगला देश की मुक्ति के तुरन्त बाद सीमा सुरक्षा की वाह्य चौकियों ने सामान्य ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया है तथा सीमा पार से समस्त गतिविधि जांच चौकियों द्वारा देखी जा रही हैं । सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमाओं पर निगरानी रखे जाने के अतिरिक्त सीमान्त क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाये गये हैं । समस्या से निपटने के लिए सीमा शुल्क जांच चौकियों को भी पर्याप्त शक्ति के साथ पुनः स्थापित कर दिया गया है । इन उपायों के परिणामस्वरूप अनेकों हथियार पकड़े गये हैं जब उन्हें सीमा पार से तस्कर किये जाने के प्रयत्न किये गये थे ।

बम्बई तथा पंजाब में टेलीविजन स्टेशनों की स्थापना में प्रगति

233. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा पंजाब में टेलीविजन स्टेशन स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन दोनों टेलीविजन स्टेशनों के कब तक कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है ; और

(ग) क्या हाल ही के भारत-पाक युद्ध का इन दोनों टेलीविजन स्टेशनों की स्थापना की समयावली पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां तो किस सीमा तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख). दोनों केन्द्रों पर काम चालू है जो इस वर्ष के दौरान पूरा हो जायेगा। उम्मीद है अमृतसर का रिले केन्द्र इस वर्ष के मध्य तक चालू हो जाएगा और बम्बई केन्द्र अक्टूबर, 1972 तक।

(ग) जी, नहीं। वास्तव में अमृतसर केन्द्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इस पर कार्य आपाती आधार पर किया जा रहा है।

वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से प्रभावित औद्योगिक कारखानों को वित्तीय सहायता

235. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कई औद्योगिक कारखानों को क्षति और हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या क्षतिग्रस्त औद्योगिक कारखानों को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग). पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि भारत पाक युद्ध से पंजाब में औद्योगिक एककों को कच्चे माल के भेजे जाने और तैयार माल के दूसरे राज्यों में भेजे जाने पर प्रभाव पड़ा है। लड़ाई से औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है, संघर्ष की अवधि में लगभग 20,000 मजदूर भी अस्थायी रूप से बेरोजगार रहे हैं। राज्य सरकार संघर्ष की अवधि में अस्थायी तौर पर बेरोजगार रहे मजदूरों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

236. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना बनाई है जिन्होंने सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से भारी ऋण लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी पूरक बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्व बैंक की सिफारिश पर उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करना

237. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सिफारिश के आधार पर कुछ उद्योगों के लिये हाल में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने से पहले योजना प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कुछ विनिर्दिष्ट उद्योगों में सरकार ने 19 फरवरी, 1972 को एक अधिसूचना (प्रतिलिपि संलग्न है) [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1419/72**] जारी करके अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण सुपयोग करने की आज्ञा दे दी है, किन्तु सरकार ने किसी भी उद्योग को लाइसेंस मुक्त नहीं किया है। संलग्न अधिसूचना में स्वीकृत छूटें विश्व बैंक की सिफारिशों पर आधारित नहीं हैं।

भारत-ब्रिटेन तकनीकी सहयोग दल की बैठक

238. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटेन तकनीकी सहयोग दल की बैठक शीघ्र ही दिल्ली में होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन विषयों पर विचार किया जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). भारत ब्रिटेन तकनीकी सहयोग दल की एक बैठक 2 से 4 मार्च, 1972 तक नई दिल्ली में हुई थी। बैठक की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। **ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1420/72**]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त का 1969-70 का प्रतिवेदन

239. **श्री माधुर्य्य हालदार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 1969-70 के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पदों के आरक्षण और उन्हें भरने के बीच जो अन्तराल होता हैं उसको समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समय समय पर होने वाली रिक्तियों के अनुपात से आरक्षणों की व्यवस्था की गई है न कि किसी संवर्ग या सेवा की कुल संख्या के आधार पर। 1964 से आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा और श्रेणी I और II केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का पूरा कोटा इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों से भरा जा रहा है, जिसके लिए भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की सम्बद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है। 1968 से आगे, भारतीय वन सेवा में भी इसी प्रकार आरक्षित रिक्तियों का पूरा कोटा भरा जा रहा है। तथापि, कुछ पदों, मुख्यत: विशेषज्ञ तथा तकनीकी पदों में अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों से नहीं भरी जा सकीं, क्योंकि इन पदों के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं तथा / या अनुभव की कम से कम शर्तों की पूर्ति करने वाले उम्मीदवार प्राप्त नहीं थे। अनुसूधित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिक संख्या में लेने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) किसी सेवा/पद में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के पक्ष में योग्यतास्तर में छूट के मान-दण्ड का पुनर्निर्धारण के आदेश 25 जुलाई, 1970 को जारी किए गए। इन अनुदेशों के अधीन आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए इन सम्प्रदायों के उम्मीदवार चुने जा सकते हैं, हालांकि वे योग्यता का सामान्य स्तर पूर्ण न करते हों, जब तक कि वे इन पदों में नियुक्ति के लिए अयोग्य न पाए जाएं।

(iii) श्रेणी-iii तथा iv के गैर-तकनीकी तथा अर्द्ध-तकनीकी सेवाओं/पदों में लिखित परीक्षा को छोड़कर, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए योग्यता के मानदण्ड में छूट देने के बाद भी, अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदावारों की अपेक्षित संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो सके तो, ऐसी सेवा/पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं पूरी करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उपलब्ध श्रेष्ठ उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणियों के हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए प्रवरित किया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवश्यक न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए एवं प्रशासन की कार्यक्षमता को कायम रखने के लिए उन्हें सेवा-कालीन प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

(iv) 31 जुलाई, 1970 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की विज्ञापन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षित रिक्तियां, अब जैसी भी स्थिति हो, सबसे पहले ऐसी रिक्तियों के लिए अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर विज्ञापित की जाएंगी। अगर यह विज्ञापन निष्फल सिद्ध हो जाये, अनुसूचित जातियों/अनु-सूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा साथ ही साथ सामान्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर दूसरा विज्ञापन जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसी नियुक्ति के लिए, सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में तभी विचार किया जाएगा, अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार इसके लिए अयोग्य पाये जायें।

(v) अनुदेश जारी किए गए हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार या तो अलग दिन या प्रवरण समिति की अलग बैठक में किया जाना चाहिए।

(vi) आरक्षणों के अग्रेनीत करने की अवधि को 2 से 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के समाप्त होने पर, अनुसूचित जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को

अनुसूचित जन-जातियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और इसके विपरीत क्रम से (अनुसूचित जन-जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है) भी इस प्रकार आरक्षित रिक्ति समाप्त होने के अवसर कम हो सकते हैं।

आकाशवाणी, कलकत्ता पर प्रसारण के लिए नाटकों का चयन

240. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, कलकत्ता पर प्रसारण के लिए नाटकों का चयन किस प्रकार किया जाता है और चयन समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) कितने नाटकों का पुनः प्रसारण किया गया तथा जनवरी, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक प्रत्येक नाटक को कितनी बार पुनः प्रसारित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) स्क्रिप्टों को कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जांच के पश्चात् पास किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए कोई चयन समिति नहीं है।

(ख) 1971 के दौरान कलकत्ता केन्द्र से 174 नाटक प्रसारित किये गए थे तथा 10 और राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रिले किए गए थे। किन्तु कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित 174 नाटकों में से 93 पहले प्रसारित हुए थे और वे 1971 में पुनः प्रसारित किए गए थे। 1971 के दौरान केवल एक ही नाटक रवीन्द्र नाथ टैगोर का "डाकघर" दो बार प्रसारित किया गया था।

सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट फैक्टरी, जापला को पुनः खोलना

241. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट फैक्टरी जापला को जो मार्च 1971 से बन्द हैं पुनः खोलने के मामले को केन्द्रीय सरकार को भेजा है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने सीमेंट का मूल्य बढ़ाव के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी ने मूल्य में कितनी वृद्धि करने की मांग की है, और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्पादन लागत अधिक होने के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए कम्पनी ने कारखाने से चलते समय के मूल्य में वृद्धि करनी चाही थी। फिर भी इस पर सहमति इसलिये नहीं हो सकी कि सरकार ने नीति के रूप में यह निश्चय किया था कि निम्न स्तर के एककों को छोड़कर, समस्त उद्योग के लिये समान मूल्य होने चाहिए। कम्पनी को केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने उनके कारखाने को पुनः खोलने में सहायता करने के विचार से अन्य विभिन्न प्रकार की सहायता देने के बारे में सूचित किया है।

नये संयंत्र की स्थापना के लिये सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी जापला को सहायता

242. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलिया (बिहार) की खदान में सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी जापला (बिहार) के लिये चूना-पत्थर के बड़े निक्षेप उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या कम्पनी को बन्द कर दिया गया है क्योंकि पुराने संयंत्र और बेकार मशीनरी के कारण इसे हानि हो रही है ;

(ग) क्या आधुनिक उपकरणों से नये संयंत्र की स्थापना के लिये कम्पनी ने ऋण और राज्य सहायता के रूप में आवश्यक सहायता की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की मांग की गई है और अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). कम्पनी ने इसके द्वारा देय बिक्रीकर, विद्युत शुल्क और रायल्टी की माफी की तब तक के लिये प्रार्थना की है जब तक कम्पनी लाभ कमाने की स्थिति में नहीं आ जाती । बिहार सरकार ने कम्पनी को बताया है कि वह कम्पनी को उसके द्वारा देय बिक्रीकर, विद्युत शुल्क और रायल्टी की राशि के बराबर ऋण देने को तैयार है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन), संशोधन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत औद्योगिक कारखानों का हाथ में लिया जाना

243. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित किये गये उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितनी बन्द मिलों तथा अन्य कारखानों को अपने हाथ में लिया गया है ;

(ख) इन मिलों को चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितने मजदूरों को नियुक्त किया गया है और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चार ।

(ख) एक कारखाने ने पहले से ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और शेष कारखानों को यथाशीघ्र फिर से चालू करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) इन चार कारखानों में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों की संख्या 8683 है । वे सामान्य रूप से वही सेवा-शर्तों के हकदार होंगे जो कारखाने को अधिकार में लेने से पहले लागू होती थीं ।

ऐच्छिक संगठनों द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण पर रोक

344. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐच्छिक संगठनों द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 1 फरवरी, 1972 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित श्री करुणाकरण, केरल के गृह मंत्री, द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भारत सुरक्षा नियमों के नियम 72 के अन्तर्गत किसी क्षेत्र में किसी अभ्यास अथवा सैनिक स्वरूप के अभ्यास को रोकने अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार दिये गये हैं।

वार्षिक योजना के आकार के बारे में योजना आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच विवाद

245. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक योजना के आकार के बारे में योजना आयोग और पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद के मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) पश्चिमी बंगाल को इस सम्बन्ध में संतुष्ट करने के लिए यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो वह क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). 1972-73 के लिए राज्य की वार्षिक योजना 73.52 करोड़ रुपये निर्धारित की है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। राज्य सरकार लगभग 18 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है किन्तु उपलब्ध संसाधनों में इसे स्वीकार करना संभव नहीं हो सका।

लिम्का, पेय के निर्माण के लिए आयातित तत्व की प्राप्ति का साधन

246. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री 'लिम्का' पेय के निर्माण के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिना किसी आयात लाइसेंस के 'लिम्का' के निर्माताओं को अपने उत्पाद के लिये आयातिततत्व किस साधन से प्राप्त हो रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : लिम्का में विदेशी वस्तु बहुत कम है। यह बताया गया है कि यह खुले बाजार से अर्थात् कुछ फर्मों से जो आमतौर पर नींबू का तेल, विटामिन 'सी' और नींबू का सत जैसे कच्चे मालों का आयात करने के हकदार हैं, प्राप्त किया जा रहा है।

गुजरात में पिछड़े जिले

247. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने पिछड़े क्षेत्र घोषित किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए किस प्रकार के वस्तुपरक मानदण्ड को अपनाया जाय इस संबंध में सिफारिश करने के लिए योजना आयोग के तत्कालीन सचिव श्री बी० वी पाण्डे की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस मानदण्ड के आधार पर, यह तय किया जायेगा कि कौन-कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष व्यवहार के हकदार हैं। तदनुसार, इस कार्यकारी दल ने जिस मानदण्ड की सिफारिश की उसके अनुसार गुजरात के निम्नांकित जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है :--

1. पंचमहल
2. कच्छ
3. अमरेली
4. भड़ोंच
5. साबरकंठा
6. बनासकंठा
7. भावनगर
8. मेहसना
9. सुरेन्द्र नगर
10. जूनागढ़

चौथी योजना में गुजरात को धन का आवंटन

248. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य के सम्बन्ध में सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना का विस्तार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनके सम्बन्ध में आवंटन बढ़ाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 455 करोड़ रुपये।

(ख) और (ग). राज्य के अपने संसाधनों में वृद्धि होने के कारण, चौथी योजना परिव्यय में 45 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़े हुये परिव्यय का क्षेत्रवार व्यौरा अभी राज्य सरकार से परामर्श कर तैयार किया जाना है।

गुजरात में बड़े पैमाने पर परियोजनायें स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करना

249. **श्री डी० पी० जदेजा :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों में गुजरात में बड़े पैमाने पर परियोजनायें स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बड़ी परियोजनाओं के लिये ही औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किये जाते हैं। लघु क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिये इस प्रकार के लाइसेंसों और आशय पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। 1.9.71 से 29.2.1972 की अवधि में गुजरात राज्य में की गई स्थापना के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियनम) अधिनिमय 1951 के अधीन जारी किये आशय पत्रों (प्रकारवार) की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जारी किये गये सभी लाइसेंसों/आशय पत्रों, सम्बन्धित उद्योग सहित उद्योग का विस्तृत व्यौरा दि वीक्ली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंज इम्पोर्ट, लाइसेंज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस, दि वीक्ली "इण्डियन ट्रेड जर्नल" और दि मंथली "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भेज दी जाती हैं।

विवरण

नं० उपक्रम	पर्याप्त विस्तार	नई वस्तु	नई वस्तु/पर्याप्त विस्तार	योग
32	8	10	1	51

Non-acceptance of recommendations of Central Film Censor Board

250. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to check the increasing tendency of projecting scenes of violence, sex and gulgarity in the films ;

(b) the instances where the recommendations of Central Film Censor Board have not been accepted during the last three years ; and

(c) whether a statement thereon would be placed on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) It is the responsibility of the Central Board of Film Censors to disallow films which offend against good taste. Occasionally, films are also viewed by Government,

either on reference by the Central Board of Film Censors or directly on the basis of complaints received by them, to ensure that such films are not exhibited without suitable modifications.

(b) The Central Board of Film Censors is competent to decide censorship cases under the Cinematograph Act, 1952. The Board does not make recommendations to the Government.

(c) Does not arise.

A. I. R. Broadcasts for Youths

251. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether programmes are broadcast over All India Radio for developing knowledge and keeping up the morale of youths, other than the students ; and

(b) if not, whether Government have any scheme for broadcasting such programmes in future ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Irregular Appointments in Government Departments

252. **Shri R. R. Sharma :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Union Public Service Commission in their Report for the year 1970-71 have expressed concern over the continued irregular appointment in the Government departments ; and

(b) if so, the factual position in this regard and the remedial steps being taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) In para 29 of their Twenty-First Annual Report, the Union Public Service Commission had pointed out that inspite of instructions issued by Government, cases where consultation with the Commission were inordinately delayed and cases where appointments made were irregular **ab-initio** continue to occur.

(b) The oppointments to various posts which became irregular because references about them were not made to the UPSC, in time, have been listed in Appendix-XVIII of the Twenty-First Report of the Union Public Service Commission for the year 1970-71. In paragraph 29 of that Report, the Commission have also brought out a few cases of irregularities in appointments during the year 1970-71. Cases of irregularity in appointments are brought to the notice of the Ministries/Departments concerned with a view to their investigating the circumstances under which such appointments are made, to fix responsibility therefor and to take remedial steps wherever necessary.

Per Capita Income in Andaman and Nicobar Islands

253. **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the per capita income in the Andaman and Nicobar Islands ; and

(b) the sources of income and the measures being taken for the economic growth of these islands and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). According to tentative rough estimates the per capita income in Andaman and Nicobar Islands in the year 1969-70 was Rs. 799.

A statement is placed on the Table of the House indicating the measures being taken for the economic growth of these islands. The results of these measures would be known after these measures are fully implemented.

Statement

Agriculture and Forestry are the main occupations of the residents of Andaman and Nicobar Islands. Employment under the Government also provides likelihood to a substantial number of people of these Islands.

A number of measures are being implemented for the economic growth of Andaman and Nicobar Islands. These are set out below :

(i) **Five Year and Annual Plans**

From the First Five Year Plan till the Annual Plan 1968-69, total amount of about Rs. 16 crores was spent on the socio-economic development of the Andaman and Nicobar Islands.

A Fourth Plan involving an outlay of Rs. 14 crores for the period 1969-74 is being implemented since the year 1969-70. Stress is being laid under the Plan on (a) creation of infrastructural facilities such as means of communication (roads, ports and harbours), provision of electricity, etc. and (b) development of agriculture including forestry and village small industries.

(ii) A special Area development Programme in the Central Sector is in operation in the Islands involving an outlay of Rs. 4. 50 crores over the five year period 1969-74. The important schemes being implemented under this programme relate to clearing of forests and taking up agriculture in the lands cleared, setting up rubber plantations and development of fisheries.

(iii) The entire Union Territory has been declared as an industrially backward area and is eligible for concessional finance through financial institutions.

बंगलौर में टेलीफोन फैक्टरी

254. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री मोलाना इसहाक सम्भली :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर की टेलीफोन फैक्टरी की उत्पादन क्षमता बहुत कम है तथा इसके उत्पादन की किस्म बड़ी ही घटिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता और उत्पादों की किस्म की विस्तृत रूपरेखा क्या है तथा स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) क्या फैक्टरी का निर्माण अमरीका के सहयोग से किया गया था ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड दूर-संचार से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के उपस्कर तैयार करती है, इनमें टेलीफोनउपस्कर, स्ट्रोजर और क्रासबार किस्म के टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर, पारेषण उपस्कर और इलेक्ट्रानिक मापक यंत्र शामिल हैं। स्ट्रोजर उत्पादन के सम्बन्ध में कम्पनी ने लगभग परिकल्पित क्षमता प्राप्त कर ली है और उत्पादित वस्तु काफी अच्छी भी है। कुछ हद तक इसकी मांग विदेशों से भी आई है।

फिर भी क्रासबार उपस्कर के निर्माण में कुछ कमी हुई है। उत्पादन में कमी के कारणों का पता लगा लिया गया है और इन्हें, कम्पनी के सहयोगकर्त्ता मैसर्स बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के परामर्श से जिन्होंने अपनी लागत पर कुछ और मशीनें भी सप्लाई तथा अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध की हैं, दूर किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। क्रासबार उपस्कर का उत्पादन अब बढ़ गया है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्धारित क्षमता के प्राप्त किये जाने की संभावना है।

(ग) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के क्रासबार प्रभाग को एकस्व और लाइसेंस उपलब्ध करानेवाली न्यूयार्क की इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन और तकनीकी जानकारी उपलब्ध करानेवाली बैल्जियम की बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, के सहयोग से शुरू किया गया था।

Officers and Jawans of B. S. F. killed-injured during Indo-Pak war

255. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Home Affiairs** be pleased to state the number of officers and jawans of Border Security Force killed and injured in the recent Indo-Pak war ?

The Minister of State in Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : In the recent Indo-Pak war, 75 officers and jawans of the Border Security Force were killed and 275 officers and jawans of the Force were injured.

T. V. Station at Aligarh

256. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are considering over any scheme for the setting up of a television station at Aligarh, Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in regard to the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Reorganisation of B. S. F.

257. **Shri Hari Singh :**
Dr. Sankata Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have since taken a decision to reorganise the Border Security Force on the new pattern ; and

(b) if so, the main features thereof and the time, by which its final set up would be declared ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) The role and structure of the Border Security Force is constantly reviewed, and necessary changes are brought about from time to time to ensure that it is in a state of fitness and readiness to meet any threat to the integrity of the country.

(b) Does not arise.

Accredited Journalists Killed in Recent Indo-Pak War

258. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of accredited journalists killed in the recent Indo-Pak war ; and

(b) the names of newspapers or news agencies to which they were attached ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). No journalist accredited by the Government of India was killed during the recent Indo-Pakistan war.

लाल डेंगा का अता-पता

259. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाल डेंगा के अते-पते की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कुछ मिजो विद्रोही बर्मा की ओर चले गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). ऐसे समाचार हैं कि चिटगांग पहाड़ी क्षेत्रों में अड्डे नष्ट हो जाने के बाद कुछ मिजो विद्रोही नये निभृत स्थान स्थापित करने के इरादे से लाल डेंगा के नेतृत्व में बर्मा के राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं । भारतीय सुरक्षा दल सतर्क हैं ।

उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का दिया जाना

260. **श्री अर्जुन सिंह सेठी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ उद्योगों को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा देने का है जिससे वे उदार लाइसेंस नीति के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने के लिये अपेक्षित उपकरणों को आयात कर सकें ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी विद्यमान बेकार क्षमता के प्रयोग से अथवा स्वदेशी मशीनों की स्थापना से उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). स्पष्ट है कि इसमें सरकार द्वारा हाल ही में अनुमति दी गई उसे उदारता का उल्लेख किया है जिसके द्वारा कुछ ऐसे उपक्रमों को जो विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं अपनी अधिष्ठापित क्षमता के और

अधिक उपयोग की अनुमति दे दी गई है। चूंकि उदार की गई नीति के अधीन सरकार किसी ऐसे उपकरण के आयात की अनुमति नहीं देगी अपितु वह देश में ही प्राप्त छोटे सन्तुलन उपकरण लगाने पर विचार करने के लिये सहमत हैं।

माल-डिब्बा और डीजल इंजन उद्योगों के सम्बन्ध में लाइसेंस नीति

261. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई लाइसेंस नीति से माल-डिब्बों, डीजल इंजनों आदि का निर्माण करने वाले उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता की समस्या का समाधान हो गया है ;

(ख) क्या सरकार का उन उद्योगों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है जो कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण संकट में है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). नई लाइसेंस के घोषणा 1.1.1972 को की गई थी। अतः उद्योगों की बेकार पड़ी क्षमता पर उदारी-करण के प्रभावों का अभी अनुमान लगा सकना समय से पूर्व होगा।

2. अभी हाल ही में मालगाड़ी के डिब्बों और डीजल इंजन बनाने वाले उद्योगों में उत्पन्न बेकार पड़ी क्षमता का प्रमुख कारण कच्चे माल की कमी न होकर उनकी मांग में कमी रही है। डीजल इंजन बनाने वाले उद्योग पर राज्य सरकारों द्वारा कृषि-उद्योग निगमों, जो इन पम्पों की इकट्ठी खरीद करते थे, को कम धन दिये जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा राज्य में बनने वाले उत्पादों के सम्बन्ध में कुछ राज्यों में प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार, ग्रामीण विद्युती-करण योजनाओं का विस्तार और सामान्य रूप से समय पर वर्षा हो जाने के कारण क्षमता में बेकार रही है।

3. दूसरी और डीजल इंजनों के निर्यात में जो वृद्धि हुई वह देश के अंदर मांग में आई गिरावट के अनुसार के बराबर नहीं रही है। मालगाड़ी के डिब्बों के उत्पादन में आई कमी का प्रमुख कारण रेलवे द्वारा विनियोजन व्यय में वास्तविक स्थिरता रही है। मालगाड़ी के डिब्बों के निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई जिससे देश के भीतर उनकी मांग में आई कमी को पूरा किया जा सकें।

4. इस्पात (स्टेनलैस स्टील सहित) सोडाऐश, कास्टिक सोडा आदि जैसे कुछ औद्योगिक कच्चे माल की देश में आम तौर पर कमी हैं। इसका सम्पूर्ण देश में औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ औद्योगिक कच्चे माल की दुनियां भर में कमी रही है जिसमें माल मिलने में अधिक समय लग जाना सम्मिलित है। फलतः कमी वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की क्षमता का सामान्य रूप से पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

5. कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। वर्तमान स्थिति

का सामना करने के लिये सरकार ने आयात नीति को उदार बना दिया है उदारीकृत आयात नीति के अनुसार :—

(1) बड़े और लघु क्षेत्र के गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों को कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस वार्षिक आधार पर जारी किया जायेगा। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामलों में भी विश्व में कमी वाले कच्चे माल के आयात की 6 महीने से अधिक अवधि के वाले आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया जायगा।

(2) बड़े या लघु क्षेत्र के प्राथमिकता प्राप्त उद्योग आवृत्ति के आधार पर प्रायोजक अधिकारियों के माध्यम से आवेदन पत्र भेजे बिना भी स्वयं सहायक पुर्जों के आयात के लिये लाइसेन्स की मांग कर सकते हैं।

(3) लघु उद्योगों को उनकी पहले की हकदारी के होते हुए भी अलौह धातुओं का 50 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन कर दिया जायेगा।

(4) उन इंजीनियरी एककों को जिन्हें कच्चे माल की कमी के कारण बन्द कर देना पड़ा था उन्हें विशेष सहायता दी जायेगी।

(5) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु निगम वास्तविक उपभोक्ताओं और रजिस्टर्ड आयातकों के हाथ बेचे जाने के लिये कुछ प्रकार के कच्चे माल को इक्ट्ठा आयात करने के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं। उनसे उद्योग और व्यापार के निकट सहयोग में कार्य करने की आशा की जाती है ताकि उन्हें किसी भी परिस्थिति में पर्याप्त कच्चा माल दिये जाने का सुनिश्चय किया जा सके।

(6) कच्चे माल के देर से मिलने वाले उद्योग 6 महीने से अधिक अवधि के लिये अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल के आयात के लिये आवेदन कर सकते हैं।

(7) वास्तविक उपभोक्ताओं की हकदारी की संवीक्षा करने में व्यवस्था आयात नीति में कर दी गई है।

(8) समय-समय स्थिति की समीक्षा करने और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने के लिये आयात सम्बन्धी अन्तर्विभागीय समिति नामक एक स्थाई निकाय का गठन कर दिया गया है।

6. इस्पात की गढ़ी हुई वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों के इस्पात का आयात करने में सुविधा प्रदान करने के लिये 1970-71 में उनकी कुल खपत के 50 प्रतिशत तक आयात करने की उन्हें अनुमति दे दी गई थी। 1968-69 में लघु एककों को आयात के लिये दिये गये लाइसेन्स के 36.72 करोड़ रुपये के कुल मूल्य में 1969-70 में 6.57 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1970-71 के आंकड़े 8 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है।

आयात प्रतिस्थापन योजनायें

262. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात प्रतिस्थापन योजनाओं को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार को वैज्ञानिकों से ऐसे क्षेत्रों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिनमें देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी का समुचित उपयोग करने के लिये उक्त उपयोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) आयात प्रतिस्थापन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे विभिन्न प्रकार से प्रत्येक एकक के उत्पादन में प्रावस्थावद्ध उत्पादन कार्यक्रम द्वारा उत्पादन में वृद्धि करके तथा आयातित कच्चे माल और अन्तर्वस्तुओं में कमी करके, आयातित माल तथा अन्तर्वस्तुओं आदि के प्रतिस्थापन द्वारा, प्रयोग में लाया जा रहा है।

112 उद्योग विस्तृत अध्ययन के लिये चुने गये हैं जिनकी प्रति वर्ष की उत्पादन की बढ़ोतरी इसी में आ जाती है जिसके अभाव में होने से आयात तदनुरूप अधिक मात्रा में होगा करना पड़ता। वर्ष 1970 के अध्ययन से पता चला है कि चुने हुए 112 उद्योगों में उत्पादन, 1969 से 2515.8 करोड़ रुपये था उसके मुकाबले बढ़कर 2878.3 करोड़ रुपये हुआ है। जोकि अर्थात 14.3 प्रतिशत बढ़ा है। वास्तविक उत्पादन में केवल 8.0 प्रतिशत है और शेष को मूल्य की वृद्धि में गिना गया है। विदेशी मुद्रा के समायोजन के पश्चात जिसमें आयातित वस्तुओं के सी० आई० एफ० मूल्य और देशी उत्पादन के मूल्य में अंतर और उत्पादन शामिल हैं, उत्पादन में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत 162.4 करोड़ रुपये आती है। इन 112 उद्योगों में वे सभी मुख्य इंजीनियर्स एवं रासायनिक उद्योग शामिल हैं जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार सभी उद्योगों के उत्पादन मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन करती है।

कच्चे माल के और अधिक मूल्य के तैयार माल के आयातों अर्थात जो प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक के हों के अतिरिक्त उन्हें देश में उत्पादन करने के लिये चुन लिया है। ऐसी 36 मदें हैं।

औद्योगिक उत्पादन में जहां कमीं है उनका भी पता लगा लिया गया है। 123 उद्योगों की सूची जिनमें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है मई, 1970 में प्रकाशित हुई है। यह सूची हाल में की गई जांच द्वारा उन औद्योगिक क्षेत्रों की तैयार की गई हैं जिनमें वांछित स्तर की रुचि का अभाव है ऐसे क्षेत्रों में आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये विशिष्ट सार्वजनिक सूचनायें जारी की गई हैं इन क्षेत्रों में संश्लिष्ट प्रक्षाकर, सोडा ऐश तथा कांच की बोतलों के निर्माण की मशीनरी और मुद्रण की मशीनें शामिल हैं। अन्य उद्योग हैं : कैलकाइड पैंट्रोलियम मोम, एकसल बक्सों के लिये गोलाबार रोलर विर्यारिंग, ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस, औद्योगिक गैसें, औद्योगिक प्रयोग के लिये कोल्ड फोर्म प्रिसीजन तेल मशीन पैंट्रोकेमीकल और अन्य उद्योगों के लिये अपेक्षित साफिस्टीकेटेड बल्ब। इस समय पूर्णतया अथवा अंशतया आयातित वस्तुओं जैसे उर्वरक कृषि के लिये ट्रैक्टर और पम्प, साइकिल उद्योग, इलैक्ट्रोडस, स्विच गियर, कार्क, पोलिस्टर, चिप्स, डी० एम० टी०, कैपरोलेक्टस, नाइलोन, टायर कोर्ड जिंक आक्साइड, टिटानियम-

डाइआक्साइड, संश्लिष्ट प्रक्षालक, बी-नेपथोल, डाइमिथायल एनेलिन के उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने ठोस अभ्युपाय किये हैं।

उपयुक्त के अतिरिक्त, 1970 की अवधि में देश में प्रथम बार 24 उत्पादों का उत्पादन हुआ है इनमें बैगन ड्रिल, स्टेकर/रिक्लेयर/शिपलोडर, अल्युमिनियम मेटलिक कैप्स, पावर हैरो, मेटलिक पम्प, आटोमैटिक बोतल बाशर और फिलर इनमें सम्मिलित हैं।

आक्सीजन प्लांट, रंगों की विभिन्न नई किस्में, हैवी ड्यूटी औद्योगिक चैनें, पावस थायरिस्टरस्, नये किस्स के इलैक्ट्रोनिक उपकरण डिवाईस एवं नये औजार, नये खाद्य उत्पाद, हाड्रालिक पम्प एवं बल्ब, बहुत सी नयी दवाएं, बल्ड ट्रान्सफ्यूजन उपकरण एवं विशिष्ट उष्मसह 1971 की अवधि में प्रथमवार उत्पादित वस्तुयें हैं।

(ख) ऐसे क्षेत्रों के बारे में जिनमें प्राप्त देशी जानकारी के ठीक प्रकार के प्रयोग द्वारा आयात प्रतिस्थापन योजनाओं से महत्वपूर्ण ढंग से कार्य किया जा सकता है, उनकी सूचना सरकार के विभिन्न अभिकरणों को सी० आई० आर०/एन० आर० डी० सी० निरन्तर देते रहते हैं।

कलकत्ता टेलीविजन स्टेशन

263. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित कलकत्ता टेलीविजन स्टेशन में अनुमानतः कितने समय में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ;

(ख) स्टेशन पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी और अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) टेलीविजन स्टेशन का कार्यक्रम कितने क्षेत्र में देखा जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) मार्च, 1974 तक।

(ख) परियोजना का कुल अनुमानित व्यय 190.59 लाख रुपए हैं तथा अब तक लगभग 25,000 रुपए व्यय हुए हैं।

(ग) उम्मीद है केन्द्र के कार्यक्रम कलकत्ता के इर्द गिर्द 80 कि० मी० के क्षेत्र में देखे जा सकेंगे।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर कारखाने की स्थापना

264. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक स्कूटर कारखाना लगाने का निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यह कारखाना कहां लगाये जाने का प्रस्ताव है और इस परियोजना में किस देश का सहयोग लिया गया है ;

(ग) उक्त कारखाने का निर्माण कार्य कब आरंभ होगा और कारखाने से पहला स्कूटर कब तैयार होकर आयेगा ;

(घ) सहयोगी देश के साथ हुए करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और बाजार में उपलब्ध अन्य स्कूटरों के मुकाबले इसके मूल्य और किस्म की तुलनात्मक स्थिति क्या होगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) संयुक्त क्षेत्र के एक एकक में जिसमें सरकार का 51% हिस्सा होगा, लम्ब्रेटा स्कूटरों के निर्माण करने का निश्चय किया गया है।

(ख) एकक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जायेगा। इसके निमित्त इटली की मे० इनोसेन्टी, मिलानों की दो पहिये वाले लम्ब्रेटा स्कूटरों के उत्पाद सम्बन्धी रूपरेखा, नमूना और नकशा (बरलूप्रिंट) आदि सहित सम्पूर्ण उत्पादन सुविधाओं को खरीद लेने का प्रस्ताव है।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि कम्पनी के भवन निर्माण का कार्य इटली की कम्पनी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि के 6 माह के भीतर शुरू हो जायेगा और उसके करीब। 1/2 वर्ष बाद स्कूटरों का उत्पादन शुरू हो जायेगा।

(घ) इटली की कम्पनी के साथ समझौते की शर्तें विचार विमर्श के अंतिम चरण में हैं।

(ङ) एकक की क्षमता 1,00,000 स्कूटर प्रतिवर्ष होगी। लम्ब्रेटा स्कूटरों के अधुनातम नमूने के स्कूटरों जिनका इटली की कम्पनी द्वारा गत वर्ष उत्पादन बन्द करने के समय तक उत्पादन किया जा रहा था, इस एकक में उत्पादन किया जायेगा। इस प्रकार ये स्कूटर इस समय देश में बन रहे स्कूटरों के समान ही लोकप्रिय हो सकेंगे। संयुक्त क्षेत्र में बनाये जाने वाले स्कूटरों की कीमत भी इस समय देश में बन रहें स्कूटरों की कीमत से कम ही होने की आशा है।

जयपुर के आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारण सीमा-क्षेत्र के विस्तार के लिये प्रस्ताव

266. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर (राजस्थान) के आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारण सीमा-क्षेत्र और शक्ति का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत-श्रीलंका के संयुक्त औद्योगिक उद्यम

267. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में भारत के विशेषज्ञों द्वारा दोनों देशों के बीच प्रस्तावित संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की संभाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ग) किन-किन देश क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). भारत और श्रीलंका के बीच सितम्बर और नवम्बर, 1971 के दौरान हुई बात चीत में दोनों देशों के मध्य औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के विचार से निम्नलिखित क्षेत्रों के उद्योगों की जांच-पड़ताल करने तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए निर्धारित किया गया था :—

(1) ग्रेफाइट पर आधारित उद्योग ।

(2) रबड़ की बनी हुई वस्तुएं जिसमें टायर तथा ट्यूब शामिल हैं ।

(3) अभ्रक उद्योग ।

(4) श्रीलंका में काफी मात्रा में उपलब्ध सिलिका वालू पर आधारित कांच (ग्लास शीट तथा आपथल्मिक ग्लास) ।

(5) रिफ्रेक्टरियां ।

(6) बिजली के फालतू हिस्से पुर्जे तथा बसों और चेसिसों के आटो स्पेयर्स ।

भारत के परामर्शदाताओं ने इन उद्योगों के बारे में पहले ही अध्ययन पूरा कर लिया है और मद (1) से (3) तक की संभाव्यता रिपोर्ट मार्च, 1972 के अंत तक और मद (4) से (5) तक की मई, 1972 के मध्य तक मिलाने की आशा है। यह तय किया गया है कि मद (6) के बारे में कोई सम्भाव्यता अध्ययन वर्तमान में कराना आवश्यक नहीं है ।

मध्य प्रदेश के जिला सतना में डाकखाना खोलना

268. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग को मध्य प्रदेश के जिला सतना में एक डाकखाना खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल, भोपाल इन प्रस्तावों की जांच कर रहे हैं और इस संबंध में जो मानदंड तै किये गये हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए इनके बारे में फैसला किया जाएगा ।

समाचारपत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज के कोटे के आवंटन में परिवर्तन

269. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज के कोटे के आवंटन में हाल ही में परिवर्तन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). जी, हां। वर्ष 1971-72 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति में 1 जनवरी, 1972 को संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार जनवरी-मार्च, 1972 की अवधि के लिए दैनिक समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन अधिकतम 10 पृष्ठों तक के लिए किया गया है। उन समाचार पत्रों के मामले में, जिन्हें पहले अलाट किए अखबारी कागज की मात्रा संशोधित आवंटन से अधिक थी, अधिक मात्रा को अग्रिम कोटा समझा जाता है और उसे 1972-73 की अवधि के लिए उनके कोटे में सभंजित किया जायेगा।

बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

270. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेन्सों के लिये बहुत से आवेदन-पत्र काफी समय से लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और वे कितने समय से लम्बित हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, नए उपक्रम स्थापित करने के लिये 31 दिसम्बर, 1971 तक प्राप्त कुल आवेदनों में से 23 आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं। इनमें से 2 आवेदन 1969, 4 आवेदन 1970 तथा 17 आवेदन 1971 के हैं।

(ग) और (घ). औद्योगिक लाइसेन्स के आवेदनों पर विचार करते समय प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर काफी विस्तार में विचार करने की आवश्यकता पड़ती है और कभी-कभी तो विशेष प्रकार के आवेदनों का निपटारा करने में कई कारणों से काफी समय लग जाता है। इनमें से कुछ मामलों में आवेदनों में सभी आवश्यक ब्यौरा नहीं दिया गया था और कुछ मामलों में अतिरिक्त जानकारी, मांगनी पड़ी थी। कुछ अन्य मामलों में, सम्पूर्ण उद्योग के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय करना था। इसीलिये अनिर्णीत आवेदनों का निपटारा कब तक हो जायगा। इसके बारे में ठीक-ठीक बता सकना कठिन है। फिर भी, सरकार लाइसेन्स के सभी आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक

है और इस बात का सुनिश्चय करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं कि आवेदनों के प्राप्त होने अथवा आवेदक पार्टी से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने, इसमें से जो भी धन वाद का हो, के तीन महीने के भीतर जहां तक सम्भव होता है, लाइसेंस के आवेदनों पर निर्णय कर लिया जाता है।

1972-73 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

271. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1972-73 के लिए सभी राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का कुल परिव्यय कितना है ; और

(ग) इन योजनाओं को कितनो केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) 1601.75 करोड़ रुपये।

(ग) 718.66 करोड़ रुपये।

औद्योगिक उपक्रमों को बन्द होने से रोकने के लिये व्यवस्था

272. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी उपयुक्त व्यवस्था बनाने का है जो औद्योगिक उपक्रमों को बन्द करने के खतरे को टालने में सहायक होगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार द्वारा इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

सिंध से पाकिस्तानियों का सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में आना

273. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर (राजस्थान) सीमा पर भारतीय सेनाओं द्वारा कब्जा किये गये क्षेत्र में

रहने वाले लोग इस क्षत्र के पाकिस्तान को वापिस दिए जाने की स्थिति में भुट्टों के राज्य में रहने के डर से भारतीय क्षेत्र में आने शुरू हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्र में आ गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). लड़ाई शुरू होने के बाद से सिंध के उन क्षेत्रों से जो अब हमारी सेनाओं के अधिकार में हैं तथा पाकिस्तान के अन्य भागों से 38,557 व्यक्तियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है ।

सिंध के जीते गये क्षेत्रों का प्रशासन

274. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिन्ध के जीते गये क्षेत्रों के प्रशासन के लिये कोई व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां नागरिक प्रशासन कौन प्राधिकार चला रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने भारतीय सेना की सहायता के लिए उन पाकिस्तानी क्षेत्रों में, जो उसके अधीन हैं विधि और व्यवस्था बनाए रखने तथा वहां रहने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा, भोजन तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की है ।

औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने में विलम्ब के कारण

275. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने में विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल गठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेन्सों के जारी करने और उनके कार्यान्वियन करने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों और कमियों का स्पष्ट रूप से पता लगाने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय में एक अधिकारी को लगभग 50 प्रतिनिधिकारी मामलों का विस्तार से विश्लेषण करने तथा इस प्रकार के सुधारात्मक संशोधन की सिफारिश करने जिससे लाइसेन्स के आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जा सके, नियुक्त किया

गया था । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जो मुख्य रूप से लाइसेन्स के आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने तथा उन्हें निपटानों की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिये आन्तरिक व्यवस्था करने के बारे में है ।

समाचारपत्रों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन

276. **श्री दशरथ देव :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने विज्ञापन देने के लिये समाचारपत्रों के चयन के लिये कुछ अनुदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). इस बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई निदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन नियंत्रक मंत्रालयों द्वारा उनके ध्यान में छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों को अपने विज्ञापन उपयुक्त अनुपात में देने की आवश्यकता लाई गई है ।

गुजरात में बड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना

277. **श्री नन्जीभाई रावजीभाई बेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में बड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वह कहां कहां पर स्थापित होंगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों, जिनमें गुजरात भी शामिल है, में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाएं उनके स्थापित किये जाने वाले स्थानों और परिव्यय सहित चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रलेख उद्धरण संलग्न हैं, में पृष्ठ 326 से 330 पर दी गई है ।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना	स्थान	चौथी योजना में परिव्यय (रुपये करोड़ में)
93	गुजरात एल्यूमिन परियोजना (केन्द्रीय अंश)		1.00

125	गुजरात एरोमैटिक्स परियोजना	कोयाली	18.00
133	गुजरात और बरौनी पैट्रो-रसायन कम्प्लैक्सेज (जिसमें आर० एण्ड डी० संगठन भी सम्मिलित है)	कोयाली	45.50
144	गौहाटी, बरौनी और रिफाइनरीज	कोयाली	20.80

चौथी योजना के लिये वित्तीय आवश्यकतायें

279. **श्री पीलू मोदी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1971 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश को चौथी योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इसका सन्दर्भ संसाधनों में वास्तविक कमी से है। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह कमी 1550 करोड़ रुपये बताई गई है यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के लिए मुद्रा के रूप में उतने ही संसाधन अनुमानित हैं जितने कि मूल रूप से परिकल्पित थे।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

चौथी योजना में लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन

280. **श्री पीलू मोदी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की घटनाओं से उत्पन्न विदेश व्यापार की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार चौथी पंच-वर्षीय योजना के लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). बंगला देश की घटनाओं ने, हमारे देश के विदेश व्यापार के लिए कोई खास कठिनाइयां पैदा नहीं की। फलस्वरूप इस कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन देने सम्बन्धी नियम

281. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा बोर्ड अपने विज्ञापन किन एजेंसियों के माध्यम से देते हैं ;

(ख) क्या कुछ विज्ञापन गैर-सरकारी विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से भी दिए जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने विज्ञापन रिलीज करने के लिये अपने प्रबन्ध करने में स्वतन्त्र हैं । तथापि, उनको कहा गया है कि वे केवल उन्हीं विज्ञापन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें जो पूर्णतया भारतीयों के स्वामित्व में हों या उनके द्वारा नियन्त्रित की जाती हों और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में हों । ऐसी एजेंसियों की एक सूची संलग्न है । **ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-1421/72**]

अलेप्पी के आकाशवाणी ट्रांसमीटर में खराबी

282. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलेप्पी में स्थापित आकाशवाणी के नए शक्तिशाली ट्रांसमीटर में कोई खराबी उत्पन्न हो गई है और वह संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) खराबी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं । तथापि, बिजली फेल हो जाने के कारण ट्रांसमिशन में कुछ रुकावटें हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेंट और वार्निश फैक्टरियां

283. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पेंट और वार्निश की कितनी फैक्टरियां पंजीकृत की गई हैं ?

(ख) भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न पेंट और वार्निश का कुल कितना उत्पादन हुआ और उनका मूल्य क्या है ;

(ग) उक्त अवधि में वर्ष-वार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(घ) उन शहरों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां वे स्थित हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ग). फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत फैक्टरियों के आंकड़े इस मन्त्रालय में नहीं रखे जाते क्योंकि यह मन्त्रालय केवल उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत औद्योगिक उपक्रमों की गतिविधियों से सम्बन्ध रखता है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की अवधि में पेंट और वार्निश बनाने के लिए किसी भी एकक को लाइसेंसीकृत/पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) संगठित क्षेत्र में फैक्टरियों द्वारा उत्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टनों में)	उत्पादन का कारखाने से चलते समय का कुल मूल्य (लाख रुपयों में)
1969	62,106	2,204
1970	65,217	2,767
1971	66,000	2,800

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसीकृत/पंजीकृत 17 एकक संगठित क्षेत्र में हैं। इनमें से 5 बम्बई (महाराष्ट्र) में, 10 कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) में, 1 मद्रास (तमिलनाडु) में और 1 उत्तर प्रदेश (मोदीनगर) में हैं।

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० और सम्बद्ध सेवाओं में भर्ती की आयु को बढ़ाना

284. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० आदि सम्बद्ध सेवाओं की भर्ती की आयु को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कब तक किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार श्रेणी दो की केन्द्रीय सेवाओं को भी यह सुविधा देने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रविष्ट होने के लिए ऊपरी आयु-सीमा को बढ़ाकर 26 वर्ष तक करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश का सम्बन्ध आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० तथा सम्बद्ध सेवाओं की भर्ती के लिए ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षाओं से है। इसमें श्रेणी दो की केन्द्रीय सेवाएं भी शामिल हैं जिनमें भर्ती इन परीक्षाओं के आधार पर की जाती है। यह सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

कारों के मूल्य में कमी करने के लिए विधान बनाना

285. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण कारों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या कारों के मूल्यों में कमी करने के लिए कोई विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

लाइसेंस नीति को उदार बनाना

286. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 54 उद्योगों के लिये लाइसेंस नीति को उदार बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये ऐसा किया गया है ; और

(ग) उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). देश में औद्योगिक क्षमता अधिस्थापित करने में निवेशित पूंजी तथा विदेशी मुद्रा का श्रेष्ठतर उपयोग करने के लिये, संगठित क्षेत्र के उद्योगों में वृद्धिदर की धीमी गति को तेज करने, तथा अधिक उपभोक्ता माल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने, बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों से संबंधित उद्योगों के अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रमों जिनका लाइसेंसीकरण/पंजीकरण एक या दो बारी के आधार पर किया गया था, व उपविशिष्ट उद्योगों के विषय में निर्णय लिया है कि उन्हें अधिकतम क्षमता के उपयोग के आधार पर अपना उत्पादन बढ़ाने दिया जायेगा । अन्य मामलों में जहां औद्योगिक उपक्रमों को पारियों की संख्या बताए बिना लाइसेंस दिये गये हैं उन्हें उनकी अपनी लाइसेंसित/पंजीयित क्षमता के ऊपर कुछ शर्तों के अंधीन अपने उत्पादन को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी । अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु औद्योगिक विकास मंत्रालय में विशेषरूप से गठित कार्यकारी दल द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा । सरकार आशान्वित है कि उत्पादन बढ़ने से साधारणतया उत्पादन की लागत घटेगी जो भिन्न-भिन्न उद्योगों में अलग अलग होगी । कीमतें स्थिर करने में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

287. **श्री एस० एम० बनर्जी** :
डा० संकटा प्रसाद :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले उन सभी सेनानियों को नियमित रूप से पेंशन देने की एक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र की यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में लागू होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). भारत सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छः महीने की जेल काटी थी तथा उनके परिवारों को यदि वे स्वयं जीवित नहीं हैं, पेंशन देने की एक योजना तैयार की है। शहीदों के परिवार भी पेंशन के अधिकारी होंगे/पेंशन स्वीकृत करते समय स्वतंत्रता सेनानियों और/अथवा उनके परिवारों की आर्थिक दशा और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उन व्यक्तियों को मासिक भत्तों के भुगतान को ध्यान में रखा जायगा।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की कुल राशि 200/-रुपये मासिक से कम नहीं होगी और शहीदों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को पेंशन 100/-रुपये और 200/-रुपये मासिक के बीच होगी।

"परिवार" में स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों की विधवा, अविवाहित लड़कियां तथा मां सम्मिलित होगी। पुत्र भी शामिल किये जाएंगे यदि यह साबित हो जाता है कि वे अपने पिता के कारावास/शहीद होने के कारण जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे। परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी। पेंशन सामान्यतः लाभ उठाने वाले के जीवन काल के लिए होगी किन्तु अविवाहित लड़की के मामले में यह केवल उसका विवाह होने तक देय होगी।

(ग) यह योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक सरकारी निगम के रूप में बदलना

288. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक सरकारी निगम के रूप में बदलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार समाचार भारती जैसी अन्य प्रेस एजेंसियों को भी अपने नियन्त्रण में ले रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया या किसी अन्य समाचार एजेंसी को एक सरकारी निगम में बदलने के प्रश्न पर, समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के फैलाव तथा उनके प्रबन्ध सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने के बाद विचार किया जायेगा।

समाचारपत्रों के एकाधिकार को रोकने के लिए विधान

289. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान द्वारा समाचारपत्रों के एकाधिकार को रोकने के लिए अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस विधान को संभवतः कब लाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). प्रमुख समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने के कुछ प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं। मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। क्योंकि इस मामले में नीति के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हैं, अतएव, अन्तिम निर्णय लिये जाने में कुछ समय और लगेगा। इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि इस बारे में विधान कब लाया जायेगा।

फिल्म उद्योग में संकट

290. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा गृहों की कमी के कारण भारत का फिल्म उद्योग संकट में है ;

(ख) क्या संकट के अन्य कारण भी हैं ; और

(ग) इस उद्योग को संकट से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ऐसा कोई संकट नहीं है, परन्तु फिल्म उद्योग की समस्याओं में से एक समस्या सिनेमाघरों की कमी है।

(ख) कुछ और समस्याएं भी हैं जो फिल्म उद्योग पर असर करती हैं जैसे अधिक ब्याजी धन, काले धन का प्रचलन तथा स्टार पद्धति।

(ग) जबकि भारतीय सरकार ने कई कदम उठाये हैं, फिल्मों के प्रदर्शन आदि से सम्बन्धित कदम राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में एक महत्वपूर्ण कदम अच्छी फिल्मों को ब्याज की उचित दरों पर धन देने के लिए फिल्म वित्त निगम का गठन है। ऐसे और कदमों पर विचार करने के लिये जो इस उद्योग की समस्याओं को निपटाने के लिए आवश्यक हों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और उद्योग के प्रतिनिधियों की एक फिल्म सलाहकार परिषद् गठित करने का भी सरकार का विचार है।

चौथी योजना के अन्तर्गत बिहार के लिए निर्धारित राशि में वृद्धि की मांग

291. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने मांग की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार के लिए निर्धारित राशि में वृद्धि की जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, योजना के आकार में 3.65 करोड़ रुपये बढ़ा कर, बिहार सरकार ने मार्च, 1971 में अतिरिक्त निधि के लिए निवेदन किया था। योजना आयोग ने इस पर विचार किया परन्तु इस निवेदन को रद्द कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार सभी राज्यों की चौथी योजना के लिए उपलब्ध कुल केन्द्रीय सहायता पहले ही वितरित की जा चुकी है और किसी भी राज्य को अतिरिक्त धन आवंटित करने के लिए बकाया धन उपलब्ध नहीं है।

बिहार में ट्रकों और कारों के टायरों की कमी

292. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अन्य जिलों और पटना में ट्रकों और कारों के टायरों की कमी है ;

(ख) क्या बिहार परिवहन संघ ने इस बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो टायरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) पटना से पाइलोन ट्रक टायरों की कमी की रिपोर्ट मिली है तथा बिहार के अन्य जिलों से कार और ट्रक टायरों की कमी का पता चला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में सरकारी अधिकारियों, टायर डीलर्स संगठनों तथा बस और ट्रक मालिकों के संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति उपलब्ध माल को समाज वितरण का सुनिश्चय करने के लिए स्थापित की है। उत्पादकों से दुर्लभ किस्म के टायरों का उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है।

बिहार के विकास के लिए योजना

293. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के विकास के लिये कोई योजना तैयार की है और उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कोई ऐसी योजना इस मंत्रालय या योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों की छंटनी

294. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनगणना कार्य में नियुक्त कर्मचारियों की छंटनी के आदेश जारी कर दिये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें कुछ अन्य विभागों में खपाने के लिये कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या बिहार राज्य जनगणना कर्मचारी संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जनगणना सूचियों को छांटने के लिए अस्थाई रूप से रखे गये कर्मचारियों की छंटनी के आदेश दे दिए गये हैं। यह "एक समय" का कार्य था जिसके पूरे होने पर छंटनी की जानी थी।

(ख) जनगणना के अस्थाई कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 6 महीने की सेवा की हो संबंधित रोजगार कार्यालयों द्वारा वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से तृतीय प्राथमिकता दी जाती है। वे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने से कम सेवा की है, संबंधित रोजगार कार्यालयों में अपने नामांकन की पूर्व तिथि बनाये रखने के हकदार होंगे।

(2) उनकी आयु में उतनी अवधि की छूट प्राप्त करने का भी हक होगा जितनी अवधि की सेवा उन्होंने जनगणना संगठन में की हो।

(3) विभिन्न जनगणना संचालन निदेशकों को इन कर्मचारियों के संबंध में उनकी छंटनी की सम्भावित तिथि से काफी पहले रोजगार कार्यालयों में पुनः नामांकन के लिए "अनापत्ति पत्र" देने के अनुदेश दिये गये थे।

(4) विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध दिया गया है राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए इन छंटनी किए गये कर्मचारियों के मामलों में सहानुभूति पूर्वक विचार करें। भारत के महापंजीकार द्वारा की गई अपील पर अनेक

राज्य सरकारों ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उनके नियंत्रण में होने वाली रिक्तियों को भरने में जनगणना कार्यालयों से छंटनी किए गये कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के आदेश दिए हैं ।

(5) विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से भी अनुरोध किया गया है कि इन छंटनी किए गये कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनके नियंत्रण में होने वाली रिक्तियों की भर्ती के मामले में छंटनी किए गये जनगणना कर्मचारियों को प्राथमिकता दें ।

(6) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने देश के सभी महालेखाकारों को अनुदेश दिए हैं कि उनके कार्यालयों में होने वाली रिक्तियों को भरने में छंटनी किए गये कर्मचारियों को प्राथमिकता दें ; वे जिन्होंने एक वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा की है उन्हें बिना और आगे परीक्षा दिए नौकरी में रखें ।

(7) सुरक्षा लेखा के महानियंत्रक भी उन छंटनी किए गये कर्मचारियों के ऐसे मामलों पर विचार करने को सहमत हुए हैं जिनको रोजगार कार्यालय द्वारा देश में अनेक स्थानों में उपयुक्त रिक्तियों के लिए भेजा जायेगा ।

(ग) बिहार राज्य जनगणना कर्मचारी संघ ने जनगणना संचालन निदेशक, बिहार को एक ज्ञापन इस आशय का भेजा था कि यदि उनको नौकरियों में बनाये रखने के संबंध में कोई सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही नहीं दी गई तो वे उनके कार्यालय के आगे भूख हड़ताल कर देंगे। अस्थाई जनगणना कर्मचारी उस कार्य पर लगाये गये थे जिसके केवल कुछ महीने चलने की आशा थी और इस स्थिति का उनको रोजगार में लगते समय पूरा ज्ञान था । इसको दृष्टि में रखते हुए तथा सरकार द्वारा किए गये प्रयत्न जैसा कि उपरोक्त 'ख' भाग के उत्तर में दिए गये हैं, को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित हड़ताल न्यायोचित नहीं समझी गई ।

Employees on Deputation to Border Security Force Headquarters

295. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) category-wise number of employees from various Departments working on deputation in the Border Security Force Headquarters and the dates since when they have been working on deputation ;

(b) whether this practice is against the interests of the employees working in the Central Secretariat Service ; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) A statement is attached. This does not include the officers who have been taken on deputation against posts which are tenable by Defence/Police/Wireless/Medical personnel.

(b) and (c). Posts of 1 Section Officer, 14 Assistants and 2 Stenographers (Gr. II) were temporarily de-cadred as suitable employees from Central Secretariat Services were not available. The question whether these posts should continue as such in the light of the present availability of suitable employees from the Central Secretariat Services is being considered.

The rest of the posts are filled on deputation basis by officers having the required experience.

Statement

S. No.	Category of post	No. of employees on deputation	Date from which on deputation
1.	Deputy Director (Accounts)	1	3.12.71
2.	Executive Engineer	1	27.2.67
3.	Assistant Director (Accounts)	1	11.5.66
4.	Jt. Asstt. Director (Accounts)	4	24.8.66, 6.3.67, 7.6.67, 26.6.67
5.	Administrative Officer	2	1.4.70, 1.4.70
6.	Programme Assistant	1	28.5.68
7.	Section Officer	1	1.4.71
8.	Superintendent	9	13.4.67, 1.6.67, 11.8.67, 7.5.69, 7.1.70, 8.7.70, 13.9.71, 1.11.71, 6.1.72
9.	Assistant Superintendent	9	1.6.67, 1.6.67, 21.10.69, 25.10.69, 28.10.69, 8.7.70, 8.7.70, 8.7.70, 1.6.71
10.	Assistant	14	24.3.66, 25.3.66, 28.3.66, 29.3.66, 30.3.66, 30.3.66, 1.4.66, 20.4.66, 1.5.66, 4.5.66, 18.10.66, 26.12.66, 6.12.69, 14.12.70
11.	Stenographer (Gd. II)	2	30.4.66, 21.5.66
12.	Accountant	2	20.3.69, 8.7.70
13.	Auditor	14	9.6.67, 16.6.67, 19.6.67, 21.6.68, 23.5.69, 24.5.69, 12.9.69, 3.11.69, 2.3.70, 2.3.70, 2.3.70, 11.3.70, 21.9.71, 1.10.71
14.	Sr. Grade Clerk	2	11.7.69, 14.7.69
15.	U.D. Clerk	4	1.4.68, 4.6.69, 2.3.70, 1.3.71.

(Above figures do not include officers taken on deputation against posts which are tenable by Defence/Police/Wireless/Medical personnel).

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम आरम्भ करना

296. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में उन गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से, उन पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम आरम्भ करने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें सरकार ने प्रोत्साहन तथा प्रलोभन देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) इन उद्यमों में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा तथा ये किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) कितने उद्यमों को स्वीकृति तथा लाइसेंस दिये जा चुके हैं और उनकी क्रियान्विति किस अवस्था में है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1-1-72 से 9-3-72 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों हेतु पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना स्थल संबंधी 87 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं ।

(ख) ये आवेदनपत्र सूती और संश्लिष्ट कपड़ा, प्लाईबुड, मैदा, सूजी, आटा, स्क्रू, मोटर गाड़ियों का सहायक सामान, चक्षुषीय उपकरण, गोलाकार और शुन्डक रोलर बियरिंग, बिजली के लैंप की टोपियां, संश्लिष्ट प्रक्षालक कैल्सियम कार्बाइड, आक्सीजन और एसीटिलीन, दुग्ध उत्पाद, बैटरी के सूखे सेल, इस्पाती बिलेट, कार्बन और मिश्रित इस्पात की ढली हुई वस्तुएं, अल्युमिनियम की छड़ें, इस्पात की ढली हुई वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, रेजर ब्लैड, वनस्पती घी, इंजन वाल्व आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन से संबंध रखते हैं । अल्लेपी, बेलगाम, कोलाबा, भावनगर, वर्दवान, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, मदूरै, मिकिरहिल्स उत्तरी अर्काट, पुरूलिया, पांडीचेरी, धारवाड़, बुलन्दशहर, हिसार, गोवा, फतेहपुर, औरंगाबाद, खम्मान, दरभंगा, पूर्निया, भागलपुर, श्रीकाकुलम, रत्नागिरी, जलगांव, साउथ कनारा, गुरदासपुर, गुलबर्ग, मैहसाना, रायचूर, राय बरेली, त्रिपुरा, डेवास, पंचमहल, कामरूप, मयूरभंज और जोधपुर वरीयतावाले स्थापना स्थल हैं ।

(ग) सब आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं ।

औद्योगिक उत्पादन

297. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में औद्योगिक उत्पादन की कम उत्पादन-दर के कारणों का पता लगा लिया गया है ;

(ख) किन-किन मदों से उत्पादन कम हुआ है ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि 8 से 10 प्रतिशत विकास के योजना लक्ष को प्राप्त किया जा सके ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). 1971 में औद्योगिक उत्पादन की सम्पूर्ण वृद्धि की दर धीमी होने के कई इकट्ठे कारण हैं ये कारण संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :—

(क) कुछ उद्योगों में क्षमता पर नियंत्रण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे उनकी सम्पूर्ण वृद्धि दर कम हो गई है ।

(ख) कुछ उद्योगों पर मांग गिरजाने के कारण भी असर पड़ा है ।

(ग) अनेक उद्योगों में उत्पादन समस्याएं रही हैं जिसमें श्रमिक प्रबंध से संबंधित समस्या भी सम्मिलित है ।

(घ) पूर्वी क्षेत्र में कभी कभी बिजली चली जाने और परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण (शरणार्थियों के आवागमन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता से उत्पन्न) भी कई उद्योगों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ङ) अनेक उद्योगों में कच्चे माल (जैसे गन्ना, कपास इस्पात) से भी की कमी से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

2 उन उद्योगों में जिसमें उत्पादन (जैसे उत्पादन के अस्थायी आंकड़ों से आंका गया है) संतोषजनक नहीं रहा है, वे चीनी, नमक, सूती धागा और सूती कपड़े, साइकिलों के टायर और ट्यूब, रबड़ के जूते, कास्टिक सोडा, कैल्सियम कार्बाइड, गंधक का तेजाब, विस्कोज, फिलामेंट यार्न और स्टेपल फाइबर, एसीटेट यार्न, वाट डाईज, इन्सुलेटर, कागज और गत्ता, जस्ता, सीसा, कच्चा लोहा, बिक्री योग्य इस्पात की ढली वस्तुएं, इस्पात के पाइप और ट्यूब, ढांचे, मोटर-गाड़ियों की डीजल इंजन, शक्ति चालित पंप, ट्रैक्टर, विद्युत मोटरें और ट्रांसफार्मर, बिजली के बल्ब, स्टोरेज बैटरियां, मोटर साइकिलें और तीन पहिए वाली गाड़ियां, लकड़ी के पेंच, तार के रस्से और कोयला उद्योग हैं ।

3. योना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए गये कुछ अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

विभिन्न उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का और अधिक आयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति को काफी उदार बना दिया गया है ;

औद्योगिक लाइसेंस कार्यविधि को सुप्रवाही बना दिया गया है और लाइसेंस देने की गति बढ़ा दी गई है ;

पूंजीगत वस्तुओं के आयात लाइसेंस के मूल्य में भी पर्याप्तरूप से वृद्धि कर दी गई है ; और

इस्पात के आयात के लिए लाइसेंस देने का कार्य तेज कर दिया गया है, 1971-72 में अन्य खतरनाक कच्चे माल का आयात करने हेतु लाइसेंस देने के काम में भी वृद्धि कर दी गई है।

स्वतन्त्र शासन की मांग करने वाले पोस्टर

298. **श्री के० बालतण्डायुत्तम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तंजाबुर में 'स्वतंत्र शासन" (इंडिपेंडेंट रूल) का मांग करने वाले पोस्टर लगाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस पृथक्वादी आन्दोलन के पीछे कौन-सी राजनीतिक शक्तियां हैं ; और

(ग) इस आन्दोलन को समाप्त करने की दृष्टि से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग), राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दोषयुक्त टेलीफोन कनेक्शनों की जांच

299. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दोषयुक्त टेलीफोन कनेक्शनों की जांच करने के लिये दूर संचार इंजीनियरों से कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच करते समय उन्हें यह पता लगा कि इस देश में कुछ वर्ष पहले लगाया गया टेलीफोन उपकरण वह उपकरण नहीं है जो अन्य देशों में उस नाम से जाना जाता है ; और

(ग) क्या इस बात का पता इसके तुरन्त बाद लगा जब अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की अमरीकी कम्पनी की बेल्जियम सहायक कम्पनी के साथ सहयोग करार समाप्त होने वाला था ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). अनुमान है कि माननीय सदस्य उन क्रासबार एक्सचेंजों के दोषपूर्ण कनेक्शनों के बारे में जानकारी चाहते हैं जिनके लिए साज-सामान का आयात बेल्जियम से किया गया था। यदि वे यही जानकारी चाहते हैं, तो उत्तर इस प्रकार है :

(क) जी नहीं। क्रासबार एक्सचेंजों की खामियां उनके स्थापना के दौरान और चालू होने के बाद पकड़ में आयीं। इनकी जांच की गई है। इन्हें दूर करने और इन एक्सचेंजों के काम में सुधार के लिए भारतीय दूरसंचार इंजीनियरों और बेल्जियम की फर्म के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) क्रासबार एक्सचेंज कई तरह के होते हैं और हरएक की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। 'पेंटाकोंटा' इनमें से एक है। इसी का आयात किया गया था और यह संसार में क्रासबार प्रणाली के नाम से जाना जाता है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिये राज्यों द्वारा अपने योजना कार्य-क्रमों के पुनरीक्षण के बारे में योजना आयोग का अनुरोध

300. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री सी० टी० दंडापणि :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उन परियोजनाओं में विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिये अपने योजना कार्यक्रमों को पुनरीक्षित करें जिनको कि देशी सामान तथा उपकरणों से बनाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध प्रदेश में परमाणु बिजली केन्द्र की स्थापना

301. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्रप्रदेश में एक परमाणु बिजली केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख). सरकार ने एक स्थल चयन समिति नियुक्त की है जो उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करेगी। दक्षिणी विद्युत क्षेत्र, जिसमें आंध्रप्रदेश भी शामिल है, के स्थलों की जांच की जा रही है। स्थल चयन समिति को सिफारिश प्राप्त होने पर, आंधप्रदेश में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने पर निर्णय किया जाएगा।

केरल में अंडाचूर्ण कारखाना खोलने संबंधी योजना

302. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अंडा चूर्ण कारखाना खोलने की अपनी योजना के संबंध में कोई मार्केट सर्वेक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजा था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव तथा सलाह केरल सरकार को दे दिये हैं ; और

(ग) यदि हैं, तो कब और उसका सारांश क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, मार्केट सर्वेक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग). कृषि मंत्रालय ने अपने विचार फरवरी, 1972 में राज्य सरकार को भेजे थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि दूध और अंडा दोनों को चूर्ण में परिवर्तित करने के लिए एक बृहत्तर संयुक्त संयंत्र उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्थापित करना पड़ेगा।

केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राशि

303. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से इस आशय की कोई सूचना मिली है कि जिन ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य में स्थापित करने के लिये मंजूरी मिली थी उसके लिये राशि अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केरल सरकार को चौथी योजना में कोई ग्रामीण उद्योग परियोजना आवंटित नहीं की गई थी। किन्तु, 1962-63 में केरल को दो ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं आवंटित की गई थीं जिन्हें चौथी योजना में जारी रखा गया है। अनुदान और दिये गये ऋण और वास्तविक व्यय जैसा राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सूचित किया है, निम्न प्रकार है :–

वर्ष	दी गई राशि	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)
1969-70	10.18	8.07
1970-71	6.95	4.68
1971-72	5.16	5.17
	(आवंटन)	(दिया जा रहा है)

Setting up of Paper Mill at Mailani (U. P.)

305. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased te state :

(a) whether a Paper Mill is being set up at Mailani (Uttar Pradesh) ;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the time by which the said Mill is likely to go into production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A letter of intent has been issued to a private firm for setting up a plant for the manufacture of Newsprint, Writing and Printing paper and Rayon grade pulp or Paper grade pulp.

(b) Approximately Rs. 56.5 crores.

(c) According to the firm, their plant is expected to be commissioned in 1974-75.

Decentralization of All India Radio

306. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the scheme for decentralization of All India Radio is being implemented ; and

(b) if so, the broad features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) and (b). The matter is under consideration.

Directions issued regarding grant of Permission to Officers to Examine Official Records while writing Books

307. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have issued directives to the effect that those Government officers, who want to express their experiences in life by writing books, would not be permitted to consult the official records ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Official records are open for consultation or reference generally only on the expiry of 30 year limit. Official records relating to more recent years are not made available for consultation except on specific special permission of the Government. These rules are applicable to ordinary research scholars as well as Government officers in service or after their retirement.

राज्यों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों का स्थापित किया जाना

308. **श्री के० पी० उन्नी कृष्णन्** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सब राज्यों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, संस्थानों और अन्य अनुसंधान केन्द्रों को उचित रूप से स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में उनकी स्थापना नहीं की गयी है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रत्येक राज्य में एक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की व्यवस्था के लिये अनुसंधान संस्था स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थान और

औद्योगिक अनुसंधान एसोसिएशन, क्षेत्रीय स्टेशन, अनुसंधान केन्द्रों आदि के नामों की स्थान सहित एक तालिका साथ में संलग्न है **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1422/72.]**

इस समय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तथा नागालैण्ड राज्यों में कोई भी प्रयोगशाला अथवा अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय प्रयोगशाला/केन्द्र को स्थापित करने से सम्बन्धित प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करते समय अनुसंधान के उद्देश्यों, कच्चे माल की उपलब्धि, स्थानीय कार्यकलापों के लिए उनकी आवश्यकता, आदि आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता हैं और प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोषों के आधार पर निश्चय लिया जाता है।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं और विस्तार केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेशों के लिए एक समिति का गठन किया गया है। लेकिन इस समिति ने फिलहाल सुझाव दिया है कि देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में बहु-उद्देशीय सुविधायें उपलब्ध करने के लिये क्षेत्रीय अनुसंधान विकास केन्द्रों को स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

भावी आयोजन के लिये सुदृढ़ वैज्ञानिक और तकनीकी आधार का विकास

310. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भावी आयोजन के लिये सुदृढ़ और स्थायी वैज्ञानिक तथा तकनीकी आधार का विकास करने हेतु बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपलब्ध करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : देश में उपलब्ध निपुणता का आयोजन प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कर्णधार दल, कार्यकारी दल (टास्क फोर्सिस) गठित किये गये हैं। ये योजना आयोग तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के अधीन हैं और इनमें देश की विविध विधाओं/अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में, सामाजिक-आर्थिक योजना के समान ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना बनाने का विचार है।

भू-उपग्रह संचार केन्द्र

311. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में डोईवाला में दूसरा भू-उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित करने के बाद सरकार और अधिक भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के किस क्षेत्र में तीसरा केन्द्र स्थापित किया जाये ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में देहरादून के प्रस्तावित उपग्रह भूमि केन्द्र के अलावा, किसी अन्य भूमि केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। तीसरे भूमि केन्द्र की स्थापना के लिये संभाव्यता-अध्ययन किया जा रहा है और यदि परियात व वित्तीय आधारों पर इसका औचित्य सिद्ध हुआ तो पूर्वी खण्ड में एक ऐसे केन्द्र की स्थापना की संभावना है।

कछार में कागज के कारखाने की स्थापना

312. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कछार जिले में कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त कारखाने से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ; और

(ग) उक्त कारखाने की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) स्थानास्थल का चयन कर लिया गया है और परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि को आसाम सरकार ने कब्जे में ले लिया है। परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(ख) मिल में लगभग 1,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्षरूप से रोजगार मिलेगा और वन, परिवहन आदि कार्य करने से लगभग 5,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्षरूप से रोजगार मिलेगा।

(ग) परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने से पहले कोई निश्चित राशि नहीं बताई जा सकती है, लेकिन मोटे अनुमान से परियोजना पर 30 से 35 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय एकता का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिये टेलीविजन कार्यक्रम

313. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर 'भारत दर्शन' जैसे किसी नाम के अन्तर्गत 'विविध भारती' की तरह का कोई ऐसा कार्यक्रम प्रसारण करने का प्रस्ताव है जिससे कि केवल स्थानीय चित्र घर की बजाय देश की और अधिक राष्ट्रीय एकता का स्वरूप प्रदर्शित हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). टेलीविजन पर विविध भारती कार्यक्रम चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों में दर्शकों के लिये ऐसे कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति प्रस्तुत करना होता है। भविष्य में स्थापित किये जाने वाले नये टेलीविजन केन्द्रों के कार्यक्रमों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे।

केरल में डाक-तार कार्यालयों का खोला जाना

314. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्षों में केरल राज्य में नये डाक तथा तार कार्यालय खोलने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) नये डाक तथा तार कार्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे तथा वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(ग) नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने डाक तथा तार घर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) चालू वर्ष अर्थात् 1971-72 में केरल राज्य में 60 डाकघर और 22 तारघर खोलने का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) जहां तक डाकघरों का प्रश्न है लक्ष्य से अधिक अर्थात् 65 डाकघर खोले जा चुके हैं। 10-3-72 तक 17 तारघर खोले जा चुके हैं। आशा है कि बाकी 5 तारघर चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले खोल दिए जाएंगे।

1971-72 में अब तक जिन स्थानों पर डाक व तारघर खोले गए हैं, उनके नामों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इनमें से सिर्फ 5 डाकघर और 1 तारघर शहरी इलाके में होगा और शेष डाक व तारघर देहाती इलाके में होंगे।

दिल्ली-बीकानेर सीधी टेलीफोन प्रणाली का सुचारु रूप से कार्य न करना

315. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बीकानेर के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था होने के बावजूद भी, दिल्ली और बीकानेर के बीच अत्यावश्यक काल मिलाने में काफी समय लग जाता है और सात बजे शाम के बाद ही काल मिल पाती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्रीमती हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) दिल्ली और बीकानेर के बीच सीधी टेलीफोन डायल करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बीकानेर एक मैनुअल एक्सचेंज है।

सामान्य परिस्थितियों में बीकानेर के लिये अर्जेंट काल करने में 30 मिनट से अधिक विलम्ब नहीं होता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक कार्य

316. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक कार्य शुरू करने अथवा इसका विकास करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : बहराइच उत्तर प्रदेश के उन 36 पिछड़े जिलों में से एक है जो उद्योग प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय संस्थानों से रियायती धन पाने के पात्र हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम तथा उत्तर प्रदेश लघु निगम के सहयोग से राज्य उद्योग निदेशालय ने इन पिछड़े जिलों का एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया है। आई० एफ० सी०, आई० सी० आई० सी० और एग्रीकल्चरल रिफाइनर्स कारपोरेशन जैसी वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों का एक औद्योगिक सर्वेक्षण भी कराया है। उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण तो पूरा हो चुका है, रिपोर्ट का संपादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर द्वारा जनवरी, 1970 में बहराइच जिले का सर्वेक्षण भी किया गया था जिसमें लघु क्षेत्र में मांग और संसाधन स्रोत पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। उत्तर प्रदेश शासन ने भी छोटे, बड़े और मंझोले क्षेत्रों में निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता व प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। उद्योगों के विकास के लिये जिम्मेवार राज्य अभिकरणों तथा स्वयं उद्यमकर्ताओं के पहल पर प्रमुख रूप से इस जिले तथा अन्य पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करना निर्भर करता है।

बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में दूर संचार व्यवस्था

317. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में दो वर्ष से अधिक समय से नये टेलीफोन लगाने के लम्बित प्रार्थना पत्रों की क्या संख्या है ;

(ख) इन प्रार्थियों को टेलीफोन प्रदान न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) जिले में दूर संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती बहुगुणा) : (क) ऐसी 46 अर्जियां बकाया हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

बहराइच 44.

नानपारा 2.

(ख) जमींदोज केबल की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

(ग) इस इलाके के लिये अतिरिक्त केबल प्राप्त करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में मांड उद्योग

318. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में मांड के कितने कारखाने चल रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उस राज्य में इस उद्योग की संभावनाओं तथा विकास की जांच की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई संगठित मांड कारखाना (स्टार्च फैक्टरी) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 12 लाख मी० टन मक्का उपलब्ध होने का अनुमान है और राज्य में मांड के कारखानों की स्थापना करने की संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में मांड के कारखाने स्थापित करने के लिए सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जायेगा।

केरल में केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान

319. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल राज्य में नाम सहित कितने औद्योगिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1972-73 में किन स्थानों पर कौन-कौन से केन्द्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये जाने का विचार है ;

(ग) उन पर कुल कितनी लागत आयेगी और कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा और पूरा होगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल राज्य में इस समय निम्नलिखित केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाएं कार्य कर रही हैं :—

(1) हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स, आलुबाय ।
(2) कोचीन रिफाइनरी, कोचीन ।
(3) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमश्शेरी ।
(4) एफ० ए० सी० टी०, आलुबाय ।
(5) कोचीन फर्टीलाइजर्स, कोचीन ।

(ख) और (ग). केरल राज्य में चौथी योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजना उनके स्थापना और परिव्यय निम्न प्रकार हैं :–

क्रमांक	योजना का नाम	स्थापना स्थल	चौथी परिव्यय योजना की अवधि राशि (करोड़ रु० में)
1.	द्वितीय शिपयार्ड	कोचीन	22.00
2.	एफ० ए० सी० टी० (4 स्टेज एक्सपैंसन)	आलुबाय	2.67
3.	कोचीन फर्टिलाइजर्स	कोचीन	21.36
4.	कोचीन रिफाइनरी (एक्सपैंसन)	कोचीन	4.00
5.	अखबारी कागज फैक्टरी	कोट्टायम	(परिव्यय पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है) फिर भी, कुल लागत का अनुमान 30 करोड़ रु० है)

(घ) उपर्युक्त योजनाओं के पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं/उठाये जा रहे हैं ।

भू-उपग्रहों से प्रसारण की सुविधाएं

320. **श्री एस० पी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू-उपग्रहों से प्रसारण की सुविधाएं कितने समय तक उपलब्ध हो जायेंगी ;

(ख) इन सुविधाओं के फलस्वरूप गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या टेलीविजन देख सकेगी ; और

(ग) क्या उक्त समय तक सर्वसाधारण के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीविजन सेट उपलब्ध हो जायेंगे और यदि हां, तो टेलीविजन विस्तार योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) लगभग 1974 के मध्य तक।

(ख) भारत-अमरीका उपग्रह टेलीविजन प्रयोग के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 5,000 ग्रामों में टेलीविजन सैट लगाने की योजना है। यह केवल एक प्रयोग है और इस प्रयोग के दौरान देश की बहुत थोड़ी ग्रामीण जनता टेलीविजन देखने की सुविधाएं प्राप्त करेगी।

(ग) उपग्रह से कार्यक्रम विशेष रूप से निर्मित सैटों पर ही देखे जा सकेंगे जिनको सरकारी खर्चे पर इन 5,000 गांवों में लगाया जायेगा। साधारण घरेलू सैटों पर उपग्रह से कार्यक्रम नहीं देखे जा सकेंगे।

तमिलनाडु में सांझे क्षेत्र में सिगरेट कारखाने की स्थापना

321. **श्री के० गोपाल** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार सांझे क्षेत्र में सिगरेट कारखाने की स्थापना करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल डैवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड को तमिलनाडु के धारनपुरी जिले में 45,000 लाख संख्या में प्रतिवर्ष सिग्रेटों का उत्पादन करने के लिए एक सिग्रेट फैक्टरी की स्थापना हेतु आशयपत्र जारी किया गया है। कारपोरेशन से संयुक्त क्षेत्र में फैक्टरी स्थापित करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हैदराबाद में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगाया जाना

322. **श्री वरके जार्ज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1971 में हैदराबाद में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगाया गया था और कुछ सुप्रसिद्ध धर्मप्रचारकों सहित 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के तथाकथित उल्लंघन के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल कर रहा है, जिसका पता अगस्त, 1971 में कुछ विदेशी मुद्रा के अभिग्रहण के परिणामस्वरूप लगा है। जांच के दौरान, मास सितम्बर तथा अक्तूबर, 1971 में हैदराबाद में 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह बताया जाता है कि उनमें से तीन धर्मप्रचारकों से सम्बद्ध हैं।

(ख) चूंकि जांच चल रही है, अतः अन्य ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि इससे जांच कार्य में बाधा पड़ सकती है।

वर्ष 1971-72 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन

323. **श्री वरके जार्ज** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1971-72 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल परिव्यय कितना है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 1971-72 के लिए राज्यों का अनुमोदित योजना परिव्यय

	(लाख रुपये)
1—आन्ध्र प्रदेश	8700
2—असम	4221
3—बिहार	9673
4—गुजरात	9554
5—हरियाणा	6063
6—हिमाचल प्रदेश	2082
7—जम्मू और कश्मीर	3079
8—केरल	6000
9—मध्य प्रदेश	9046
10—महाराष्ट्र	17874
11—मेघालय	795
12—मैसूर	7000

13—नागालैंड	804
14—उड़ीसा	4833
15—पंजाब	7936
16—राजस्थान	6255
17—तमिलनाडु	8020
18—उत्तर प्रदेश	20915
19—पश्चिम बंगाल	5941
योग	138791

औद्योगिक विकास में गिरावट और जांच करने के लिये अर्थशास्त्रियों की तालिका बनाना

324. **श्री वरके जार्ज** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक विकास में अत्यधिक गिरावट की जांच के लिये एक उच्चाधिकार युक्त अर्थशास्त्री दल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी नहीं ।

फर्मों द्वारा लाइसेंस संबंधी विनियमों का उल्लंघन किया जाना

325. **श्री वरके जार्ज** : क्या **औद्योगिक विकास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1971 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सैंकड़ों फर्में, काम चालू रखने के लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र देकर लाइसेंसों के लिए विनियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लाइसेंस मुक्त उद्योगों में उत्पादन रत उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस से दी गई छूट को वापस लेने के फलस्वरूप तथा उन उद्योगों को, जिन्हें 19 फरवरी, 1970 की घोषित संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंसीकरण उपबन्धों से छूट नहीं दी गई थी, का काम चालू रखने के लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हैं यदि 19 फरवरी, 1970 के पहले, जब वे औद्योगिक लाइसेंसीकरण से मुक्त किये गये थे, स्थापित कर लिया गया हो अथवा स्थापना करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये हों । इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि काम चालू रखने के लिये उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को ही औद्योगिक लाइसेंस दिये जाये जो इसके पात्र हैं, सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को आवेदक फर्म के उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा प्रभावी कदम उठाने की तिथि के बारे में पूरा ध्यान रखने के लिये अनुदेश दे दिये गये हैं ।

समाचार-पत्रों के आर्थिक पहलुओं और सरकार की वर्गीकरण नीति की जांच करने के लिए अध्ययन दल का गठन

326. **श्री नागेश्वर राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों के आर्थिक पहलुओं और सरकार की वर्गीकरण सम्बन्धी नीति की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन दल कब तक गठित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। समाचारपत्र प्रबन्ध के कुछ आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक तथ्य मालूम करने वाली समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ख) शीघ्र ही।

पश्चिम बंगाल के उद्योगों का विकास

327. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** :
डा० रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के उद्योगों के विकास के संबंध में सरकार द्वारा अपनाये गये नये दृष्टिकोण को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 16 सूत्री कार्यक्रम के अंशरूप में कलकत्ता, हावड़ा तथा 24 परगना को छोड़कर सारा पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों से रियायती धन पाने का पात्र घोषित कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का पुनर्गठन किया गया है व नया प्रबन्ध निदेशक चुन लिया गया है। पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम ने छोटी फाउन्डरियों के लिये पत्थर के कोयले तथा कच्चे माल का एक बैंक स्थापित किया है।

दो हजार लघु एकक स्थापित करने की योजना में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। जनवरी, 1972 तक लगभग 366 एककों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है और भी बहुत सी योजनाऐं प्राप्त हुई हैं जो विचाराधीन हैं।

प्रत्येक जिले की औद्योगिक विभव बताने वाली सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं व अनुवर्ती कार्रवाई के लिये जिलाधीश को भेज दी गई हैं।

कलकत्ता में उद्यम-मार्गदर्शक ब्युरो का एक शाखा कार्यालय खोल दिया गया है। इस कार्यालय से निवेश की लाभप्रद दिशाओं में सशक्त उद्यमकर्त्ताओं को परामर्श देने की आशा की जाती है।

राज्य उद्योग निदेशक व उसके अधीन सरकारी अधिकारी राज्य के उद्यमकर्त्ताओं को दिये गये आशयपत्रों के क्रियान्वयन के कार्य को विशेषरूप से देख रहा है।

राज्य सरकार ने अनेक आकर्षक प्रोत्साहनों की घोषणा की है व उद्योगों के प्रतिनिधियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है।

रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल स्थित एककों के लिए अतिरिक्त वेगनें उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है।

पश्चिम बंगाल स्थित एकक 1 जनवरी, 1972 को जारी हुए प्रेस नोट का लाभ भी उठा सकते हैं जिसमें कुछ शर्तों के अधीन 54 विशेष उद्योगों को पर्याप्त विस्तार / अनेक परि पारियों में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

लाइसेंसों में छोटे कारखानों का हिस्सा

328. **श्री नागेश्वर राव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि अधिकांश लाइसेंस छोटे उद्योगों को दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों से संबन्धित उद्योगों या उन उद्योगों को जो 'प्रभुत्वशाली' उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं या कुछ विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर, छोटे पैमाने के एककों जिनका विनियोजन 7.5 लाख रुपयों से अधिक नहीं है, को उद्योगों (विकास और अधिनियम) नियम, 1951 के लिए लायसैंसीकरण उपबन्ध से छूट दी गई है। इसलिए साधारण रूप से छोटे एककों को औद्योगिक लायसैंस देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक संगठित क्षेत्र के उद्योगों का संबंध है, सरकार की नीति नये तथा छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर उद्यम के आधार को विस्तृत करने की है।

दिनांक 28 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6116 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting Answer to USQ No. 6116 dated 28-7-1971

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : 28 जुलाई, 1971 को अतारांकित प्रश्न सं० 6116 के भाग (ख) के उत्तर में वस्त्र, सीमेंट, चीनी तथा जूट जैसे पूंजीगत वस्तु उद्योगों के लिये विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में दी गई जानकारी देते हुए मैंने यह कहा था कि सरकार ने वस्त्र, चीनी, जूट तथा सीमेंट के उत्पादन के लिए एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु पहले ही स्वीकृति दे दी है जिनमें उक्त श्रेणी की देशी मशीनों का निर्यात भी होगा और वह इसे प्रोत्साहन देगी। सही उत्तर यह है कि सरकार वस्त्र, चीनी, सीमेंट तथा जूट के उत्पादन के लिये एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। और वस्त्र, चीनी तथा सीमेंट जिसकी उक्त श्रेणी की देशी मशीनों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाएगा, के उत्पादन के लिये उन देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देगी।

भाग (ख) के उत्तर में कमी इतनी थी कि जूट बाद वाले हिस्से में शामिल किया गया था जिसकी सूचना विदेश व्यापार मंत्रालय ने दी थी और इसके बारे में एक संदर्भ 6-8-1971 को प्राप्त हुआ था। औद्योगिक विकास मंत्रालय को निर्धारित की गई अंतिम तिथि 10-8-1971 थी और लोकसभा का सत्र, 12-8-71 को समाप्त हो रहा था इसलिये पिछले लोकसभा सत्र में उत्तर को शुद्ध करना संभव नहीं था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में जहरीली शराब से हुई मौतों के समाचार

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported death of more than hundred persons in Delhi due to liquor poisoning and the action taken by Government in this regard."

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान, 22 जनवरी, 1972 को दिल्ली प्रशासन के ध्यान में यह बात आई कि जहरीली शराब पीने के संदेह में अनेक व्यक्तियों को इर्विन अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में समाचार मिला कि अन्य अस्पतालों में भी ऐसे व्यक्तियों को भरती किया गया है। यह बताया गया है कि बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य बहुत से व्यक्तियों की हालत गम्भीर है।

पुलिस ने एक मामला 22 जनवरी, 1972 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/337 के अधीन, एक मामला 23 जनवरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क/336 के अधीन, दो मामले 29 जनवरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क/338 के अधीन, एक मामला उसी दिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क/337/109 के अधीन और एक मामला 24 फरवरी, 1972 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के अधीन दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इन सभी मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों के सिलसिले में 10 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। एक और मामला हाल में दर्ज किया गया है जिसके अन्तर्गत चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

23 जनवरी, 1972 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इस मामले की जांच करने के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री आर० के० बवेजा, को नियुक्त किया है। आयोग ने 13 मार्च, 1972 को अपनी रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को दे दी है। आयोग ने सूचित किया है कि मेथिल एलकोहल मिश्रित जहरीली शराब पीने के परिणामस्वरूप 112 व्यक्ति मरे। आयोग ने इस सम्बन्ध में आबकारी तथा पुलिस प्राधिकारियों की गलतियों का उल्लेख किया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

Shri Shashi Bhushan : More than hundred persons have died by taking poisonous liquor and thousands of persons have lost their health. During the years 1968 and 1969 about thirty persons died due to liquor poisoning. At that time Government appointed Shri M. V. Kaushal, S. P. of special Branch to enquire into the matter. But the report submitted by Shri M. V. Kaushal was not published and the persons involved were not brought to book. I want to know whether it was done with the connivance of the Administration. I request that the report should be submitted to the House.

According to "The Hindustan Times" of to day, the Baweja Commission directed the police to buy four bottles of country liquor and have them chemically examined. After their chemically examination, it was found that methyle spirit was mixed therein. In this context I would like to

know whether the Government would assess the properties of ex-incharge of the Administration. It is surprising that the amount of contract was Rs. 67 lakhs while the quantity of liquor to be sold was fixed as 4 lakhs of liters at the price of Rs. 10/- per bottle. In view of the low price of liquor it is evident that contractor must adopt malpractices. It seems, thus, that methyle spirit was mixed in all the bottles of liquor. I demand that the whole matter shoud be enquired into and the persons responsible for all these lapses in the Delhi Administration and the Excise Department should be seriously punished. Strong action should also be taken against the contractors practising corruption.

Shri K. C. Pant : The hon. Member is correct to say that more than 20 persons died due to liquor poisoning in 1968. It is not in my knomledge whether any enquiry was held at that time but one thing is certain that the measures adopted to avoid such incidents were not satisfactory. So far as the present report is concerned, we have received it only yesterday. We will have to examine it. I would like to assure the House that the persons found guilty would be punished. To avoid such tragic happenings we will amend the rules and regulations, if necessary pertaining to it.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : महोदय, हमारे देश को मदिरा ने रोग अथवा अन्य आपत्तियों से भी अधिक क्षति पहुंचाई है और इसका उत्तर दायित्व नौकरशाही के ऊपर है क्योंकि मदिरा के वितरण और बिक्री के नियंत्रण का कार्य उसी पर है ।

दिल्ली में 112 व्यक्तियों की मृत्यु अथवा बवेजा आयोग की नियुक्ति के उपरांत भी समाचार पत्रों में मदिरापान से हुई मृत्यु के समाचार छपते ही रहते हैं तथा अब भी मिलावट की जा रही है । उदाहरण स्वरूप एक समाचार पत्र में लिखा है कि आयोग ने पुलिस को चार बोतल खरीद कर उसकी जांच कराने का आदेश दिया । परीक्षा के उपरांत ज्ञात हुआ कि उसमें मैथिल स्प्रिट मौजूद थी ।

नौकरशाही के कारण देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसे अब सहन नहीं किया जा सकता । ये लोग न केवल जनता के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं अपितु देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी क्षति पहुंचा रहे हैं । वे प्रधान मंत्री के देश का भाग्य बदलने के सभी प्रयत्नों को विफल कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस नौकरशाही से मुक्ति पाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? उत्पादन शुल्क विभाग के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इन बोतलों पर सील लगाई थी ?

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की इस कारण मृत्यु हुई है, उनके बच्चों और उनकी विधवा पत्नियों को क्या राहत दी गई है ?

मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या आपने उन दुकानदारों से लाइसेंस छीन लिये हैं जिन से ये बोतलें खरीदी गई थीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक नौकरशाही का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि किसी हद तक तो हमें रखना अनिवार्य होगा । अतः अब प्रश्न यह रह जाता है कि जांच के आधार पर क्या परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ।

मैं निवेदन कर चुका हूं कि संतोषजनक निगरानी नहीं की गई । असावधानी के कारण भी यह घटना हो सकती है । किन्तु मुझे इतना कहकर संतोष नहीं है । मैं महसूस करता हूं कि कुछ त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न नहीं किया गया । हम इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेंगे ।

मैंने यह भी संकेत किया है कि सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की इसके कारण मृत्यु हुई है उन्होंने लाइसेंसशुदा दुकानों से शराब नहीं खरीदी थी। उन्होंने ऐसी दुकानों से शराब खरीदी जहां वार्निस आदि का सामान बिकता है। इन लोगों ने मदान ट्रेडर्स, दरबार पेंट हाउस आदि से ऐसी शराब खरीदी, जो पीने के लिये नहीं होती। वास्तव में वह शराब ही नहीं थी और उसका दुरुपयोग किया गया था।

Shri Amar Nath Chawla (Delhi Sadar) : Sir, it has been stated that the percentage of methyl spirit in the alcohol which caused deaths of 112 persons was much more. May I know the reasons for which the shopkeepers were forced to mix more methyl. All of us are aware of the fact that the cases of illicit distillation are rampant in Delhi. But in this case the percentage of methyl is said to be more. The hon. Minister should know the reasons thereof. May I also know whether the report of Baweja Commission was prepared much earlier but it was delayed deliberately and if so, for how many days ?

Shri K. C. Pant : Sir, I would like to reiterate that since the liquor was not meant at all for drinking but for other purposes, therefore, the percentage of methyl was more in it. Actually it was not liquor. This matter is not related to illicit distillation. So far as the presentation of report is concerned I would like to say that the report was received by Delhi Administration on the 13th March and they submitted it to the Government only yesterday.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय टेलीफोन उद्योग, लिमिटेड, बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय टेलीफोन उद्योग, लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1407/72**]

पंजाब राज्य विधान मण्डल अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिनियम

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० गणेश): मैं पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पंजाब सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 21) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(2) पंजाब मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 22) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(3) पंजाब यात्री और माल कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 23) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(4) भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 24) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1408/72]

न्याय निर्णयन, कार्यवाहियां और अपील (संशोधन) नियम तथा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और अपील (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5389 में प्रकाशित हुए थे **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1407/72]**

(2) (क) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1655 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1656 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (भर्ती) पांचवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1690 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन

प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०-एस० आर० 1691 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1772 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1794 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवाएं (अध्ययन अवकाश) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1857 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 108 में प्रकाशित हुए थे [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०-टी०-1410/72**]

(ख) उपर्युक्त मद (एक) से (छः) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1411/72**]

भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारत रक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

(एक) भारत रक्षा (स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियम, 1971 का हिन्दी संस्करण, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1888 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारत रक्षा (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1958 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1412/72**]

(2) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 163 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मैसूर राज्य पुलिस (अनुशासनात्मक कार्यवाहियां) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 244 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-1413/72.]**

नागरिक रक्षा संशोधन नियम, 1971

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं नागरिक रक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अन्तर्गत नागरिक रक्षा (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1847 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1414/72.]**

सदस्य की दोषसिद्धि

CONVICTION OF A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे पुलिस अधीक्षक, सी० एस० ई० और पश्चिम रेलवे, नागपुर से तुरन्त प्राप्त दिनांक 14 मार्च, 1972 के एक पत्र की सूचना सभा को देनी है जिसमें बताया गया कि लोक सभा के सदस्य श्री जम्बूवन्त धोते का विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रेलवे, नागपुर द्वारा आपराधिक मामला संख्या 2712/68 में विचारण किया गया और (एक) उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत अपराध के लिये दोषी पाया गया और उन्हें न्यायालय के उठने तक कैद की सजा दी गई और 500.00 रुपये जुर्माना किया गया जिसकी अदायगी न होने पर एक मास की अवधि के लिये कठोर कारावास का दण्ड दिया गया और (दो) भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 120 (ख) के अन्तर्गत अपराध के लिये दोषी पाया गया और 50 रुपये जुर्माना किया गया, जिसकी अदायगी न होने पर 5 दिन के लिये कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। सदस्य ने जुर्माने की राशि अदा करने के लिये समय मांगा और न्यायालय ने उन्हें 30 मार्च, 1972 तक का समय दिया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

नवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपदान संदाय विधेयक
PAYMENT OF GRATUITY BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये समय का बढ़ाया जाना
EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिये एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय को 1 मई, 1972 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान, के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को 1 मई, 1972 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 14 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 14 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1971-72
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1971-72

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहें वे अपनी पर्चियां भेज दें ।

मांगें सदन के सामने हैं ।

वर्ष 1971-72 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	1	श्री आर० वी० बड़े	रक्षा सेवाओं और असैनिक सेवाओं के वेतन-मानों और परिलब्धियों की विषमता को दूर करने की आवश्यकता	100 रुपये
3	2	”	”	”
4	3	”	”	”
42	4	”	जन गणना कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता	”

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मांग संख्या 5 के संदर्भ में मैं अपनी सशस्त्र सेनाओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना पर विजय पाई तथा बंगला देश की सहायता की । यदि जवानों और विशेषकर शहीदों के परिवारों को कुछ दिया जाये तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । माननीय मंत्री को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये तथा वेतन आयोग के समक्ष भी यह दृष्टिकोण रखा जाना चाहिये ।

आयुध कारखानों में काम करने वाले सैनिक तथा असैनिक सभी कर्मचारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने सराहनीय कार्य किया है तथा प्रचलित हथियारों के सम्बन्ध में देश आत्मनिर्भर हो रहा है । मैंने रक्षा कर्मचारियों से 26 जनवरी को आत्मनिर्भरता का दिन मनाये जाने की अपील की थी । लगता है सरकार ने भी इस नारे को अपनाया है क्योंकि स्वयं प्रधान मंत्री आत्म-निर्भरता पर पूरा बल दे रही हैं । हमें पांच वर्ष की अवधि में रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जाना चाहिये ।

इन 14 दिनों में देश को यह भी अनुभव हो गया है कि वास्तव में हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। मुझे प्रसन्नता है कि रूस ने इन कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ दिया है और उसने मित्रता निभाई है। आयुध कारखानों के कर्मचारियों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री श्री गणेश से निवेदन करता हूं कि वह रक्षा मंत्री तथा रक्षा उत्पादन मंत्री तक मेरा यह अनुरोध पहुंचा दें कि पश्चिम बंगाल के आयुध कारखानों से जिन 32 कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें बहाल कर दिया जाये। इन कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये अभियोग बनावटी तथा असंगत हैं। अतः उनके मामले पर पुनः विचार किया जाये। मैं आल इण्डिया डिफेंस एम्पलाईज फैडरेशन की ओर से यह आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे जवान देश की एक इंच भूमि भी नहीं जाने देंगे तथा आयुध कारखाने उनको उत्तम सामान भेजते रहेंगे।

आपको स्मरण होगा कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री में विजयंत टैंक का निर्माण किया जाता है जो शरमन और पैटन टैंकों का पूरी तरह मुकाबला कर सकता है। इतना ही नहीं उसका कार्य इनसे कहीं अधिक अच्छा सिद्ध हुआ है। इन कारखाने में श्रमिकों की कुछ समस्याएं हैं। किन्तु कर्मचारियों ने रक्षा उत्पादन मंत्री के कहने पर हड़ताल वापिस ले ली। इतने पर भी आवडी कारखाने के जनरल मैनेजर ने अभी तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये उनसे कोई बातचीत नहीं की है। 22 तारीख के बाद वहां कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम नहीं चाहते कि वहां किसी प्रकार की समस्या पैदा हो। अतः माननीय रक्षा मंत्री तक हमारी भावनाएं पहुंचा दी जाएं।

लगभग सभी मांगों में अन्तरिम राहत का उल्लेख किया गया है। खेद है कि वेतन आयोग ने इस बार बहुत समय लिया है। यदि पहला और दूसरा वेतन आयोग अधिक समय लेता तो कुछ औचित्य था क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे। अतः मेरा निवेदन है कि वेतन आयोग को शीघ्र प्रतिवेदन देना चाहिये।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आशा थी कि पहली अप्रैल, 1972 तक रिपोर्ट आ जायेगी। सभा में आश्वासन दिया गया था कि आयोग के प्रतिवेदन को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा। किन्तु अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं आई। समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार को पढ़कर कि वेतन आयोग 1973 से पहले अपना प्रतिवेदन नहीं दे सकता, कर्मचारियों को बड़ी निराशा हुई है। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं जिनके अनुसार वर्ष 1972 में 1,32,000 सरकारी कर्मचारियों की आयु 55 वर्ष हो जायेगी तथा यदि उनकी सेवावधि में वृद्धि नहीं की गई तो उन्हें रिपोर्ट न आने से हानि होगी। इसी वर्ष लगभग 53,000 सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जायेंगे। उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अतः सरकार को वेतन आयोग से शीघ्र प्रतिवेदन देने को कहना चाहिये। वेतन आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। इसलिए मैं वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों एवं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल, 1972 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

अब मैं पेंशन और सेवा निवृत्ति के लाभों से सम्बन्धित मांग संख्या 22 पर आता हूं। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पेंशन भोगी व्यक्तियों के मामलों पर सहृदयतापूर्वक विचार करे। 50-60 रु० प्रति मास की पेंशन से कोई सेवा निवृत्त व्यक्ति दोनों समय खाना नहीं खा सकता। बढ़ते हुए जीवन निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए और उन्हें अन्तरिम सहायता के रूप में कुछ न कुछ राशि दी जानी चाहिए।

अब मैं मांग संख्या 42 पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। जनगणना विभाग में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों की नौकरी छूट जाने की आशंका है। जनगणना कार्य वर्ष 1970-71 में पूरा होना था, परन्तु वर्ष 1971-72 में भी किया जाता रहा। मध्यावधि चुनाव के कारण इस कार्य को स्थगित कर दिया गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हजारों नवयुवकों की छंटनी रोकने के लिए उपाय करें।

मांग संख्या 54 औद्योगिक विकास मंत्रालय के बारे में है। अभी हाल में एक समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि औद्योगिक विकास मंत्रालय के सचिव ब्रिटेन और हालैण्ड से कुछ कारखानों का आयात करने के लिए कुछ कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं। क्या यही आत्म-निर्भरता है ? समाचारपत्रों में यह समाचार भी था कि इस आशा के निर्णय पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं ली गई। क्या यह सब सच है ? इस कबाड़ को खरीदने की क्या आवश्यकता है ?

अगर कुछ देश तकनीकी जानकारी देने के इच्छुक नहीं हैं, तो हमें अन्य मित्र देशों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अमरीकी सहायता बन्द होनी चाहिए। पी० एल० 480 के बिना हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी प्रसन्नता और स्वाधीनता को गिरवी नहीं रख सकते। सम्बद्ध मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

विदेशी तेल कम्पनियों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के बिना हम आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान जनसंघ ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया और जनसंघ का दिल्ली में सफाया हो गया।

मांग संख्या 78 इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के बारे में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय को दिल्ली से हैदराबाद स्थानान्तरित करने का काफी पहले निर्णय लिया गया था, परन्तु इसका क्रियान्वयन फरवरी, 1972 में किया गया। हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि इन 400 कर्मचारियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित न किया जाय, परन्तु उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक पत्र मुझे भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति न देना संविधान के विरुद्ध होगा। मंत्री महोदय को मैंने वह पत्र भेज दिया था। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि कर्मचारी पहले हैदराबाद चले जायें और बाद में वहां से यहां आकर वोट डाल सकते हैं। क्या यह न्यायसंगत है ? हैदराबाद में क्या स्थिति है ? 22 फरवरी को कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ। 3 मार्च को वहां के लिये गये फोटो मेरे पास हैं। इन फोटों से पता चलता है कि कमरों में न तो छत है और न किवाड़। यदि इमारतें पूरी बन जाने के बाद उनका स्थानान्तरण किया जाय, तो आसमान नहीं टूट जाएगा। उनके पास काम नहीं है। रहने को मकान नहीं है। मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करें।

1968 की हड़ताल के समय जिन अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई थीं, केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में इस आशय का निर्णय दिया है कि वेतन और भत्ते अस्थायी कर्मचारियों को मिलने चाहिए। इन कर्मचारियों को अपने वेतन और भत्तों को बकाया राशि मिलनी चाहिए। इस बारे में विधि मंत्री श्री गोखले की राय ली जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सम्बद्ध मांगों तक ही अपना भाषण सीमित रखें।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने से पूर्व मैं गत चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा किये गये खर्च की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे राष्ट्रपति के इस कथन पर आश्चर्य है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष हुए हैं।

बंगला देश में संघर्ष के समय त्रिपुरा के सीमावर्ती निवासियों को विस्थापित बना दिया गया, परन्तु उनके पुनर्वास के लिए कोई भी सहायता नहीं दी गई।

त्रिपुरा में एक नये राज्य का गठन किया गया है। त्रिपुरा को सर्वाधिक हानि पहुंची है। सिल्चर क्षेत्र में रेल व्यवस्था में सुधार करने के लिए अधिक अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार बंगला देश रेल व्यवस्था से हमारे क्षेत्र की रेल-व्यवस्था को जोड़ने में सहायता करे, तो प्राकृतिक गैस और तेल की खोज का कार्य अधिक गति से हो सकता है।

सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय पुलिस के लिए अनुदान की मांग की गई है। कुछ प्रकार के कच्चे माल और अन्य वस्तुयें बंगला देश और भारत में आसानी से बेची जा सकती हैं। परन्तु सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारी इस प्रकार के लेन-देन के लिए रिश्वत लेते हैं। इस प्रकार के आचरण से बंगला देश और त्रिपुरा की जनता के बीच अच्छे सम्बन्धों के बिगड़ने की आशंका है।

त्रिपुरा की दम्बोरो परियोजना के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए और उसे अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : 15 मार्च तक केन्द्रीय सरकार मौन साधे रही और ग्यारह महीने बीत जाने पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 52.44 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को देने का प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिए पेश किया गया है। क्या राज्य सरकारें पन्द्रह दिन के अन्दर कल्याणकारी योजनाओं पर इस धन को व्यय कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्बकारी तरीके अपनाये जाने के कारण ही राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट के रूप में राशि लेनी पड़ती है। केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के व्यवहार से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों की जनता के कल्याण में कोई रुचि नहीं रखती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि या तो उन्हें वर्ष के प्रारम्भ में ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में से उनका हिस्सा दे दिया जाय अथवा उन्हें रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट राशि लेने का विकल्प रहना चाहिए।

त्रिपुरा और मणिपुर से सम्बन्धित एक मांग में अनुसूचित जनजातियों के लिए 6.04 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। क्या सम्बद्ध राज्य सरकारें एक पखवाड़े के अन्दर इस राशि को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण पर खर्च कर सकती हैं? जनता इस प्रकार की अनुचित कार्यवाहियों को अब और आगे बर्दाश्त नहीं करेगी।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

मांग संख्या 124 में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के लिए 1,95,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग है। कुछ समय पहले समाचारपत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में तीन संकटग्रस्त मिलों का अधिग्रहण करने जा रही है। क्या इन तीन मिलों के अधिग्रहण के लिए भी इस मांग के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है ? इस निर्णय के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब के कारण राज्य सरकार की यह धारणा बन गई है कि केन्द्रीय सरकार की मिलों के अधिग्रहण में कोई रुचि नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बतूर की सोमसुन्दर मिल्स का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी थी, परन्तु अभी तक राज्य सरकार को अनुमति नहीं मिल सकी है। राज्य की जनता के आदेश की पूर्ति के लिए जब तमिलनाडु सरकार अधिक स्वायत्तता की मांग करती है, तो कहा जाता है कि राज्य सरकार पृथकतावादी नीति अपना रही है। अब लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और हम तो सभी राज्यों के लिए स्वायत्तता चाहते हैं। 1.95 करोड़ रुपये की राशि में से कितनी राशि कोयम्बतूर की संकटग्रस्त मिलों के अधिग्रहण के लिए रखी गई है ?

पुनः चालू की गई पांच मिलों के लिए 19,83,000 रुपये की राशि अपने हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अदा नहीं की है। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक समस्या को राजनैतिक दृष्टि से देखती है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आर्थिक संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में लेनें में शीघ्रता दिखाती है, परन्तु तमिलनाडु के मामले में नहीं। मजदूरों की कठिनाइयों और कष्टों का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उस राज्य से आने वाले केन्द्रीय मन्त्री राज्य में उद्योगों का विकास करने के बजाय वहां के श्रमिक वर्ग में असन्तोष की ज्वाला भड़का रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at seven minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I would like to draw the attention of the Government to certain special items. The Government has ignored the Jawan as well as the farmer in these supplementary demands for grants. Our Jawans have shown great valour and courage in this war. According to the Pay Commission's Report, the Jawan has been considered as semi-skilled. I request that they should be considered as skilled. They get only Rs. 55/- as Basic Pay.

It is very strange that a person who goes to sacrifice his life for the sake of his country gets very small salary. The salary of the defence personnel should be raised. Cannot they be paid the minimum basic salary ? The brave Jawans should be paid war bonus.

The Junior Commissioned Officers should be placed in Class II category.

The C. R. P. Jawans are in pitiable condition. They are not being provided the basic facilities. They should be provided with basic facilities.

The Government has not paid any attention in the matter of welfare of the cultivator. The cultivators are greatly upset with the attitude of the Food Corporation. They have neither received full money from the Food Corporation nor the money has been received in time. As a result of this, the consumers have to pay high prices. The Government has not fulfilled its responsibility in this matter.

The Government raised the price of the tractors in Feburary, 1972 just before the election. It was done to please the tractor manufacturers. The price of the 35 H. P. tractor in September; 1971 was Rs. 17,490. But its price was raised to Rs. 24,200 in February, 1972. It has given an illegal profit of Rs. 10 crores to the factories by raising the prices of the tractors. Due to rise in price of tractors, the cultivators have been put into great hardship.

On the one hand, the Government gives the slogan of 'remove poverty,' and on the other census workers are being retrenched.

National Mineral Development Corporation's Office situated at Delhi has been shifted to Hyderabad without any cause. It has been done intentionally so that these workers may not vote to opposition parties. There are no houses to live there but they are compelled to go there. This office could have been shifted to Faridabad where all these facilities are available.

There is a great disparity in the pay scales of civilians and defence personnels. The defence personnels should be given all facilities so that they may defend the country wholeheartedly. The difficulties of the cultivators should be removed. Proper enquiry should be made regarding the prices of tractors.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : इन मांगों की मुख्य बातें यह हैं कि विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि की व्यवस्था की गई है :— रक्षा सेवाके लिये 177.01 करोड़ रुपये, राज्यों को उत्पादन-शुल्क के उनके अधिक भाग के भुगतान के लिये 52.44 करोड़ रुपये। 40 करोड़ रुपया बंगला देश को अनुदान के रूप में दिया गया है और 16.50 करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के सौदों में राज सहायता देने के रूप में किया गया। पूंजी लेखे का मुख्य ब्यौरा यह है कि 143.15 करोड़ रुपया बोकारो स्टील, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल, हिन्दुस्तान स्टील, मैसूर आयरन एण्ड स्टील, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और हिन्दुस्तान कापर की साम्य पूंजी में लगाने के लिये रखा गया है। 45.47 करोड़ रुपयों की व्यवस्था विदेशों से उर्वरक मंगाने के लिये की गई है और 7.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) एण्ड तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की साम्य पूंजी में लगाने के लिये की गई है।

राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के लिये 40 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं।

इसमें संदेह नहीं कि हमारी सुरक्षा सेनाओं ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए युद्ध में वीरता का परिचय दिया है। भारतीय सेना ने राष्ट्र के गौरव और सम्मान में वृद्धि की है। हमारे शत्रु भी अब यह मानने लगे हैं कि भारत एक महान शक्ति के रूप में उभरा है।

वेतन आयोग को सैनिकों की सेवा शर्तों पर विचार करने के लिये कहा गया है। वेतन आयोग सुरक्षा सेवाओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार करेगा।

वेतन आयोग इस बात के लिये कार्यवाही कर रहा है कि प्रतिवेदन यथाशीघ्र पूरा हो जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं प्रधान मंत्री से इसलिये मिला था क्योंकि समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन वर्ष 1973 में प्रस्तुत करेगा। यदि वह 1973 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो लगभग 1,42,000 कर्मचारी तब तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि उक्त प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री के० आर० गणेश : वेतन आयोग को लगभग 4,000 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इससे स्थिति और जटिल हो गई है। वह प्रतिवेदन यथा शीघ्र पूरा करने के लिये यथासम्भव कार्यवाही कर रहा है। दूसरे वेतन आयोग ने अपना प्रतिवेदन दो वर्ष बाद प्रस्तुत किया था। तीसरे वेतन आयोग की स्थापना अप्रैल, 1970 में की गई थी। इस पर दूसरे वेतन आयोग से अधिक भार है।

जनगणना कर्मचारियों का कार्य अस्थायी है। लेकिन जनगणना महानिदेशक यह सुनिश्चित करने में रुचि ले रहे हैं कि इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया जा सके। इसके लिये राज्य सरकारों से सहयोग देने के लिये कहा गया है। सरकार का भी यह प्रयास है कि छंटनी किये गये कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाये।

कोयम्बटूर में स्थित कारखानों को अपने नियंत्रणाधीन लेने का भी प्रश्न उठाया गया है। कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड तथा सोमसुन्दरम मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर के प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिये तमिलनाडु कपड़ा निगम को अधिकार देने के लिये आदेश जारी किये गये हैं। बलराम वर्मा टेक्सटाइल मिल्स, शेनकोट्टाह के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अधीन इस कारखाने के मामले की एक जांच समिति द्वारा जांच कराना ही वांछनीय है। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पलाइमलाई एमनाथन मिल्स, कोयम्बटूर और पंकज मिल्स लि०, कोयम्बटूर को बन्द करने का आदेश मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया है। इन उपक्रमों को पुनः चालू करने की सम्भावना को देखने के लिये जांच करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय को आवेदन दिया गया है।

कालेश्वर मिल्स लिमिटेड कोयम्बटूर के मामले की पहले ही जांच की जा रही है और उसके प्रबन्ध को हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं कि यथासम्भव अधिक से अधिक कारखानों को अपने नियंत्रणाधीन लिया जायेगा।

करों के अन्तरण और मार्गोपाय अग्रिमों के बारे में भी प्रश्न उठाये गए हैं। इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम है। करों के अन्तरण के बारे में सही स्थिति यह है कि राज्यों के अंशों के लिये मासिक भुगतान किया जाता है और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये त्रैमासिक भुगतान किया जाता है।

अलीपुर टकसाल के कर्मचारी समयोपरि वेतन के हकदार हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया है।

छोटे सिक्कों की कमी अब पहले से कम हो गई है। टकसालों में छोटे सिक्कों का उत्पादन प्रतिदिन 30 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया है और हमारा लक्ष्य प्रतिदिन 80 लाख सिक्कों का उत्पादन करना है। इससे छोटे सिक्कों की कमी में बहुत सुधार होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कार्यालय को स्थानान्तरित करने के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The cut motions Nos. 1 to 3 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 4 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि जनगणना के सम्बन्ध में 36,01,000 रुपये से अनधिक की राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
Lok Sabha divided

पक्ष में 22 : विपक्ष में 74
Ayes 22 : Noes 74

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं
The following demands for Supplementary Grants for the year ending 31st March, 1971 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	(रक्षा मंत्रालय)	रुपये
2.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय—स्थल सेना	1,45,03,50,000
3.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय—नौसेना	3,14,90,000
4.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय—वायुसेना	20,43,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
5.	रक्षा सेवाए, निष्क्रय (विदेश मंत्रालय)	3,39,00,000
12.	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय (वित्त मंत्रालय)	40,00,00,000
15.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	1,00,00,000
16.	निगम कर आदि सहित आय पर कर	1,75,00,000
18.	लेखा परीक्षा	20,00,000
20.	टकसाल	40,51,000
22.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,11,13,000
24.	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय (कृषि मंत्रालय)	15,87,28,000
29.	कृषि	1,000
32.	कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय (विदेश व्यापार मंत्रालय)	16,50,00,000
33.	विदेश व्यापार मंत्रालय	7,28,000
34.	विदेश व्यापार (गृह मंत्रालय)	8,74,53,000
38.	गृह-मंत्रालय	14,35,000
39.	मंत्रिमंडल	20,69,000
40.	कार्मिक विभाग	10,50,000
41.	पुलिस	14,21,66,000
42.	जनगणना	36,01,000
46.	दिल्ली	2,12,25,000
47.	चण्डीगढ़	46,00,000
48.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,26,92,000
49.	आदिम जाति क्षेत्र	1,65,86,000
*51क.	मिजोरम	1,40,43,000

* नई मांग ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
52.	गृह-मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	37,07,000
	(औद्योगिक विकास मंत्रालय)	
54.	उद्योग	94,11,000
56.	औद्योगिक विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	89,08,000
	(विधि और न्याय मंत्रालय)	
70.	विधि और न्याय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,64,93,000
	(पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय)	
71.	पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	4,18,000
	(इस्पात तथा खान मंत्रालय)	
78.	इस्पात तथा खान मंत्रालय	4,16,000
	(निर्माण और आवास मंत्रालय)	
86.	लोक निर्माण कार्य	5,00,00,000
	(संचार मंत्रालय)	
93.	डाक और तार विभाग—सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की वापसी	10,63,21,000
	(इलैक्ट्रोनिक्स विभाग)	
97.	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	2,49,06,000
	(संसदीय कार्य विभाग)	
101.	संसदीय कार्य विभाग	35,000
	(विज्ञान और औद्योगिकी विभाग)	
103.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	34,78,000
	(वित्त मंत्रालय)	
116.	टकसालों का पूंजी परिव्यय	11,86,000
121.	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	19,41,28,000
	(कृषि मंत्रालय)	
122.	अन्न और उर्वरकों की खरीद	45,47,00,000
	(विदेश व्यापार मंत्रालय)	
124.	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,95,48,000
	(गृह मंत्रालय)	

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
126.	संघ-राज्य क्षेत्रों तथा आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	2,49,93,000
	(औद्योगिक विकास मंत्रालय)	
128.	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	19,30,00,000
	(पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)	
133.	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	7,76,84,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
137.	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,43,15,42,000
	(निर्माण और आवास मंत्रालय)	
141.	दिल्ली का पूंजी परिव्यय	1,20,00,000
	(परमाणु ऊर्जा विभाग)	
143.	परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय	4,00,00,000

विनियोग विधेयक, 1972
APPROPRIATION BILL, 1972

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1969-70

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1969-70

सभा अब वर्ष 1969-70 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आयकर की बकाया 575 करोड़ रुपये की राशि को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सरकारी पेन्शन प्राप्त करने वाले लोगों की दशा बड़ी शोचनीय है। उन पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना भी लागू नहीं होती। यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है जिससे पेन्शन प्राप्तकर्ताओं का भाग्य बदला जा सके।

उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये अवश्य ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। अंग्रेजों के शासनकाल में भी यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला होता था तो उसके लड़के को सेवा में

ले लिया जाता था। रेलवे में सेवानिवृत्त अधिकारयों के बच्चों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी पेन्शन प्राप्तकर्ताओं को कुछ राहत अवश्य दी जानी चाहिये। ऐसा या तो उनके लड़कों को सेवा में लेने अथवा उनकी पेन्शन की राशि को बढ़ा कर किया जा सकता है।

स्टाफ कलाकारों के लिये कुछ कार्य किया गया है लेकिन कुछ वर्ग के कर्मचारियों को इससे लाभ नहीं पहुंचा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना चाहिये।

यह बताया जाना चाहिये कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कपड़े के कितने कारखानें अपने हाथ में लिये हैं। कानपुर के दो कपड़ा कारखानों के मामले में कठिनाई हो रही थी। क्या निगम ने उन दोनों कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया है?

रक्षा विभाग में, विशेषकर आयुध कारखानों में अभी भी काफी कार्य ठेकेदारों को दिया गया है। ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करने का यही उचित समय है। हाल ही के युद्ध में कुछ ठेकेदारों ने देश को धोखा दिया है।

अब मैं वेतन आयोग को लेता हूं। वेतन आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश करने में काफी देर कर दी है। तीसरे वेतन आयोग को इतना विलम्ब नहीं करना चाहिये। इस रिपोर्ट के न आने से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी दुखी हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये कहें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : वर्ष 1969-70 के लिये इन अतिरिक्त मांगों की छानबीन 21 दिसम्बर, 1971 को हुई बैठक में लोकलेखा समिति ने की थी। समिति ने इन मांगों को नियमित करने की मांग की थी।

तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हम पेंशनभोगियों के प्रश्न पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following demands for the year 1969-70 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
4.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-वायु सेना	2,65,54,717
5.	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	18,642
32.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	3,91,954
34.	विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय	74,592
40.	लोक निर्माण कार्य	19,57,848

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
53.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	22,61,685
62.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	51,325
77.	पेट्रोलियम और रसायन, खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,04,058
78.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	2,51,005
79.	सड़कें	84,89,601
83.	इस्पात और भारी इंजीनियरी	1,18,624
94.	डाक और तार-सामान्य राजस्व	5,61,08,331
	को लाभांश प्रारक्षित निधि में विनियोग तथा सामान्य राजस्वों से लिये गये ऋणों का परिशोधन	5,01,08,331
103.	रक्षा पूंजी परिव्यय	5,45,41,422
109.	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	22,06,518

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972

APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1972

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक है, पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1970 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त व्यय की गयी राशियों की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1970 के 31वें दिन को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1970 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त व्यय की गयी राशियों की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग हैं"

"The clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयकों को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1971-72

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1971-72

Shri Chandra Shekhar Singh (Jahanabad) : Railway is one of the biggest undertaking of our country. The working of Railways requires improvement. Narrow gauge lines also need

improvement. Due to shortage of trains, people are experiencing great hardships. More trains should be started to meet the shortage and remove the hardships of the common man. The Railway catering Department do not serve good quality of meals. Necessary attention should be paid towards improving the standard of meals served by the catering Department. Pilferage is common in the railways. Necessary steps should be taken to check the same. There is also great shortage of goods trains. Traders have to face great hardships for transporting the goods due to this shortage. There are also irregularities in the allotment of wagons which needs to be checked. Railway employees who went on strike at Dhanbad a year ago and who are still under suspension should be reinstated.

Corrupt railway employees are not dealt with strictly, such employees should be meted out vigorous punishment. There is also great need of new railway line from Rajgir to Manipur. The mechanics of the steam side are being ignored in the matter of promotion. The Railway Board had given assurance in this regard which should be implemented.

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पहले मैं रेलवे बोर्ड की कार्यकुशलता का प्रशंसक था लेकिन अब मैं इसकी प्रशंसा करने में असमर्थ हूं क्योंकि इससे एक ऐसे दृष्टिकोण का समावेश होगया है जो कर्मचारी विरोधी है। पिछले वर्ष तूफान आने से पहले रेल के कर्मचारियों को बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिये अग्रिम धन दिया गया। तूफान आने पर इन कर्मचारियों को और हानि सहनी पड़ी। वित्त मंत्रालय ने निर्णय किया कि बाढ़ तथा तूफान से पीड़ित बिहार, आसाम और उड़ीसा के कर्मचारियों को दूसरा अग्रिम धन भी मिल सकेगा। लेकिन अग्रिम धन की यह राशि कर्मचारियों को अब तक भी नहीं दी गयी। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा इन कर्मचारियों को अग्रिम धन की राशि दिलायें।

पुरी एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। यहां पर हैल्थ होम बनाने की मांग की गयी है। मेरा निवेदन है कि इस मांग को पूरा किया जाये ताकि रेलवे कर्मचारी इसका उपयोग कर सकें। बहुत कोशिश करने के बाद कटक में रेलवे होस्टल खोला गया है। इस होस्टल की सीटें बढ़ाने सम्बन्धी मांग भी अनेक बार की गयी है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे आशा है कि इस ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

रेलवे में अवकाशग्रहण लाभ योजना भी लागू है। यह एक अच्छी योजना है। यदि इसकी तिथि बढ़ायी जाये तो अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर उचित ध्यान देंगे।

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore) : I want to speak both on the supplementary demands and Excess grants. There is top heavy administration in the Railway. Some steps to effect economy in the expenditure of Railway administration should be taken. There is too much of wasteful expenditure and it is wrong to raise fares and freights every year. In addition, corruption is rampant in the administration. Criminals and defaulters are encouraged. This state of affair should be brought to an end and necessary improvements should be made.

There are large number of casual labourers in the Railways. Most of them have been serving for the last four years and they have not so far been confirmed. Every casual labourer who has rendered more than 240 days' continuous service should be declared permanent. In addition, many mal-practices are being resorted to with respect to the labour. In fact, there is no uniform policy in this respect. The Government should look into it. Besides this, there are no effective welfare schemes for the employees. Slogans should be replaced by the actions. The Government should see to it that schemes for the welfare of labour are taken in right earnest.

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : जो रेलवे लाइनें प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में हैं, उन्हें जनहित में सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इन ब्रांच लाइनों के लिये कब तक सहायता दी जाती रहेगी ? मद्रास शहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोगों को दो समय की रोटी अर्जित करने के लिये शहर से बाहर रहना पड़ता है। बाहर रहने वाले कर्मचारियों को वे भत्ते नहीं मिलते जो शहर के अंदर रहने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। यह असमानता दूर की जानी चाहिये।

मद्रास-बंगलौर लाइन में बिजली लगाने के लिये काफी समय से मांग की जा रही है। इस लाइन पर काफी भीड़ रहती है। इस लाइन में बिजली लगाने का काम शीघ्र शुरू किया जाये। यह लाइन काम पर जाने वाले मजदूरों के लिये बहुत लाभदायक है। इस लाइन का उद्देश्य सरकार द्वारा लाभ कमाने का नहीं, बल्कि सर्वसाधारण को सुविधा देने का था। मेरा निवेदन है कि यह लाइन बंद न की जाये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Railway authorities and Government have not paid due attention to Rajasthan. It seems that step-motherly treatment is being meted out to Rajasthan in respect of Railways. It is a pity that Jaipur-Sawai-Madhopur line has not been converted into broad gauge line inspite of the repeated requests by the members. Although servey has been made in respect of the line from Toda Rai Singh to Kota but nothing has been done to lay the track. Government should see that a small line from Navai to Tonk is provided first. More compartments are also needed in the train running from Kota to Bina. This train is generally over-crowded.

Orders were issued by the President that workers should be paid advance salary before Holi holidays. The Laxmi workshop refused to pay advance salary to all the workers. In pursuance of these orders, specific orders were issued by the Railways Administration i. e. Railway Board and General Managers in this regard. But these were not conveyed to all concerned in time and where these were conveyed, limitations were put with the result that majority of the workers could not draw the advance. In this manner the orders of the President of India were flouted by the administration. Similarly, action is not taken on vigilance reports submitted by Inspectors. Vigilance Inspector of Kota submitted a report that a trolly, owned by a peon at Ratlam is running. But no action has been taken in the matter by Head Quarters office. One can only deduce that all concerned are acting in collusion.

A demand has been raised that private catering on Bharatpur, Kota and Shyamgarh stations should be replaced by Departmental catering. Railways have already got a bad name in this regard. But inspite of this, private catering is being taken over by the Department. If this is done, the employees of private parties should be absorbed by Railways otherwise they would be rendered jobless.

Discriminatory treatment is being meted out to Rajasthan in respect of Railways. Sanction was issued for a culvert bridge near Kota yard at a cost of 50,000 Rupees. Though six years have elapsed, the work has not so far been attended. Tours are undertaken by General Managers when the Parliament is in session with the result that there is no representative of the public to explain the difficulties and grievances of the public. Orders should be issued to the effect that they should undertake tours only when Parliament is not in session.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : We are living in a welfare State. But Railway administration is being run as if we are living in 19th century. Railway is public utility department. When difficulties of the public are brought to the notice of Railway Department, we get a rigid answer.

To day all the developmental works of Railways are being done in Southern States. Areas like Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are being neglected. I am not against development but that should not be at the cost of other areas. Railway Administration is neglecting these areas in respect of new lines and conversion of metre gauge lines into broad gauge. Absence of railway lines is adversely affecting the development of Rajasthan.

Sikar-Loharu Section provides a link to traffic for Delhi, Bikaner and Calcutta. But there are only two trains in a day. Government should look into it and introduce a shuttle service which should give direct connection for passengers to Delhi. Public has been demanding a direct train to Ahmedabad. But no attention has so far been paid towards this. It was suggested that if a direct train was not possible at the moment, additional coaches should be added to Janta Express. Such difficulties could be attended to by the Administration but it is not caring.

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों को रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा के समय उठाया जाना चाहिये ।

Shri Shivnath Singh : I would like to point another difficulty. While extending the electricity lines, when electricity wires are required to cross over Railway lines it takes long time to obtain approval. Railway Administration should issue general instructions detailing the precautions to be undertaken for the purpose and Electricity Boards should be empowered to carry on the work ensuring such precautions. It could save time.

Shri Ramkanwar (Tonk) **:** There is too much overcrowding in Delhi-Ahmedabad train due to which third class passengers have to face difficulties. More bogies should be attached to this train to accommodate more passengers. This line should also be converted into broad gauge.

Jaipur-Toda Rai Singh line is running on loss. This loss can be covered if this line is further extended upto Kota and frequency of train is also raised.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

There is no railway line in Tonk. About ten years ago an assurance was given by the then Railway Minister in this regard. But it has not so far been implemented. It is high time that action is taken to remove the difficulties of the people of the area and a new line constructed.

Some time ago a survey was conducted to link Tonk with kota-Ajmer line, but the work has not so far been started. The work of this line should be taken up early. It would help removing the difficulties of the area.

Shri M. C. Daga (Pali) : Although Northern Railway covers major part of Rajasthan but the office of the Railway Public Service Commission has been located at Allahabad. Due to this, educated people of Rajasthan find difficulties in getting employment in Railways. Government should look into it.

Rajasthan has not only been neglected in respect of railway lines, but it is being neglected by Railway Department in other respects also. Condition of Bathrooms, Waiting Rooms and Plateforms is very deplorable. There is no provision of drinking water on many a Railway Stations. This neglect is hampering the development of Rajasthan. It is also causing discontentment amongst people.

It is a pity that Jodhpur-Kharchi shuttle service has been discontinued. It used to cater to the needs of 500-700 people.

Rajasthan has been demanding conversion of lines into broad gauge but no action is being taken on this point. Government should look into it and effect a speedy improvement.

No provision has been made in this Budget also for any new line in Rajasthan. This is not a healthy trend. It is aggravating the regional imbalance which is already there. Railways Minister should look into it and if necessary, visit Rajasthan personally and make on the spot assessment.

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : यह आरोप लगाया गया है कि रेल विभाग में बहुत रिश्वत खोरी व्याप्त है और यह कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को जो रेलों में चोरियों और रेल विभाग में रिश्वत के मामलों का पता लगाने में प्रशासन की सहायता करते हैं, बाद में सजा दी जाती है। मैं इस आरोप का प्रतिकार करता हूं। वास्तव में रेल विभाग ऐसे कर्मचारियों को हमेशा प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार की सूचना देने वाले कर्मचारियों को इनाम भी दिये जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि रेल विभाग में रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं है। परन्तु इसे समाप्त करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाता है और समाज की इस बुराई को समाप्त करने के लिए मैं सदन का सहयोग चाहता हूं। यह भी सत्य नहीं है कि रेलवे प्रशासन द्वारा बहुत से कर्मचारियों को सजाएं दी जा रही हैं। वास्तविकता यह है कि रेल कर्मचारियों और रेलवे प्रशासन के मध्य बहुत ही मधुर सम्बन्ध हैं। हां अनुशासन हीनता के मामलों की और रेलवे विभाग को नुकसान पहुंचाने के मामलों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः वहां कार्यवाही की जाती है।

रेलों में भोजन की व्यवस्था, गाड़ियों के समय पर चलने, विभिन्न क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने आदि के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कहीं गई हैं। इन सब बातों की ओर रेलवे मन्त्रालय निरन्तर ध्यान देता रहता है और इन सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों को तूफान सम्बन्धी राहत देने के सम्बन्ध में कहा गया है। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि सामान्यतः केवल एक ही अग्रिम दिया जाता है परन्तु यदि दूसरा मांगा जाए तो उसे देने से पूर्व पहले अग्रिम का बकाया उसमें से काट लिया जाता है। परन्तु परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ छूट देने का निश्चय किया है और दक्षिण-पूर्वी रेलवे को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं, जिनके अनुरूप कर्मचारियों से अग्रिम के अनुदान के लिए आवेदनपत्र मांगे जा चुके हैं और अदायगियां की जा रही हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : बिहार के मामले में ऐसा नहीं है। मन्त्री महोदय को गलत बताया गया है। आप सारी बातों की छानबीन के लिये एक समिति नियुक्त कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे कर्मचारियों को पेन्शन का विकल्प स्वीकार करने के कई अवसर दिए गए थे। पेंशन का विकल्प स्वीकार करने की तारीख 31 मार्च, 1969 निश्चित की गई थी और इस सम्बन्ध में कई महीनें पहले घोषणा की गई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अतः मैं आश्वासन देता हूं कि मैं मानवीय आधार पर इस सम्बन्ध में फिर से विचार करूंगा।

रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि कर्मचारी कल्याण की दृष्टि से रेल कर्मचारी सबसे उपेक्षित वर्ग है। वास्तव में यह कहना न्यायसंगत नहीं है। रेलवे मन्त्रालय ने हमेशा ही इस विषय को पर्याप्त महत्व दिया है। कर्मचारी हित निधि का प्रबन्ध मान्यता प्राप्त यूनियनों और प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस निधि में से खेलकूद, रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, रोगी कर्मचारियों को सहायता, मनोरंजन आदि से सम्बन्धित व्यय किये जाते हैं। विभिन्न रेलों में कर्मचारियों के लिए 20 अवकाश गृह हैं और इनके अतिरिक्त 2 अन्य अवकाश गृह क्रमशः काश्मीर और पहलगांव में हैं। 3600 से अधिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने इनका उपयोग किया है। रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न रेलों द्वारा इस समय 747 शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें तीन इंटरमीडियेट कालेज हैं।

इसी प्रकार कर्मचारी स्वास्थ्य पर भी काफी व्यय किया जा रहा है। रेलवे अस्पतालों की, जिनकी संख्या 1950-51 में 410 थी, वह 1970-71 में बढ़कर 651 हो गई है। इनमें पलंगों की संख्या 2435 से बढ़कर 10,430 हो गई है।

प्रबन्धकों और संगठित श्रमिक संघों के आपसी सम्बन्ध बहुत ही मधुर हैं। यह कहा गया है कि रेलवे बोर्ड साधारण जनता की शिकायतों की परवाह नहीं करता। यह ठीक नहीं है। हमने जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की है और इस प्रयोजन से प्रभागीय, जोनल और संसदीय स्तर पर समितियां स्थापित की हैं। जनता की समस्याओं के बारे में हमें अनेक पत्र भी प्राप्त होते रहते हैं। वास्तव में रेलवे एक वाणिज्यिक संस्था है, अतः इसे जनता की सुविधा और आराम का ध्यान रखना ही होता है। फिर भी यह आश्वासन दिया जा सकता है कि यदि कोई कमी प्रतीत हुई हो, तो वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के ध्यान में लाई जाये और उसके बारे में पूरी कार्य-वाही की जायेगी।

यह ठीक है कि दावों के बिल बढ़ रहे हैं परन्तु इसका कारण रेलों में होने वाली चोरियां हैं। इनको रोकने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इनके परिणामस्वरूप पूर्ण सफलता तो नहीं प्राप्त हुई पर इतना अवश्य है कि शुरुआत अच्छी हुई है और शीघ्र ही अच्छे परिणाम दृष्टि-गत होंगे।

कुछ सदस्यों ने राजस्थान की उपेक्षा की बात की है। रेलवे द्वारा सम्पूर्ण देश को एक इकाई माना जाता है। जहां कहीं भी यातायात को देखकर आवश्यकता प्रतीत होती है और नई लाइनें बिछाना आर्थिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है, वहां कार्य प्रारम्भ करने में कोई संकोच नहीं किया जाता। यह ठीक है कि सुविधाओं की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पीछे हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन क्षेत्रों की उपेक्षा करके दूसरे क्षेत्रों में सुविधायें बढ़ाई जा रही हैं। सरकार का यह प्रयत्न है कि हर राज्य की राजधानी से दिल्ली के लिए "राजधानी एक्सप्रेस" जैसी गाड़ी चले।

राजस्थान की उपेक्षा नहीं की गई है। वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा और जब धन उपलब्ध होगा और यातायात की दृष्टि से उचित प्रतीत होगा, तो वहां नई रेल लाइनें बिछाने में संकोच नहीं किया जायेगा।

जहां तक पाली रेलवे स्टेशन की बात है, यदि उस स्टेशन पर सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई तो सरकार वहां के आवश्यक कार्यों के लिए धन अवश्य जुटायेगी।

सभापति महोदय द्वारा रेल मन्त्रालय की 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Supplementary Demands for grants in respect of Ministry of Railways for the year ending 31st March, 1971 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	2,19,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	1,67,57,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	10,12,17,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	5,05,23,000
8	संचालन व्यय—(कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	1,02,43,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	2,74,54,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	77,61,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्य-ह्रास आरक्षण निधि और विकास निधि	17,95,84,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	1,50,49,000
18	विकास निधि में विनियोग	44,78,000
19	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग	8,63,07,000
20	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान, सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	26,20,000

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1969-70
DEMANDOS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1969-70

सभापति महोदय : अब बजट (रेलवे), 1969-70 के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। श्री इसहाक साम्भली।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : The Railways are our biggest Public Sector undertaking and we want that it should run in maximum profit so as to provide more and more facilities to the people. But it is a pity that they have been running in loss throughout, and this house as well as the hon. Minister are very well aware of the reasons therefor. For instance thefts of railway goods is one of the major reasons and it is on the increase. These stolen goods are selling in the market. Why should not the hon. Minister stop it and also sell the surplus railway goods by melting them and changing their shapes ?

Mr. Chairman : Please speak on the subject only.

Shri Ishaq Sambhali : It has to be mentioned since excess grants are being demanded. The hon. Minister should act on the suggestions that since the sale of railway goods through auction enables the open sale of stolen railway goods, he should stop the auction system and sell these goods by changing their shapes.

Secondly, bogus claims are being preferred in collusion with railway officials whereas the true claimant keeps on waiting for settlement for years together. The railway claims have been mounting steadily.

Mr. Chairman : Please speak on the excess grants which have already been spent. Leave the rest for the general debate.

Shri Ishaq Sambhali : I am for stopping the excess expenditure which has no justification and right purpose.

Efforts have been made to stop ticketless travelling but no T. T. Es or conductors have been deputed in two-tier .bogies. Many passenger trains are running without T. T. E. which results not only in ticketless travelling but also increasing bad habits in the coming generations.

Mr. Chairman : You are not at all touching the subject under discussion.

Shri Ishaq Sambhali : I want to stress that they have spent more than the budgeted grant but still travelling people have not been provided with adequate facilities. No efforts have been made to protect this property of the Central and Northern Railway. Almost all the first class compartments are leaking resulting in huge national loss. And then the hon. Minister boasts of making savings and economy. It would have really been an achievement had these savings been done by avoiding superfluous expenditures ; but it has been by curtailing essential repairs which will result in national loss.

Mr. Chairman, this House has been quite liberal in regard to Railway grants, but if still the condition of the railways does not improve, it will be quite unbearable.

It is quite surprising that Urdu has been totally eliminated from all the stations of Central Railway. We find names of the stations in Urdu only on Western Railway. Northern Railway Zone too does not have the names of stations in Urdu.

This particular stress should be laid on the timings of the train so as to facilitate more passengers.

The same type of uniform for the Ticket Checkers and the railway attendants is quite confusing as a result of which railway attendants are able to cheat the passengers. I want that the Ticket Checkers should be given the uniforms as they were given some time earlier.

Mr. Chairman : You have not touched even a single point concerning grants. You should have come prepared.

Shri Ishaq Sambhali : I am drawing the attention of the Railway Minister towards essential things.

Despite such a huge expenditure there is great discontentment among the railway employees. Railway Guards are not given enough protection considering the nature of their duties. As regards corruption one instance is enough. You cannot book or receive a parcel without greasing the palm of the concerned employee.

As regards new railway lines, the policy adopted is not all beneficial to the people. Need was of new lines where no line exists. Why should not a new line be constructed between Chandausi and Jagraula (Gajraula), Then 14,000 workers of S. S. Railway are jobless. Government should provide them jobs.

Mr. Chairman : Now the hon. Minister.

Shri Onkar Lal Berwa : Please ensure the quorum first. There are only 6 persons in this "bogie".

Mr. Chairman : He may take his seat. The bell is being rung. Yes, now quorum is there. Hon. Minister.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As regards claims, no doubt their number is increasing, but we are trying to check it, for which we are trying our best to ensure the safe transit of goods entrusted to the railways. As regards thefts on railways, I have already said that this is because of certain well-organised gangs which might include some of our employees also. We are keeping on strict watch and also the Railway Board has decided to conduct checking on all the stations where the trains stop. Sometimes the bogie itself is detached and nobody knows where it went. We propose to seek more help from Railway Protection Force to check such incidents and intensifty checking on the routes where such incidents are more. Thefts of overhead wires also cause much inconvenience to the travelling public.

Ticketless travelling is a social evil. We organise surprise checking. Ticketless travelling causes a loss of about 20 or 25 crores of rupees to the railways. Cooperation of State Government is needed to curb it and wherever it was available we have saved a lot. For instance with the help of the Haryana Cheif Minister about 30,832 ticketless travellers were caught and Rs. 2,81,783 were collected from them. So the help of the State Governments in this regard is of much importance. Besides that the efficiency of railway employees is also of much value in regard to checking ticketless travelling. It is not an incurable disease.

As regards railway Guards and T. T. Es., we shall discuss this question during the general debate.

सभापति महोदय द्वारा रेलवे मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
7	संचालन व्यय-परिचालन (ईंधन)	2,28,10,143
9	संचालन व्यय-विविध व्यय	5,60,772
16	पेंशन सम्बन्धी प्रभार-पेंशन निधि	81,901
20	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	88

इसके पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार 16 मार्च, 1971/26 फाल्गुन, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 16, 1972/Phalguna 26, 1893 (Saka).